


S.No-725

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये

प्रतिवेदन संख्या-3
राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्थान सरकार



विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
लेखापरीक्षा की ओर सरकार की अनुक्रिया	1.2	4
जवाबदेयता लागू करना एवं राज्य सरकार के हित की रक्षा करना	1.2.1	4
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.2.2	6
विभागों की अनुक्रिया	1.2.3	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.2.4	7
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना	1.2.5	7
लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों के बारे में अपनायी गई कार्य-प्रणाली	1.3	8
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.3.1	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये मामलों पर विभागों/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन	1.3.2	9
लेखापरीक्षा योजना	1.4	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	10
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.5.1	10
यह प्रतिवेदन	1.5.2	11
अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	12
बजट तैयारियों का विश्लेषण	2.2	12
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.3	12
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	2.4	13
मूल्य परिवर्धित कर की प्रति करदाता लागत	2.5	14
कर निर्धारण में बकाया	2.6	14
संग्रहण की लागत	2.7	15
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	2.8	15
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	2.9	16
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.10	17
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	2.11	18

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	2.12	18
प्रतिवर्ती कर	2.12.1	19
कर योग्य पण्यवर्त का अवनिर्धारण	2.12.2	20
कर की गलत दर लगाना	2.12.3	22
कम दर से कर का आरोपण	2.12.4	23
आगत कर क्रेडिट की अनियमित स्वीकृति	2.12.5	23
अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	2.13	24
कर का गलत आस्थगन	2.13.1	24
कार्यरत लघु सीमेन्ट संयंत्र को गलत कर छूट देना	2.13.2	26
कर दायित्व के स्थान पर प्रशमन कर की गलत स्वीकृति	2.13.3	27
अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	28
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.2	28
संग्रहण की लागत	3.3	29
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	3.4	30
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	3.5	30
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.6	32
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	3.7	33
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	3.8	33
मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना	3.8.1	33
पंजीयन प्रमाण-पत्रों की समर्पण अवधि के दौरान संचालित वाहनों से विशेष पथकर एवं शास्ति की अवसूली	3.8.2	35
संनिर्माण उपस्कर वाहनों के सम्बन्ध में एकबारीय कर की वसूली नहीं करना	3.8.3	36
एकमुश्त कर की बकाया किश्तों की वसूली नहीं की	3.8.4	37
अध्याय-IV: भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	38
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	4.2	38
आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली	4.3	38
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.4	40
भूमि के आवंटन/बिक्री और संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली पर निष्पादन लेखा परीक्षा	4.5	41
भूमि की कीमत का कम आरोपण	4.6	66
संपरिवर्तन प्रभारों एवं ब्याज की अवसूली	4.7	67

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	68
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	5.2	68
बकाया राजस्व का विश्लेषण	5.3	69
संग्रहण की लागत	5.4	70
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	5.5	70
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	5.6	71
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.7	72
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	5.8	73
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	5.9	73
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.9.1	74
किराये के साथ, प्रीमियम आदि पर स्वीकृत लीज प्रलेखों पर	5.9.2	75
ऐसे पट्टा प्रलेखों जिन पर किराया तो निश्चित किया गया परन्तु प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया	5.9.3	76
मुख्तयारनामा पर	5.9.4	76
विक्रय प्रलेखों का अपंजीयन	5.9.5	77
अध्याय-VI: राज्य आबकारी शुल्क		
कर प्रशासन	6.1	78
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	6.2	78
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	6.3	79
संग्रहण की लागत	6.4	80
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	6.5	80
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	6.6	81
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.7	82
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	6.8	83
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	6.9	83
कम्पोजिट दुकानों के लिए लाईसेंस फीस का कम आरोपण	6.9.1	83
परमिट फीस की अवसूली	6.9.2	84
अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ		
परिचय	7.1	85
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	7.2	85
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.3	87
राजस्व की प्रवृत्ति	7.4	88

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
कम्पनियों को अदेय लाभ	7.5	88
जल प्रभारों एवं ब्याज राशि की अवसूली/मांग कायमी का अभाव	7.6	89
अनुपयोगी/नकारा सामान के निस्तारण का अभाव	7.7	91
राजकीय आवास किराये की दोषी रहवासी अधिकारियों से वसूली का अभाव	7.8	92
भण्डार में कम पाई/चोरी गई सामग्री की वसूली का अभाव	7.9	92

प्रस्तावना

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क सहित राज्य की अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2009-10 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप की गई थी।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बन्धित ₹ 56.68 करोड़ के 26 अनुच्छेद तथा ₹ 179.32 करोड़ राजस्व सन्निहित की भूमि के आंक्टन/बिक्री और संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा, कुल ₹ 236 करोड़ सम्मिलित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2008-09 में ₹ 33,468.85 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 35,385.01 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 16,414.27 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 4,558.22 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 20,972.49 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 14,412.52 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग: ₹ 9,258.13 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान: ₹ 5,154.39 करोड़) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का 59 प्रतिशत एकत्रित कर सकी। वर्ष 2009-10 के दौरान कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य स्रोत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (₹ 9,681.38 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 2,300.48 करोड़), मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क (₹ 1362.94 करोड़), मोटर वाहनों पर कर (₹ 1,372.87 करोड़) तथा अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (1,612.26 करोड़) थे।

(अनुच्छेद 1.1)

दिसम्बर 2009 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 2,400 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 2,112.69 करोड़ सन्निहित के 6,765 अनुच्छेद विभिन्न विभागों द्वारा अनुपालना करने की प्रतीक्षा में 30 जून 2010 के अन्त तक बकाया थे। उपर्युक्त में से 621 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 244.05 करोड़ के 1,147 अनुच्छेद पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.2.1 तथा 1.3.1)

विभागों/सरकार ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 से 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 619.18 करोड़ सन्निहित की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिनमें से सितम्बर 2010 तक ₹ 132.89 करोड़ वसूल कर लिए गये थे।

(अनुच्छेद 1.2.5)

वर्ष 2009-10 के दौरान की गई मापक जाँच में 42,511 प्रकरणों में ₹ 1,554.36 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। सम्बन्धित विभागों ने 15,968 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 182.92 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 92.90 करोड़

सन्निहित के 7,789 प्रकरण वर्ष 2009-10 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने वर्ष 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा के आधार पर 3,770 प्रकरणों में ₹ 14.98 करोड़ वसूल किये।

(अनुच्छेद 1.5.1)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

प्रतिवर्ति कर व ब्याज के ₹ 85 लाख का कम आरोपण किया गया।

(अनुच्छेद 2.12.1)

कर योग्य पण्यावर्त के अवनिधारण के परिणामस्वरूप कर व ब्याज के ₹ 42.85 लाख का कम आरोपण किया।

(अनुच्छेद 2.12.2)

लघु सीमेन्ट संयंत्र को अनियमित छूट के कारण ₹ 77.63 लाख के कर व ब्याज का कम आरोपण किया गया।

(अनुच्छेद 2.13.2)

कर के प्रशमन की राशि की अनियमित छूट एवं कर की अन्तर राशि के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 60.41 लाख की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.13.3)

III. मोटर वाहनों पर कर

6,409 वाहन स्वामियों से मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर ₹ 13.94 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.8.1)

पंजीयन प्रमाण-पत्रों के समर्पण अवधि के दौरान संचालित राजस्थान राज्य परिवहन निगम के 25 मंजिली वाहनों पर विशेष पथकर तथा शास्ति की राशि ₹ 63.30 लाख का आरोपण नहीं किया।

(अनुच्छेद 3.8.2)

संनिर्माण उपस्कर वाहनों पर एकबारीय कर ₹ 28.97 लाख की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.8.3)

IV. भू-राजस्व

भूमि के आवंटन/बिक्री और संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली पर निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा के दौरान हमने पाया कि:

समुचित संस्थानिक प्रबन्धन के अभाव में, राज्य राजस्व में वृद्धि के लिये राज्य सरकार भूमि पर अतिक्रमण, इसके उपयोग और भूमि सुधारों की आवश्यकता से अनभिज्ञ रही। भू-संसाधनों को सही गति देने में सामूहिक प्रयासों की कमी और

संपरिवर्तन प्रभारों को त्वरित गति से प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की कमी के परिणामस्वरूप 2009-10 में राजस्व संग्रहण में कमी रही।

(अनुच्छेद 4.5.8.1)

निर्धारित समय के बाद 18 से 55 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी भू-व्यवस्थापन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, परिणामस्वरूप भूमि का मानचित्र नहीं बन सका एवम् भूमि के किराये का पुनर्निर्धारण नहीं हो सका।

(अनुच्छेद 4.5.8.2)

आठ मामलों में ₹ 64.19 करोड़ मूल्य की भूमि का विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण नहीं किया गया। यद्यपि 49 से अधिक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इसका आवंटित उद्देश्य पर उपयोग नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 4.5.9.2)

जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास, बीकानेर ने भूमि के विक्रय आगम की सरकार का अंश ₹ 7.91 करोड़ जमा नहीं कराया।

(अनुच्छेद 4.5.10.1)

भूमि की कीमत ₹ 255.60 करोड़ से कम निर्धारण के परिणामस्वरूप राज्यांश के रूप में ₹ 51.12 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 4.5.10.3)

केन्द्र सरकार के विभागों से भूमि की कीमत एवं रूपान्तरण प्रभारों की या तो वसूली न करने या कम दर से वसूली करने के परिणामस्वरूप ₹ 62.11 करोड़ की अवसूली/कम वसूली होना।

(अनुच्छेद 4.5.14)

राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए काम्पेक्ट डिस्क में प्रतिदिन वाले और पाक्षिक आंकड़े नहीं लिये गये।

(अनुच्छेद 4.5.21.7)

8 तहसीलों के 39 गाँवों में नामान्तरण को अद्यतन करने तथा जमाबन्दियों को तैयार करने में देरी थी।

(अनुच्छेद 4.5.21.11)

योजना में कमी के कारण केन्द्र सरकार द्वारा खसरा मानचित्रों के सूक्ष्म परीक्षण एवं अंकीकरण हेतु प्रदाय की गई सम्पूर्ण राशि ₹ 5.31 करोड़ अनुपयोगी रही।

(अनुच्छेद 4.5.21.12)

मार्च 2008 तक ₹ 30.49 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी भू-अभिलेख के रखरखाव एवं अभिलेख तैयार करने हेतु विश्वसनीय प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

(अनुच्छेद 4.5.23)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल ₹ 25.17 करोड़ कम आरोपित किये गये।
(अनुच्छेद 5.9.1.1)

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 0.55 करोड़ वसूल नहीं किये गये।
(अनुच्छेद 5.9.5)

VI. राज्य आबकारी शुल्क

48 कम्पोजिट दुकानों के लिए लाईसेंस फीस ₹ 1.51 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 6.9.1)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

जल संसाधन विभाग

ब्याज की वसूली को मूलधन की बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित कर कम्पनियों को ₹ 3.66 करोड़ का अदेय लाभ दिया गया।

(अनुच्छेद 7.5)

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 राजस्थान सरकार की राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्तियाँ तथा गत चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	• कर राजस्व	9,880.23	11,608.24	13,274.73	14,943.75	16,414.27
	• कर इतर राजस्व	2,737.67	3,430.61	4,053.93	3,888.46	4,558.22
	योग	12,617.90	15,038.85	17,328.66	18,832.21	20,972.49
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	5,300.08	6,760.37	8,527.60	8,998.47	9,258.13
	• सहायतार्थ अनुदान	2,921.21	3,792.96	4,924.36	5,638.17	5,154.39
	योग	8,221.29	10,553.33	13,451.96	14,636.64	14,412.52
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	20,839.19	25,592.18	30,780.62	33,468.85	35,385.01 ¹
4.	1 की 3 से प्रतिशतता	61	59	56	56	59

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 20,972.49 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का पिछले वर्ष के

¹ ब्यौरे के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2009-10 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ)

56 प्रतिशत के विरुद्ध 59 प्रतिशत रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान शेष 41 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से थी।

1.1.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व का संयोजन प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2009-10 में 2008-09 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर केन्द्रीय बिक्री कर	5,245.41 348.23	6,272.15 448.56	7,345.84 404.90	8,442.02 462.48	9,681.38 482.15	(+) 15 (+) 4
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,521.80	1,591.09	1,805.12	2,169.90	2,300.48	(+) 6
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	30.95	48.84	30.61	30.61	30.47	शून्य
	मुद्रांक-गैर-न्यायिक	638.95	863.74	1,316.41	1,137.54	1,104.79	(-) 3
	पंजीयन शुल्क	361.89	381.10	197.33	188.48	227.68	(+) 21
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	471.35	515.88	584.23	654.05	699.99	(+) 7
5.	मोटर वाहनों पर कर	908.18	1,023.61	1,164.40	1,213.56	1,372.87	(+) 13
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	236.71	247.60	160.61	189.87	176.10	(-) 7
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	0.25	0.06	0.04	0.04	0.04	शून्य
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	31.70	46.04	58.91	64.52	58.52	(-) 9
9.	भू-राजस्व	84.30	116.71	155.29	162.52	147.66	(-) 9
10.	अन्य कर	0.51	52.86	51.04	228.16	132.14	(-) 42
	योग	9,880.23	11,608.24	13,274.73	14,943.75	16,414.27	(+) 10

सम्बन्धित विभागों ने अन्तर के निम्नलिखित कारण बताये:

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर: समुचित अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों तथा कुछ वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि के कारण वृद्धि (15 प्रतिशत) हुई।

मोटर वाहनों पर कर: राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष मुहिम चलाने, परिवहन वाहनों से शास्ति तथा एकबारीय कर/एकमुश्त कर की वसूली के कारण वृद्धि (13 प्रतिशत) हुई।

अन्य कर: भूमि कर की दरों में 50 प्रतिशत की कमी करने के कारण कमी (42 प्रतिशत) हुई।

1.1.3 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये कर-इतर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2009-10 में 2008-09 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियों	990.21	1,072.72	1,112.43	1,195.96	1,185.45	(-) 1
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	40.07	45.24	58.30	57.74	56.35	(-) 2
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	814.08	1,196.52	1,226.61	1,275.59	1,612.26	(+) 26
4.	विविध सामान्य सेवाएं	305.87	528.28	919.72	580.33	739.30	(+) 27
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	46.79	60.56	57.92	54.16	48.83	(-) 10
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	16.70	30.62	39.11	36.87	56.55	(+) 53
7.	सहकारिता	14.79	22.23	27.01	18.13	21.03	(+) 16
8.	सार्वजनिक निर्माण	27.86	47.47	53.41	93.43	62.75	(-) 33
9.	पुलिस	75.86	42.61	94.81	71.43	126.24	(+) 77
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	54.02	54.84	54.71	49.57	49.12	(-) 1
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियों	351.42	329.52	409.90	455.25	600.34	(+) 32
	योग	2,737.67	3,430.61	4,053.93	3,888.46	4,558.22	(+) 17

सम्बन्धित विभागों ने अन्तर के निम्नलिखित कारण बताये:

अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग: वृद्धि (26 प्रतिशत) मुख्यतः खनिजों की रियायत फीस, किराये एवं रॉयल्टी की अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाएँ: वृद्धि (27 प्रतिशत) मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 से धारा 6अ को हटाने के बाद राजस्थान निर्धनता निधि से सम्बन्धित राशि को इस शीर्ष में हस्तान्तरित करने के कारण हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई: कमी (10 प्रतिशत) मुख्यतः सिंचाई एवं अन्य उद्देश्यों के लिए बेचे गये जल के प्रभारों में कम प्राप्ति के कारण हुई।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: वृद्धि (53 प्रतिशत) मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

सहकारिता: वृद्धि (16 प्रतिशत) मुख्यतः राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से सहायतार्थ अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुई।

सार्वजनिक निर्माण: कमी (33 प्रतिशत) मुख्यतः किराये की कम प्राप्ति तथा प्रतिशतता प्रभारों की कम वसूली के कारण हुई।

पुलिस: वृद्धि (77 प्रतिशत) मुख्यतः अन्य सरकारों एवं पार्टियों को पुलिस बल उपलब्ध कराने पर अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ: किराये, परिवहन सन्तुलन इत्यादि से अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (32 प्रतिशत) हुई।

1.2 लेखापरीक्षा की ओर सरकार की अनुक्रिया

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सरकार को सूचित की जाती हैं जिनके उत्तर उनको एक माह के अन्दर देने होते हैं। महत्वपूर्ण अनियमितताओं पर प्रारूप अनुच्छेद वित्त विभाग के साथ-साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को उत्तर भिजवाने के निवेदन के साथ अग्रेषित किये जाते हैं। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य निश्चित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये जाते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा के उपरान्त राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करना होता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर जन लेखा समिति की सिफारिशों पर क्रियान्वित टिप्पणियाँ भेजने हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कदम उठाने होते हैं।

1.2.1 जवाबदेयता लागू करना एवं राज्य सरकार के हित की रक्षा करना

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रख-रखाव का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की नमूना जाँच के लिए महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान, सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं जो निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिलिपि भेजते हुए जारी किये

जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2009 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 2,400 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 2,112.69 करोड़ सन्निहित के 6,765 अनुच्छेद जून 2010 के अन्त तक बकाया थे, जैसा कि गत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	जून 2008	जून 2009	जून 2010
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,335	2,502	2,400
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	6,435	6,918	6,765
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	1,554.58	1,391.66	2,112.69

30 जून 2010 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागानुसार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्यपरिवर्धित कर	403	1,452	426.47
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	28	34	8.84
		विद्युत कर	40	63	1.55
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	445	1,314	308.28
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	331	516	213.76
		भूमि एवं भवन कर	11	16	0.71
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	800	1,951	82.76
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	144	356	95.68
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	198	1,063	974.64
योग			2,400	6,765	2,112.69

दिसम्बर 2009 तक जारी 171 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होने वाली प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई थी (30 जून 2010)। उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण भारी संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य का सूचक है कि महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी कमियों, त्रुटियों एवं

अनियमितताओं को ठीक करने की कार्यवाही प्रारंभ करने में कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष असफल रहे।

हम सिफारिश करते हैं कि लेखापरीक्षा आक्षेपों पर शीघ्र एवं समुचित कार्यवाही करने हेतु एक प्रभावी प्रणाली शुरू करने के लिए सरकार उचित कदम उठाये तथा इसके साथ-साथ उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे जो निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में असफल रहे तथा राजस्व हानि/बकाया की वसूली के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करने में भी असफल रहे।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण के अनुश्रवण एवं शीघ्र प्रगति के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है। विभाग द्वारा एक वर्ष में कम से कम चार (प्रत्येक तिमाही में एक) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी होती हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु विभाग में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्यिक कर	3	शून्य	शून्य	शून्य
परिवहन	4	6	326	12.64
भू-राजस्व	1	27	248	16.86
पंजीयन एवं मुद्रांक	3	13	334	14.58
राज्य आबकारी	3	शून्य	शून्य	शून्य
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	1	शून्य	शून्य	शून्य
योग	15	46	908	44.08

वर्ष 2009-10 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी तथा खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा कोई भी लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई, यद्यपि, मामला सम्बन्धित विभागों के सचिवों के ध्यान में लाया गया था।

सरकार को लेखापरीक्षा समितियों की प्रणाली को सुदृढ़ करने के उचित उपाय करने चाहिए, जो अप्रभावी हो गई है।

1.2.3 विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर, उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। प्रारूप अनुच्छेद सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में आवश्यक रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद सम्बन्धित विभागों के सचिवों को जुलाई एवं अक्टूबर 2010 के मध्य प्रेषित किये गये थे। जारी किये गये 58 प्रकरणों (इस प्रतिवेदन के 27 अनुच्छेदों में संकलित) में से 37 प्रकरणों में लेखापरीक्षा अनुच्छेदों को विभागों ने स्वीकार किया।

1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही- संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के सम्बन्ध में अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राज्य विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये तथा 30 सितम्बर 2010 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है। वर्ष 2002-03 से 2008-09 की अवधि से सबन्धित कुल मिलाकर 176 अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर उन पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। हमने पाया कि परिशिष्ट 'ब' में दर्शायी 188 क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां 30 सितम्बर 2010 को बकाया थी।

1.2.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सरकार/विभागों ने ₹ 619.18 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों)

से ₹ 132.89 करोड़ की वसूली सितम्बर 2010 तक नीचे दशायिनुसार कर ली गई:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धन राशि	स्वीकार की गई धन राशि	की गई वसूली
2004-05	276.63	16.14	6.07
2005-06	352.81	116.90	24.76
2006-07	315.25	254.28	3.16
2007-08	666.55	165.12	82.01
2008-09	392.71	66.74	16.89
योग	2,003.95	619.18	132.89

गत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकार की गई राशि ₹ 619.18 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 132.89 करोड़ (21.46 प्रतिशत) ही वसूल हुए। स्वीकार की गई राशि की शीघ्र वसूली के प्रयास किये जाने चाहिए।

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों के बारे में अपनायी गई कार्य-प्रणाली

गत दस वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों तथा पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित समीक्षाओं पर विभागों/सरकार द्वारा की गई कार्यवाही नीचे दर्शायी गई है:

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

30 जून 2010 को निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति की संक्षिप्त स्थिति का विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1.7.2009 को प्रारंभिक राशय			वर्ष के दौरान वृद्धि ²			वर्ष के दौरान निलारण ³			अंतिम राशय		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2000-01 तक	105	173	7.24	-	-	-	29	55	1.35	76	118	5.89
2001-02	76	134	20.65	-	-	-	18	32	13.56	58	102	7.09
2002-03	117	212	12.57	-	-	-	25	69	4.16	92	143	8.41
2003-04	206	414	47.84	-	-	-	53	139	8.88	153	275	38.96
2004-05	301	709	207.88	-	-	-	59	200	24.18	242	509	183.70
2005-06	318	819	330.86	-	-	-	52	173	118.33	266	646	212.53
2006-07	392	1,127	251.63	-	-	-	56	260	73.43	336	867	178.20
2007-08	459	1,479	255.03	-	-	-	74	457	80.14	385	1,022	174.89
2008-09	389	1,577	333.02	154	672	322.19	72	505	173.04	471	1,744	482.17
2009-10	-	-	-	344	1,495	858.94	23	156	38.09	321	1,339	820.85
योग	2,363	6,644	1,466.72	498	2,167	1,181.13	461	2,046	535.16	2,400	6,765	2,112.69

² जुलाई 2008 से जून 2009 के मध्य की गई लेखापरीक्षा, जिनके निरीक्षण प्रतिवेदन जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 के दौरान जारी किये गये।

³ जुलाई 2009 से जून 2010 ।

दिसम्बर 2009 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शित करते हैं कि 621 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 244.05 करोड़ के 1,147 अनुच्छेद अनुपालना के अभाव में पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे।

1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये मामलों पर विभागों/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकार किए गए प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित, विभागों द्वारा स्वीकार किए गए अनुच्छेदों तथा 30 सितम्बर 2010 तक वसूल की गई राशि की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की राशि	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों की राशि	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत प्रकरणों में कुल वसूली की स्थिति
1999-00	37	293.24	उपलब्ध नहीं	24.03	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2000-01	44	421.94	उपलब्ध नहीं	39.29	शून्य	22.54
2001-02	45	448.86	36	99.65	शून्य	30.52
2002-03	46	382.52	36	220.03	शून्य	62.83
2003-04	31	381.48	30	234.77	0.02	49.52
2004-05	27	276.63	23	16.14	0.11	6.07
2005-06	39	352.81	25	116.90	3.62	22.18
2006-07	41	315.25	22	254.28	0.30	3.16
2007-08	39	666.55	30	165.12	0.82	82.01
2008-09	48	392.71	14	66.74	16.85	16.89
योग	397	3,931.99	216	1,236.95	21.72	295.72

वर्ष 1999-2000 से 2008-09 के दौरान ₹ 3,931.99 करोड़ सन्निहित के 397 अनुच्छेद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित थे। सरकार/विभागों ने ₹ 1,236.95 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से गत 10 वर्षों के दौरान केवल ₹ 295.72 करोड़ (24 प्रतिशत) ही वसूल किये गये (30 सितम्बर 2010)।

अनुच्छेदों के निस्तारण एवं सन्निहित राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

1.3.2.2 विभिन्न समीक्षाओं में दर्शायी गई सिफारिशों पर कार्यवाही करना

सरकार से अपेक्षा है कि महालेखाकार द्वारा की गई विभिन्न समीक्षाओं में दर्शाई गई स्वीकार्य सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही करें। गत पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आठ विभागों की 10 समीक्षाओं में दर्शायी गई स्वीकार्य सिफारिशों

पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति परिशिष्ट 'स' में दर्शायी गयी है। सरकार को इसमें अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ करने, नये दिशा-निर्देश जारी करने, प्रभारों/फीस की वसूली के मामलों में पुनः परीक्षण करने आदि की कार्यवाही करना सम्मिलित है।

1.4 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के अलावा सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन, जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टता, गत पाँच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा किया गया क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध सभी 954 इकाइयों में से वर्ष 2009-10 के दौरान 510 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनायी तथा लेखापरीक्षा की गई, जो लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध इकाइयों की 53 प्रतिशत है। इस अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त एक निष्पादन समीक्षा भी इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता जाँचने के लिए की गई थी।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, परिवहन, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 510 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2009-10 के दौरान की गई मापक जाँच में 42,511 प्रकरणों में ₹ 1554.36 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 182.92 करोड़ के 15,968 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 92.90 करोड़ सन्निहित के 7,789 प्रकरण वर्ष 2009-10 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2009-10 के दौरान विभागों ने 3,770 प्रकरणों में ₹ 14.98 करोड़ संग्रहित किये।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 56.68 करोड़ के 26 अनुच्छेद (ऊपर सन्दर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्व वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा खोजे गये, जिन्हें पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया, में से चयनित) तथा ₹ 179.32 करोड़ वित्तीय प्रभाव सन्निहित की “भूमि के आवंटन/बिक्री और संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली” विषय पर एक दक्षता लेखापरीक्षा समीक्षा (कुल ₹ 236 करोड़) सम्मिलित की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 64.05 करोड़ सन्निहित की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 3.51 करोड़ वसूल कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2010)। इन पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गई है।

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

राजस्थान में मूल्य परिवर्धित कर के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (रा.मू.प.क.अ.), जो 1.4.2006 से लागू है, द्वारा शासित होते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्तर-राज्य बिक्री के मामलों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के.बि.क.अ.) एवं उसके अधीन निर्मित नियम भी प्रचलन में हैं।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विभाग स्तर पर बिक्री/मूल्य परिवर्धित कर के प्रशासन के लिये उत्तरदायी है जबकि सचिव, वित्त विभाग, शासन स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों को लागू करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता हेतु छः अतिरिक्त आयुक्त, 29 उपायुक्त, 48 सहायक आयुक्त, 101 वाणिज्यिक कर अधिकारी और 323 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं।

2.2 बजट तैयारियों का विश्लेषण

वर्ष 2009-10 तक समाप्त गत पांच वर्षों का 'बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर' शीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान निम्न प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अन्तर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत
2005-06	5,425.00	5,500.00	(+) 75	(+) 1.38
2006-07	6,240.00	6,650.00	(+) 410	(+) 6.57
2007-08	7,676.00	7,600.00	(-) 76	(-) 0.99
2008-09	8,500.00	9,100.00	(+) 600	(+) 7.06
2009-10	10,030.00	10,200.00	(+) 170	(+) 1.69

बजट अनुमान मुद्रा स्फीति प्रवृत्ति व सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखकर तैयार किये गये थे। वर्ष 2005-10 में बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान में मामूली विचलन (-) 1 से (+) 7 प्रतिशत रहा। उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण वस्तुओं की कर दरों में बदलाव होना रहा।

2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति


वाणिज्यिक कर विभाग की वर्ष 2005-06 से 2009-10 की वास्तविक प्राप्तियों के

साथ इसी अवधि की राज्य की कुल कर प्राप्तियों निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर अधिक (+)/कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्त का कुल कर प्राप्त पर प्रतिशत
2005-06	5,500.00	5,593.64	(+) 93.64	(+) 1.70	9,880.23	56.61
2006-07	6,650.00	6,720.71	(+) 70.71	(+) 1.06	11,608.24	57.90
2007-08	7,600.00	7,750.74	(+) 150.74	(+) 1.98	13,274.73	58.39
2008-09	9,100.00	8,904.50	(-) 195.50	(-) 2.15	14,943.75	59.59
2009-10	10,200.00	10,163.53	(-) 36.47	(-) 0.36	16,414.27	61.92

वर्ष 2009-10 के दौरान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों (बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की प्राप्तियों को छोड़कर) को निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है:



वाणिज्यिक कर विभाग की प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों की 57 से 62 प्रतिशत रही। इस मद के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रहण में सतत वृद्धि रही और संग्रहण की प्रतिशतता में राज्य की कुल प्राप्तियों के सन्दर्भ में अवधि 2005-06 से 2009-10 में बढ़ोत्तरी हुई।

2.4 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2010 को राजस्व की बकाया राशि ₹ 2,457.05 करोड़ थी जिसमें से ₹ 759.61 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। निम्नलिखित सारणी

में 31 मार्च 2010 को राजस्व के बकाया की स्थिति दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	1.4.2009 को बकाया का प्रारंभिक शेष	वर्ष 2009-10 के दौरान संग्रहित की गई राशि	31.3.2010 को बकाया का अन्तिम शेष
2004-05 तक	818.35	58.74	759.61
2005-06	151.24	11.10	140.14
2006-07	282.76	83.29	199.47
2007-08	553.08	199.17	353.91
2008-09	1,877.70	873.78	1,003.92
योग	3,683.13	1,226.08	2,457.05

वर्ष 2008-09 तक कुल बकाया राशि ₹ 2,457.05 करोड़ रही। 5 वर्ष से अधिक बकाया ₹ 759.61 करोड़ की वसूली की सम्भावना कम है।

हम अनुशांसा करते हैं कि राज्य सरकार को बकाया की वसूली के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

2.5 मूल्य परिवर्धित कर की प्रति करदाता लागत

निम्नलिखित विवरण गत पांच वर्षों के दौरान बिक्री कर/मूल्य परिवर्धित कर की प्रति करदाता लागत दर्शाता है:

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर राजस्व (₹ करोड़ में)	प्रति करदाता राजस्व (₹ प्रति लाख)
2005-06	2,58,614	5,593.64	2.16
2006-07	3,00,909	6,720.21	2.23
2007-08	3,19,537	7,750.74	2.43
2008-09	3,44,852	8,904.50	2.58
2009-10	3,76,688	10,163.53	2.70

2.6 कर निर्धारण में बकाया

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान कर निर्धारण के लम्बित प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	निर्धारण योग्य नये प्रकरण	योग	निपटाये गये प्रकरण	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण
2005-06	64,830	1,90,787	2,55,617	2,54,740	877
2006-07	877	2,43,771	2,44,648	2,43,618	1,030
2007-08	1,030	2,57,923	2,58,953	2,57,609	1,344
2008-09	1,344	2,54,289	2,55,633	2,55,262	371
2009-10	371	3,03,950	3,04,321	3,04,217	104

अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द 'निर्धारण' का आशय विवरणियों का स्व-निर्धारण निपटान या विभाग द्वारा निपटान माना जाए। विभाग द्वारा कितने प्रकरणों का कर लेखापरीक्षा हेतु चयन किया और कर लेखापरीक्षा पूर्ण की गई, सूचित नहीं किया गया, क्योंकि उनके द्वारा लेखापरीक्षा हेतु किसी भी प्रकरण का चयन नहीं किया गया।

2.7 संग्रहण की लागत

राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान संग्रहण व्यय के सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2005-06	5,593.64	52.42	0.94	0.91
2.	2006-07	6,720.71	60.05	0.90	0.82
3.	2007-08	7,750.74	53.76	0.70	0.83
4.	2008-09	8,904.50	70.21	0.80	0.88
5	2009-10	10,163.53	85.90	0.85	उपलब्ध नहीं

2.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

वर्ष 2008-09 तक के गत पांच वर्षों में, लेखापरीक्षा ने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 396.15 करोड़ राजस्व प्रभाव के 47 अनुच्छेद अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, पण्यवर्त को छिपाना/कर की गलत दर लगाना, कर की गलत गणना इत्यादि से सम्बन्धित दर्शाये। इनमें से ₹ 173.37 करोड़ के 28 अनुच्छेदों को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया और जिनमें से ₹ 3.66 करोड़ की वसूली कर ली गई जिसका विवरण नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2004-05	6	98.45	4	3.06	4	1.59
2005-06	14	100.98	8	8.00	3	1.30
2006-07	11	150.60	6	144.26	2	0.09
2007-08	5	17.88	2	0.26	2	0.23
2008-09	11	28.24	8	17.79	5	0.45
योग	47	396.15	28	173.37	16	3.66

स्वीकार की गई राशि से वसूली कम है क्योंकि कुछ प्रकरणों में मांग व्यवहारी के विरुद्ध लम्बित थी जिनका अता-पता नहीं था जबकि अन्य प्रकरणों में वसूली, विभिन्न स्तरों पर लम्बित थी। स्वीकार की गई राशि की वसूली एवं बकाया अनुच्छेद का प्रयास करके निपटान करने की आवश्यकता है।

2.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का वित्तीय सलाहकार प्रमुख होता है। विभाग में, 13 आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं और प्रत्येक का सहायक लेखाधिकारी नेतृत्व करता है। इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना उसकी महत्ता एवं अर्जित राजस्व के आधार पर की जाती है। विगत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार रही:

वर्ष	लम्बित इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का बकाया होना	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों	लेखापरीक्षा में बकाया इकाई	प्रतिशत कमी
2005-06	0	443	443	441	2	0.50
2006-07	2	443	445	445	-	-
2007-08	0	443	443	378	65	15
2008-09	65	396	461	357	104	23
2009-10	104	393	497	299	198	40

वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान 15 से 40 प्रतिशत आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादन में कमी रही।

हमें यह भी ध्यान में आया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा के वर्ष 2009-10 के अन्त तक बकाया 17,386 अनुच्छेदों के निपटान के लिए विभाग ने गम्भीर प्रयास नहीं किये। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2004-05 तक	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
अनुच्छेदों की संख्या	6,279	2,096	2,189	2,203	2,162	2,457	17,386

हमने पाया कि वर्ष 2004-05 तक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 6,279 अनुच्छेद बकाया थे। इस प्रकार आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने से आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण के लिए एक आवश्यक हिस्सा है। अधिनियम व नियमों की अनुपालना कराने एवं राजस्व की छीजत रोकने हेतु सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों को मजबूत करने का विचार करना चाहिए।

2.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

बिक्री कर/मूल्य परिवर्धित कर से सम्बन्धित 79 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में, हमने 1533 प्रकरणों में ₹ 35.05 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताये पायी, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	99	5.43
2.	अनियमित छूट प्रदान करना	153	4.88
3.	कर योग्य पण्यावर्त का निर्धारण नहीं करना	309	4.23
4.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	93	3.24
5.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	102	0.66
6.	क्रय कर का अनारोपण	01	0.04
7.	अन्य अनियमितताये	776	16.57
योग		1,533	35.05

वर्ष 2009-10 के दौरान, विभाग ने 477 प्रकरणों में ₹ 18.42 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 0.86 करोड़ के 138 प्रकरण वर्ष 2009-10 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2009-10 के दौरान 83 प्रकरणों में ₹ 3.25 करोड़ वसूल किये जिनमें से ₹ 21.88 लाख के 18 प्रकरण वर्ष 2009-10 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

प्रारूप अनुच्छेद जारी होने के पश्चात् विभाग ने ₹ 5.65 लाख एक आक्षेप के सम्बन्ध में वसूल कर लिये, जो 2009-10 में ध्यान में लाया गया था।

₹ 4.42 करोड़ के कुछ उदाहरणार्थ लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

2.11 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

वाणिज्यिक कर विभाग में हमने बिक्री कर/मूल्य परिवर्धित कर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में, अधिनियमों/नियमों की अनुपालना नहीं करने के विभिन्न प्रकरण, कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत गणना करना, आगत कर क्रेडिट की गलत छूट, कर का गलत आस्थगन, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम/ राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन कर की रियायती दर गलत लगाना ज्ञात हुए। इनमें से कुछ कमियाँ हमारे द्वारा पिछले वर्षों में भी दर्शाई गई थी, लेकिन न केवल अनियमिततायें विद्यमान हैं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों के दोहराने से बचा जा सके।

2.12 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम/ राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियमों एवं नियमों में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

- (क) जहाँ आगत कर क्रेडिट (आ.क.क.) का गलत अनुज्ञात था, उनमें प्रतिवर्ती कर का आरोपण करना;
- (ख) कर योग्य पण्यवर्त में अन्तर-राज्य व्यापार के दौरान बिक्री या खरीद को शामिल करके कर का आरोपण करना;
- (ग) निर्धारित दरों पर कर का आरोपण करना;
- (घ) राज्य के अन्दर पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय पर आगत कर क्रेडिट स्वीकृत करना; तथा
- (ङ) निर्धारित दरों पर ब्याज का आरोपण करना।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुच्छेद 2.12.1 से 2.12.5 के मामलों में उपरोक्त कुछ प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ के कर/ब्याज का आरोपण/कम आरोपण/अवसूली हुई।

2.12.1 प्रतिवर्ती कर

राज्य सरकार द्वारा 31.3.2006 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 18 (4) के तहत व्यवहारी को आगत कर क्रेडिट छूट की अनुमति दी, राज्य के अन्दर माल के क्रय पर चार प्रतिशत से अधिक कर भुगतान पर (i) जो कि राज्य के बाहर स्टॉक/शाखा/डिपो स्थानान्तरण या (ii) विनिर्माता द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने और निर्मित माल के राज्य के बाहर स्टॉक/शाखा/डिपो स्थानान्तरण। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के अनुसार निर्माता द्वारा कर मुक्त माल के निर्माण की दशा में राज्य के भीतर किसी भी प्रकार के करयोग्य माल के क्रय पर आगत कर क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसी मामले में आगत कर क्रेडिट के गलत लेने पर, प्रतिवर्ती कर का आरोपण किया जायेगा।

चार कार्यालयों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में (नवम्बर 2009 और फरवरी 2010 के मध्य) हमने पाया कि वर्ष 2006-07 में छः व्यवहारियों के अन्तिम निर्धारण में, निर्धारण प्राधिकारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ती कर का आरोपण करने में असफल रहे। जिसके परिणामस्वरूप

निम्नानुसार प्रतिवर्ती कर एवं ब्याज ₹ 0.85 करोड़ का कम आरोपण हुआ:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम (व्यवहारियों की संख्या)	निर्धारण वर्ष का माह	पण्यावर्त/ क्रय	शाखा हस्तान्तरण और/या कर मुक्त बिक्री (पण्यावर्त का प्रतिशत)	ब्याज और प्रतिवर्ती कर (टी) ब्याज (आई) प्रतिवर्ती कर	ब्याज व का कर कम आरोपण	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विशेष वृत्त भीलवाड़ा (1)	2006-07 मार्च 2009	30.21	6.47 (21.40)	टी-0.16 -	0.16	सरकार को मार्च 2010 में प्रकरण सूचित किये गये थे। सरकार ने सूचित (जुलाई 2010) किया कि आगत कर क्रेडिट की अधिक जमा राशि ₹ 16.19 लाख प्रतिवृत्त कर दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	सहायक आयुक्त, रायसिंहनगर (3)	2006-07 अगस्त 2008 और मार्च 2009	4.29	-	टी-0.10 -	0.10	सरकार को मार्च 2010 में प्रकरण सूचित किये गये। सरकार ने सूचित (अगस्त 2010) किया कि राशि ₹ 4.37 लाख वसूल कर लिये गये। यद्यपि वसूली की शेष रही राशि का विवरण प्रतीक्षित है।
3.	विशेष वृत्त-II, जोधपुर (1)	2006-07 जून 2008	25.07	11.83 (47.19)	टी-0.47 आई-0.05 0.34 -	0.18	सरकार को अप्रैल 2010 में प्रकरण सूचित किये गये। जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।
4.	वृत्त 'ए' भिवाडी (1)	2006-07 मार्च 2009	-	10.28	टी-0.41 -	0.41	सरकार को अप्रैल 2010 में प्रकरण सूचित किये गये। जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।
योग			59.57		1.19 0.34	0.85	

2.12.2 कर योग्य पण्यवर्त का अवनिर्धारण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 4 और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, अन्तर राज्य व्यापार के दौरान क्रय या विक्रय को शामिल करते हुए विभिन्न वस्तुओं पर लागू कर की दर करयोग्य पण्यवर्तों के अनुसार निर्धारित की गई। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 55 के अनुसार विलम्ब से कर भुगतान पर ब्याज की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त धारा 2 (36) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर के अनुसार *भूतलक्षी प्रभाव* से छूट की अनुमति या प्रोत्साहन या छूट या ईनाम इत्यादि को बिक्री मूल्य से अलग नहीं किया जा सकता।

या कर पण्यवर्त कम आंका गया। यह विक्रय मूल्य में *भूतलक्षी प्रभाव* से प्रदत्त व्यापार बट्टा एवं छूट शामिल नहीं करने और क्रय मूल्य के वास्तविक आंकड़ों

तीन कार्यालयों के निर्धारण अभिलेख की मापक जांच में (सितम्बर 2009 और अक्टूबर 2009 के मध्य) पाया गया कि 15 व्यवहारियों के 2006-07 के अन्तिम निर्धारण में, निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा या तो करयोग्य पण्यवर्त पर कर की गलत दर लागू की

पर ध्यान नहीं देने के कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.85 लाख के कर एवं ब्याज का कम आरोपण हुआ:

क्र. सं.	वृत्त का नाम	निर्धारण वर्ष/निर्धारण का माह	व्यवहारियों की संख्या	संक्षेप में अभ्युक्ति
1.	वृत्त 'ए' अलवर और वृत्त 'बी' भीलवाड़ा	2006-07 मार्च 2009	14	स्पष्ट प्रावधान के बावजूद कर योग्य आंकड़ों में स्वीकृत बढ़ा या छूट के भूतलक्षी प्रभाव को निर्धारण प्राधिकारी ने मोबाइल सेट, सीमेन्ट, टायर-ट्यूब्स और फ्रिज के 14 व्यवहारियों के ₹ 30.72 करोड़ के करयोग्य पण्यावर्त/ ₹ 4.15 करोड़ के विक्रय मूल्य में असफल रहे। करयोग्य पण्यावर्त के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 2.37 लाख ब्याज के अलावा ₹ 25.59 लाख कम आरोपित किये गये।
2.	विशेष वृत्त-V, जयपुर	2006-07 मार्च 2009	1	एक व्यवहारी ने वर्ष 2006-07 के दौरान ₹ 5.45 करोड़ का वास्तविक क्रय राज्य के बाहर से किया, जबकि इसके एवज में कुल पण्यावर्त ₹ 2.73 करोड़ का दर्शाया। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये पण्यावर्त को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। ₹ 2.72 करोड़ के करयोग्य पण्यावर्त के कम निर्धारण के फलस्वरूप ₹ 10.87 लाख के कर एवं ₹ 4.02 लाख के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा ध्यान में लाने पर निर्धारण प्राधिकारी (वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-'ए' अलवर) ने 13 प्रकरणों में ₹ 21.24 लाख की मांग कायम (अक्टूबर 2010) की गई और सहायक आयुक्त, वृत्त 'बी' भीलवाड़ा ने मामले में सूचित किया (जून 2010) कि व्यवहारी द्वारा ₹ 12.39 लाख अधिक जमा को समायोजित कर लिया गया और शेष राशि ₹ 15,637/- सरकारी खाते में जमा करा दिए गए। विशेष वृत्त V जयपुर के मामले में सरकार ने माना (जुलाई 2010) कि व्यवहारी का वर्ष 2006-07 का कुल सकल पण्यावर्त ₹ 5.45 करोड़ और करयोग्य पण्यावर्त ₹ 1.32 करोड़ था। आगे की गई कार्यवाही पर उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2010)।

2.12.3 कर की गलत दर लगाना

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं के लिये विभिन्न कर की दरों का निर्धारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 4 और 8 के अन्तर्गत 31.3.2006 को अधिसूचना जारी की। जिन वस्तुओं पर करों की दरों का निर्धारण नहीं किया गया वहां सामान्य दर 12.5 प्रतिशत से करारोपण करना था। इसके अतिरिक्त, कर भुगतान में देरी की दशा में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज आरोपण योग्य था।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-V जयपुर के वर्ष 2008-09 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया (अक्टूबर 2009) कि एक व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006-07 में ₹ 8.87 करोड़ के मोटर पार्ट्स (₹ 6.36 करोड़) और ट्रेक्टर पार्ट्स (₹ 2.51 करोड़) की अन्तर-राज्य खरीद की गई। चूंकि प्रवेश कर मोटर पार्ट्स

पर आरोपणीय है न कि ट्रेक्टर पार्ट्स पर, अतः व्यवहारी ने मोटर पार्ट्स (डीजल इंजन और पार्ट्स शामिल) की खरीद ₹ 6.36 करोड़ पर एक प्रतिशत प्रवेश कर का भुगतान किया। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान कुल बिक्री राशि ₹ 9.21 करोड़ (कुल क्रय: ₹ 8.87 करोड़ और फायदा: ₹ 0.34 करोड़) की गई इसमें मोटर पार्ट्स (₹ 4.74 करोड़), ट्रेक्टर पार्ट्स (₹ 2.67 करोड़) और डीजल इंजन पार्ट्स (₹ 1.80 करोड़) शामिल थे। व्यवहारी द्वारा मोटर पार्ट्स और ट्रेक्टर पार्ट्स/डीजल इंजन की बिक्री पर क्रमशः 12.5 प्रतिशत और चार प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया। व्यवहारी द्वारा ₹ 1.80 करोड़ राशि के डीजल इंजन पार्ट्स की खरीद को मोटर पार्ट्स मानते हुये एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का भुगतान किया, जबकि उनको डीजल इंजन पार्ट्स मानते हुये सामान्य दर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत पर बेचा गया। व्यवहारी द्वारा चार प्रतिशत की दर से कर जमा कराया। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मार्च 2009 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते हुये ₹ 1.80 करोड़ के डीजल इंजन पार्ट्स मानते हुये बिक्री पर सामान्य दर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत कर का आरोपण किया। (जो कि व्यवहारी द्वारा मोटर पार्ट्स मानते हुये खरीद की गई) जिसके कारण डीजल इंजन पार्ट्स की बिक्री पर कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 5.65 लाख के अतिरिक्त ₹ 15.26 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामला (अक्टूबर 2009) में ध्यान में लाने पर विभाग ने सूचित (अप्रैल 2010) किया कि व्यवहारी ने 12.5 प्रतिशत की दर से कर जमा कराया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यवहारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर के बजाय चार प्रतिशत की दर से कर जमा कराया गया है। व्यवहारी ने माल को डीजल इंजन पार्ट्स के रूप में दर्शाया है जो कि गलत है, क्योंकि व्यवहारी ने मोटर पार्ट्स मानते हुए इन पर प्रवेश कर चुकाया गया।

हमने सरकार को गलती सूचित की (अप्रैल 2010) उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

2.12.4 कम दर से कर का आरोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.3.2005 के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 में 'पोहा' पर चार प्रतिशत कर की दर निर्धारित की।

कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-बी, कोटा के वर्ष 2007-09 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया (जून 2009) कि पांच व्यवहारियों ने राज्य के बाहर से 'धान' की खरीद की, इसको प्रोसेसिंग करने के पश्चात् ₹ 2.54 करोड़ के पोहा का वर्ष 2005-06 के दौरान विक्रय किया

और अधिसूचना दिनांक 20.4.2005 के अन्तर्गत चावल मानते हुए एक प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया। 'पोहा' एक भिन्न वस्तु है और इस पर अधिसूचना 24.3.2005 के अनुसार चार प्रतिशत की दर से कर देय था। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अन्तिम निर्धारण करते समय (सितम्बर 2007 और फरवरी 2008 के मध्य) उक्त व्यवहारियों के सम्बन्धित वर्षों के कर निर्धारण में गलत दर स्वीकृत करते हुये चार प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.96 लाख (कर: ₹ 7.61 लाख + ब्याज: ₹ 3.35 लाख) का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने (जुलाई 2009) के पश्चात् विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2009) कि ₹ 10.96 लाख की मांग कायम कर दी गई और व्यवहारी निर्धारण के विरुद्ध अपील में गये हैं।

हमने मामला सरकार को सूचित किया (मार्च 2010), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

2.12.5 आगत कर क्रेडिट की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 2 (17) के अनुसार, आगत कर का अर्थ किसी पंजीकृत व्यवहारी से किये गये किसी भी माल के क्रय पर किसी कारोबार के अनुक्रम में पंजीकृत व्यवहारी द्वारा संदत्त या संदेय कर अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, आगत कर क्रेडिट किसी पंजीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर किये गये किसी भी करयोग्य माल के संबंध में पंजीकृत व्यवहारियों को ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उसके प्रयोजन के लिये अनुज्ञात किया जायेगा।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त 'ए' बीकानेर के वर्ष 2008-09 निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में, हमने पाया (अगस्त 2009) कि एक व्यवहारी ने ₹ 3.77

करोड़ के चना एवं ग्वार की राज्य से बाहर के व्यवहारी से खरीद की और इस पर ₹ 10.88 लाख का आगत कर क्रेडिट लिया। राज्य से बाहर की खरीद पर आगत कर क्रेडिट नहीं मिलता फिर भी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अन्तिम निर्धारण (मार्च 2009) में व्यवहारी को अनियमित आगत कर क्रेडिट को अनुज्ञात किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.88 लाख के आगत कर क्रेडिट का अनियमित स्वीकृत किया।

हमारे द्वारा विभाग को गलती ध्यान में लाई गई (सितम्बर 2009) और सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2010) उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

2.13 अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

सरकारी अधिसूचनाओं में निम्नानुसार प्रावधान है:

- (क) कर मुक्त इकाइयों को आगत कर क्रेडिट कम करने के बाद छूट की स्वीकृति;
- (ख) योग्य इकाइयों को प्रशमन का लाभ स्वीकृत करना जिन्होंने निर्धारित देय दिनांक तक आवेदन किया; तथा
- (ग) सर्राफा व्यवहारियों को कुछ उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने पर प्रशमन योजना का लाभ देना।

अभिलेखों की मापक जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुच्छेद 2.13.1 से 2.13.3 के मामलों में उपरोक्त अधिसूचनाओं के कुछ प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ का कर/ब्याज का आरोपण/कम आरोपण/अवसूली हुई।

2.13.1 कर का गलत आस्थगन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 20 (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों को कर में छूट का लाभ, राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर औद्योगिक छूट योजना (प्रोत्साहन योजना) 1998, कर के भुगतान को आस्थगन छूट अनुज्ञात करती है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 17 में 'संदत्त कर' का अर्थ व्यवहारी द्वारा अधिनियम के अनुसार आरोपणीय कर आगत कर क्रेडिट से कम होगा।

2.13.1.1 वाणिज्यिक कर विभाग वृत्त 'ए' भिवाड़ी के अवधि 2008-09 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में, हमने पाया (जनवरी 2010) कि एक इकाई जो प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत वर्ष 2006-07 में आरोपण कर ₹ 2.38 करोड़ में से आगत कर क्रेडिट के ₹ 2.77 करोड़ कम करने के बाद वर्ष

2006-07 का संदत्त कर शून्य था। निर्धारण प्राधिकारी ने कर के भुगतान ₹ 1.15 करोड़ (मू.प.कर: ₹ 21.45 करोड़ और के.बि.कर: ₹ 93.17 लाख) उपरोक्त प्रावधानों के विरुद्ध आस्थगन किया। जिसके परिणामस्वरूप करदाता को गलत फायदा पहुंचा।

हमारे द्वारा विभाग को गलती ध्यान में लाई गई (फरवरी 2010) और सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2010), उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

2.13.1.2 सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-II] जोधपुर के वर्ष 2008-09 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में हमने पाया (फरवरी 2009) कि एक व्यवहारी की इकाई- II प्रोत्साहन योजना 1998 के अन्तर्गत कर मुक्त थी। व्यवहारी के विकल्प पर इकाई- II को कर दायित्व को आस्थगन (1.4.2006 से 12.6.2006 से 60 प्रतिशत और 13.6.2006 से 31.3.2007 से 50 प्रतिशत) को दिनांक 5.9.2006 को स्वीकृत किया। हमने इकाई- II के मामले में पाया कि वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 39.20 लाख संदत्त कर में से आगत कर क्रेडिट अनुपातिक राशि ₹ 24.56 लाख नहीं घटाई गई। संदत्त कर के आधार पर ₹ 7.60 लाख का कर आस्थगन अनुज्ञात था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जनवरी 2009 में अन्तिम निर्धारण के दौरान ₹ 7.60 लाख के स्थान पर ₹ 20.36 लाख का कर आस्थगन अनुज्ञात किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.10 लाख ब्याज के अतिरिक्त ₹ 12.76 लाख का कर आस्थगन अधिक अनुज्ञात किया गया।

हमारे द्वारा विभाग को गलती ध्यान में लायी गई (मार्च 2010) और सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2010), उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

2.13.2 कार्यरत लघु सीमेन्ट संयंत्र को गलत कर छूट देना

दिनांक 11.7.2006 को अधिसूचना जारी कर, राज्य सरकार ने लघु सीमेन्ट संयंत्र के लिये प्रशमन कर आरोपण योजना 2006 अधिसूचित की। इस योजना के अन्तर्गत, पंजीकृत व्यवहारियों जिन्हें लघु सीमेन्ट संयंत्रों की स्वीकृति दी गई, वो अपने कर दायित्वों के लिये प्रशमन विकल्प ले। वर्तमान में कार्यरत लघु सीमेन्ट संयंत्र आदि इस योजना को लेना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारण प्राधिकारी को अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर या अगले 30 दिन समाप्त होने से पूर्व वार्षिक प्रशमन राशि के 50 प्रतिशत राशि को पेनल्टी के रूप में देते हुये विकल्प देवे। अधिसूचना जारी होने के 60 दिन समाप्त होने के बाद (8.9.2006) प्रशमन योजना में प्रवेश करने का कोई प्रावधान नहीं था।

वर्तमान कार्यरत लघु सीमेन्ट संयंत्र (200 टन प्रतिदिन उत्पाद क्षमता) का अर्थ योजना के प्रभावी रहने के दौरान संयंत्र स्थापित होना और उत्पादनरत होना है।

वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत्त-VII जयपुर (अब विशेष वृत्त VI जयपुर) के वर्ष 2008-09 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में हमने पाया (जनवरी 2010) कि एक कार्यरत लघु सीमेन्ट संयंत्र जिसकी 200 टन प्रतिदिन उत्पाद क्षमता थी, उसके मालिक ने इस योजना का विकल्प दिनांक 29.9.2006 को दिया जो निर्धारित अवधि 60 दिन बाद था (दिनांक 8.9.2006 के बाद) जिसके लिये प्रशमन प्रमाण-पत्र माह अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 के लिये जारी किया गया। निर्धारण प्राधिकारी को देय दिनांक के बाद प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने का अधिकार नहीं था फिर भी आवेदन स्वीकार किया और अनियमित तरीके से प्रशमन प्रमाण-पत्र जारी किया। व्यवहारी द्वारा सीमेन्ट के विक्रय मूल्य

₹ 5.24 करोड़ पर आरोपणीय कर ₹ 65.45 लाख (12.5 प्रतिशत की दर से) के बजाय ₹ 9.60 लाख का प्रशमन कर जमा कराया। जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 के दौरान ₹ 55.85 लाख कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त ब्याज के ₹ 21.78 लाख भी आरोपणीय है।

हमारे द्वारा ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने कहा (अगस्त 2010) ₹ 78.94 लाख की मांग कायम कर दी गई। वसूली से सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

2.13.3 कर दायित्व के स्थान पर प्रशमन कर की गलत स्वीकृति

दिनांक 6.5.2006 की अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने 'सर्राफा व्यवहारी के लिये प्रशमन योजना' अधिसूचित की जिसमें व्यवहारी कुछ निर्धारित शर्तों की पालना करने पर उनके कर दायित्व के स्थान पर प्रशमन योजना का विकल्प अनुज्ञात करे। किसी मामले में, व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों में उल्लंघन की दशा में, योजना के अनुबन्ध 7.6 के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकारी प्रशमन प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकता है और इस मामले में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

सहायक आयुक्त, वृत्त बी जयपुर के वर्ष 2008-09 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में हमने पाया कि प्रशमन योजना के प्रावधानों पर निगरानी की कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। सर्राफा¹ व्यवहारियों के आठ प्रकरणों में मापक जांच (मार्च 2010)के दौरान, हमने पाया कि सभी प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारी अनुच्छेद 5.2 के अनुसार प्रशमन प्रमाण-पत्र जारी करने में असफल रहे और व्यवहारी 60 दिनों के भीतर उनके पण्यावर्त की विस्तृत सूचना अनुच्छेद 6.0 के अनुसार

सम्बन्धित वर्षों की समाप्ति पर प्रस्तुत नहीं कर पाये तथा सभी व्यवहारी, विशेष अवधि में प्रशमन राशि जमा कराने में असफल रहे और चार सर्राफा व्यवहारी अनुच्छेद 5.1 के अनुसार इस योजना में विकल्प का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे।

व्यवहारी योजना की आवश्यक शर्तों की पालना करने में असमर्थ रहे तथा निर्धारण प्राधिकारी योजना के अनुच्छेद 7.6 के अनुसार कार्यवाही करने एवं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अनुसार उन्हें सामान्य करदाता नहीं मानने और कर के अन्तर की राशि वसूलने में असफल रहे। जिसके परिणामस्वरूप प्रशमन कर में गलत छूट दी गई और ब्याज ₹ 17.26 लाख के अतिरिक्त अन्तर कर ₹ 43.15 लाख का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा गलती को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2010), उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

¹ व्यवहारी जो सभी तरह की ज्वैलरी, आभूषणों और सोना, चांदी, अन्य मंहगी धातु से बने हुए और उनके भाग या निर्मित और अर्द्धनिर्मित स्टोन्स, डायमण्ड को शामिल करते हैं।

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग, वाहनों के पंजीयन, वाहनों के लिए अनुज्ञा-पत्र एवं लाईसेंस स्वीकृत करने तथा राज्य में संचालित वाहनों पर नियंत्रण की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। विभाग, चालकों, परिचालकों एवं व्यवसायियों को लाईसेंस तथा वाहनों के उपयुक्तता प्रमाण-पत्र भी जारी करता है। मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 तथा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के प्रावधानों के अधीन करारोपण तथा कर, फीस एवं शास्ति की वसूली विभाग के अन्य उत्तरदायित्व है। विभाग में वाहनों के पंजीयन एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, लाईसेंस स्वीकृत करना, कर, फीस एवं शास्ति की वसूली आदि से सम्बन्धित कार्य कम्प्यूटराईज्ड कर दिये गये हैं।

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है। मुख्यालय स्तर पर उसकी सहायता के लिए तीन अतिरिक्त आयुक्त तथा सात उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।


3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2005-06	880.00	908.18	(+) 28.18	(+) 3.20	9,880.23	9.19
2006-07	950.00	1,023.61	(+) 73.61	(+) 7.74	11,608.24	8.82
2007-08	1,075.00	1,164.40	(+) 89.40	(+) 8.32	13,274.73	8.77
2008-09	1,200.00	1,213.56	(+) 13.56	(+) 1.13	14,943.75	8.12
2009-10	1,300.00	1,372.87	(+) 72.87	(+) 5.61	16,414.27	8.36

वर्ष 2009-10 के दौरान मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों (मोटर वाहनों पर कर की प्राप्तियों को छोड़कर) को निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है:



यद्यपि, वास्तव में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों में प्रतिवर्ष मामूली वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों की प्रतिशतता में वर्ष 2005-06 की तुलना में प्रतिवर्ष गिरावट रही है। वर्ष 2009-10 में ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 8.36 प्रतिशत दर्ज की गई।

3.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ इसी अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2005-06	908.18	13.67	1.51	2.67
2.	2006-07	1,023.61	15.56	1.52	2.47
3.	2007-08	1,164.40	17.44	1.50	2.58
4.	2008-09	1,213.56	29.25	2.41	2.93
5.	2009-10	1,372.87	27.04	1.97	उपलब्ध नहीं

वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व के संग्रहण पर व्यय में वृद्धि राज्य में छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण कार्मिकों के वेतन में वृद्धि के कारण थी।

मोटर वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता की तुलना में हमेशा कम रही।

3.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

हमने हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा गत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 107.03 करोड़ राजस्व संनिहित के 33 अनुच्छेदों में अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लागू करना, कर की गलत गणना आदि के मामले ध्यान में लाये थे। उनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 55.87 करोड़ संनिहित के 30 अनुच्छेद स्वीकार किये तथा अब तक (सितम्बर 2010) 29 अनुच्छेदों में ₹ 19.36 करोड़ की वसूली की, जैसा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2004-05	8	7.83	6	2.82	6	0.91
2005-06	6	19.07	6	5.65	6	2.01
2006-07	6	7.23	6	5.92	6	2.27
2007-08	10	25.15	10	21.50	10	13.60
2008-09	3	47.75	2	19.98	1	0.57
योग	33	107.03	30	55.87	29	19.36

इन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में बहुत अधिक संख्या में वाहनों से वसूली होनी थी। विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन स्वामी से आक्षेपित राशि वसूल करनी है।

सरकार को, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में संनिहित राशि को प्राथमिकता से वसूल करने हेतु विभाग को निर्देश जारी करने चाहिए।

3.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का शीर्ष अधिकारी होता है तथा उसकी सहायता एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं दो लेखाधिकारी करते हैं। विभाग में पाँच आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं तथा प्रत्येक में सहायक लेखाधिकारी शीर्ष अधिकारी होता है। गत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु नियत इकाइयों	लेखापरीक्षा हेतु कुल नियत इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयों	लेखापरीक्षा नहीं हुई इकाइयों	कमी प्रतिशत में
2005-06	14	77	91	91	-	-
2006-07	0	77	77	77	-	-
2007-08	0	79	79	75	4	5
2008-09	4	79	83	67	16	19
2009-10	16	79	95	89	6	6

वर्ष 2007-08 से 2009-10 में आन्तरिक लेखापरीक्षा करने में 5 से 19 प्रतिशत तक की कमी रही।

हमने यह भी पाया कि वर्ष 2009-10 के अन्त तक बकाया रहे वर्ष 2008-09 तक के 1,236 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 10,508 अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु विभाग ने गम्भीर प्रयास नहीं किये। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1991-92 से 2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	योग
अनुच्छेद	6,915	1,006	802	780	905	10,508

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेद 1991-92 से बकाया थे। इस प्रकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य विफल रहा।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्य को प्रभावशाली बनाना चाहिए जिससे कि राजस्व छीजत को रोकने एवं अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना के लिए उचित उपाय किये जा सकें। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु विभाग को समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

44 इकाइयों के ₹ 1,213.56 करोड़ प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमें 9,411 प्रकरणों में ₹ 99.64 करोड़ के कर की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशामन फीस की अवसूली/कम वसूली	9,290	99.42
2.	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना न करना/कम करना	9	0.02
3.	अन्य अनियमितताएं	112	0.20
योग		9,411	99.64

वर्ष 2009-10 के दौरान, विभाग ने 8,704 प्रकरणों में ₹ 38.44 करोड़ की कम निर्धारण एवं अन्य कमियाँ स्वीकार की, जिनमें से ₹ 11.04 करोड़ के 4,137 प्रकरण वर्ष 2009-10 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2009-10 के दौरान 1,314 प्रकरणों में ₹ 1.84 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 1.34 करोड़ के 772 प्रकरण 2009-10 में तथा शेष ₹ 0.50 करोड़ के 542 प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

₹ 15.02 करोड़ सन्निहित की कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियां अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायी गयी हैं।

3.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

परिवहन विभाग में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान कर, फीस एवं शास्ति के अनारोपण के कई प्रकरण हमारे ध्यान में आये। उनमें से कुछ आक्षेप पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे, लेकिन ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थी, अपितु लेखापरीक्षा करने तक इनका पता नहीं लगा। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा की गयी मापक जाँच पर आधारित हैं। यहाँ पर आन्तरिक लेखापरीक्षा को प्रभावी बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने की आवश्यकता है।

3.8 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान है:

- (i) सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाना;
- (ii) पंजीयन प्रमाण-पत्र समर्पण के पश्चात् संचालित पाये गये वाहनों पर कर का आरोपण एवं इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरणों में कर की राशि का पाँच गुणा के बराबर शास्ति का आरोपण किया जाना; तथा
- (iii) सभी परिवहन वाहनों पर निर्धारित दरों से एकमुश्त कर का आरोपण तथा भुगतान में दोषी के लिए शास्ति का आरोपण किया जाना।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमारे ध्यान में आया कि अनुच्छेद 3.8.1 से 3.8.4 में दर्शाये गये प्रकरणों के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रावधानों में से कुछ को विभागीय प्राधिकारियों ने ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.02 करोड़ के राजस्व की अवसूली रही।

3.8.1 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा। इसके अलावा, विलम्ब से कर के भुगतान पर उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन शास्ति भी आरोपणीय है।

37 कार्यालयों के 2008-09 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया (मई 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य) कि 6,409 वाहनों के सम्बन्ध में इनके वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2006 तथा मार्च 2009 के मध्य की अवधि के लिए मोटर

वाहन कर एवं विशेष पथकर का भुगतान नहीं किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चले थे अथवा किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित हो गये थे। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर राशि ₹ 13.94 करोड़ की अवसूली रही। इसके अतिरिक्त, कर भुगतान की वास्तविक तिथि तक शास्ति भी आरोपणीय है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनो की संख्या	कर की अवधि	कर की राशि	कार्यालयों का नाम
1.	भार वाहन	2,360	अप्रैल 2006 से मार्च 2009	3.40	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर, बीकानेर, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय बाडमेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चुरू, डीडवाना, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जयपुर (भार वाहन), झालावाड, झुन्झुनु, करौली, कोटपुतली, नागौर, प्रतापगढ, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरौही, श्रीगंगानगर एवं टौक
2.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों की बैठक क्षमता वाले)	2,253	अप्रैल 2006 से मार्च 2009	3.33	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चुरू, डूंगरपुर, जयपुर (संविदा वाहन) जैसलमेर, झालावाड, झुन्झुनु, करौली, कोटपुतली, नागौर, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर एवं टौक
3.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	206	अप्रैल 2008 से मार्च 2009	2.42	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय डूंगरपुर, जयपुर (संविदा वाहन), झुन्झुनु एवं प्रतापगढ
4.	मंजिली वाहन	513	अप्रैल 2008 से मार्च 2009	1.78	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय बाडमेर, भीलवाडा, चुरू, डीडवाना, जयपुर (मंजिली वाहन), झुन्झुनु, नागौर एवं प्रतापगढ
5.	संलग्न भार वाहन	561	अप्रैल 2006 से मार्च 2009	1.49	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय ब्यावर, भीलवाडा, डीडवाना, जयपुर (भार वाहन), कोटपुतली, नागौर, राजसमन्द एवं सिरौही
6.	बिना अनुज्ञा-पत्र के यात्री वाहन	98	अप्रैल 2008 से मार्च 2009	0.67	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर, जोधपुर एवं कोटा; जिला परिवहन कार्यालय भीलवाडा, चुरू, जयपुर (मंजिली वाहन) एवं कोटपुतली
7.	डम्पर/टिप्पर	418	अप्रैल 2006 से मार्च 2009	0.85	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बीकानेर, चित्तौडगढ, कोटा, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय बांरा, बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, जैसलमेर, झुन्झुनु, नागौर एवं राजसमन्द
योग		6,409		13.94	

विभागीय नियमपुस्तिका के अनुच्छेद 5.7.10 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, जहां वाहन का कर जमा नहीं हुआ/कम जमा हुआ, ऐसे प्रकरण में विभाग को मांग पत्र जारी करना होता है। उस मांग पत्र को मांग एवं वसूली पंजिका में दर्ज करना होता है। आगे, ऐसे वाहनों के प्रकरणों में, जहां कर का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे वाहनों की सूची, बकाया कर तथा रूट विवरण के साथ वसूली हेतु प्रवर्तन शाखा को सूचित करना होता है। इसके अलावा, उन वाहनों के सम्बन्ध में, जहां चालू वर्ष का कर/बकाया कर जमा नहीं कराया गया तथा वे वाहन उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं, वाहन स्वामी की चल/अचल सम्पत्ति से बकाया की वसूली की कार्यवाही करनी होती है। हमने पाया कि कराधान अधिकारी ने बकाया कर के आरोपण एवं वसूली हेतु कार्यवाही शुरू नहीं की।

हमारे द्वारा इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2010) कि 1,426 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 2.76 करोड़ की वसूली कर ली गई थी तथा 82 वाहनों के सम्बन्ध में वाहनों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त करने, पंजीयन प्रमाण-पत्र में परिवर्तन, वाहनों का पुनः पंजीयन, पंजीयन प्रमाण-पत्र के समर्पण, चुनाव ड्यूटी की अवधि में कर की छूट आदि के कारण ₹ 20.28 लाख वसूलनीय नहीं थे। तथापि, लेखापरीक्षा के समय उपलब्ध कराये गये अभिलेख उक्त स्थिति प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। विभाग को, निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी अनुश्रवण एवं नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए अभिलेखों का सही रख-रखाव करना चाहिए था। आगे, कर का बकाया भू-राजस्व बकाया की तरह वसूलनीय है। शेष प्रकरणों में की गई कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

3.8.2 पंजीयन प्रमाण-पत्रों की समर्पण अवधि के दौरान संचालित वाहनों से विशेष पथकर एवं शास्ति की अवसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, वाहन उस अवधि के लिए कर के भुगतान हेतु दायी नहीं होते हैं जिस अवधि के लिए उनका पंजीयन प्रमाण-पत्र परिवहन विभाग को समर्पित किया जाता है। तथापि, जहां पंजीयन प्रमाण-पत्र समर्पण की अवधि के दौरान कोई वाहन संचालित पाया जाता है तो ऐसे वाहन पर सम्पूर्ण अवधि के कर सहित कर के पाँच गुणा के बराबर शास्ति चुकानी होगी।

पाँच कार्यालयों¹ के पंजीयन प्रमाण-पत्रों के समर्पण से सम्बन्धित अभिलेखों का, मई 2009 एवं नवम्बर 2009 के मध्य, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए संधारित विवरणियों/ अभिलेखों के प्रति-परीक्षण में हमने

¹ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अजमेर, अलवर एवं चित्तोड़गढ़; जिला परिवहन कार्यालय जालौर एवं करौली।

पाया कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम के 25 मंजिली वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्रों की समर्पण अवधि में संचालित हुए। विभाग के पास पंजीयन प्रमाण-पत्रों के समर्पण के पश्चात् संचालित वाहनों की जाँच हेतु कोई प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथकर की राशि ₹ 10.55 लाख तथा शास्ति की राशि ₹ 52.75 लाख कुल राशि ₹ 63.30 लाख की अवसूली रही।

हमारे द्वारा प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के बाद विभाग ने बताया (जुलाई 2010) कि वसूली की कार्यवाही की जा रही थी।

हमने मामला सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2010) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

3.8.3 संनिर्माण उपस्कर वाहनों के सम्बन्ध में एकबारीय कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 (1) (ब) के अधीन अधिसूचना दिनांक 27.3.06 जारी करके राज्य सरकार ने सभी संनिर्माण उपस्कर वाहनों (अपरिवहन वाहन) पर आरोपणीय एकबारीय कर की दरों का निर्धारण किया। उन आदेशों की शर्तों के अनुसार पहले से ही पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में भी निर्धारित दरों से एकबारीय कर भुगतान योग्य था।

चार कार्यालयों² के वर्ष 2008-09 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में आया (मई 2009 एवं जनवरी 2010 के मध्य) कि पहले से ही पंजीकृत 34 संनिर्माण उपस्कर वाहनों के सम्बन्ध में एकबारीय कर का भुगतान इनके वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया। कराधान अधिकारियों ने देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप

एकबारीय कर की राशि ₹ 28.97 लाख की अवसूली रही।

हमारे द्वारा प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने बताया (अक्टूबर 2010) कि नौ वाहनों के सम्बन्ध में राशि ₹ 5.58 लाख की वसूली कर ली गई। शेष प्रकरणों में की गई कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

² प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अजमेर एवं कोटा; जिला परिवहन कार्यालय भीलवाड़ा एवं डूंगरपुर।

3.8.4 एकमुश्त कर की बकाया किश्तों की वसूली नहीं की

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-स तथा उसके अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का भुगतान सम्पूर्ण एक साथ या एक वर्ष की अवधि में समान तीन किश्तों में किया जा सकेगा। आगे, अधिनियम की धारा 6 के अधीन विलम्ब से किये गये कर के भुगतान पर शास्ति आरोपणीय थी।

दो कार्यालयों³ के वर्ष 2008-09 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया (अक्टूबर 2009 एवं जनवरी 2010 के मध्य) कि 80 परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में, जिनमें एकमुश्त कर का भुगतान तीन समान किश्तों में करने का विकल्प मार्च 2006 एवं नवम्बर 2008 के मध्य दिया गया था, उन वाहनों के स्वामियों ने प्रथम किश्त का भुगतान किया, लेकिन शेष एक या दो किश्तों के भुगतान करने में असफल

रहे। कराधान अधिकारियों ने देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 15.67 लाख की अवसूली रही। इसके अलावा, कर के भुगतान की तिथि तक की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने बताया (अक्टूबर 2010) कि 38 वाहनों के सम्बन्ध में राशि ₹ 8.90 लाख की वसूली कर ली गई। शेष प्रकरणों में की गई कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

³ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सीकर; जिला परिवहन कार्यालय भीलवाड़ा।

अध्याय-IV: भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः भूमि का किराया, पट्टे का किराया, प्रीमियम, कृषि भूमि के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर देय संपरिवर्तन शुल्क, सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। विभाग की प्रशासनिक शक्ति सरकार के राजस्व विभाग में निहित है। राजस्व से सम्बन्धित मामलों का समस्त नियंत्रण राजस्व मण्डल में निहित है।

4.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रभाव

पिछले पांच वर्षों के दौरान 2008-09 तक, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा 12 अनुच्छेदों में निहित राशि ₹ 295.60 करोड़ के राजस्व अनारोपण/कम आरोपण, राजस्व की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, राजस्व का कम निर्धारण/हानि, गलत छूट, कर की गलत दर लगाना, गलत गणना आदि राजस्व अनियमितता को इंगित किया है। इनमें से विभाग/सरकार ने 12 अनुच्छेदों में निहित राशि ₹ 170.28 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की है तथा उनमें से ₹ 82.76 करोड़ की वसूली की है जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किए अनुच्छेद		वसूल की गई राशि के अनुच्छेद	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2004-05	4	3.17	4	1.75	2	0.61
2005-06	2	29.98	2	28.66	1	14.84
2006-07	1	22.14	1	22.14	-	-
2007-08	4	239.19	4	116.60	2	66.18
2008-09	1	1.13	1	1.13	1	1.13
योग	12	295.60	12	170.28	6	82.76

सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई शेष राशि की शीघ्र वसूली हेतु प्रयास करने चाहिए।

4.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

कुल 15 आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं तथा प्रत्येक दल में 3 सदस्य हैं, जो वार्षिक आधार पर 570 कार्यालयों की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं। वर्ष

2005-06 से 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा के लिये योजित इकाइयाँ, वास्तव में लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या तथा शेष रही इकाइयाँ निम्नलिखित थी:

वर्ष	इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए योजित इकाइयों की संख्या	वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	शेष रही इकाइयों की संख्या	शेष रही इकाइयों की प्रतिशतता
2005-06	567	567	541	26	5
2006-07	567	567	486	81	14
2007-08	567	557	502	55	10
2008-09	570	532	436	96	18
2009-10	570	468	398	70	15

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लम्बित इकाइयों की प्रतिशतता क्रमशः 18 तथा 15 रही, जिसका कारण उस अवधि में आम चुनाव का सम्पन्न होना था। आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों के चयन का मापदण्ड लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया।

4.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009-10 के दौरान भू-राजस्व विभाग के 118 इकाईयों के अभिलेखों के मापक जांच के दौरान हमने 4,391 मामलों में राशि ₹ 369.56 करोड़ की अवसूली तथा राजस्व हानि आदि ज्ञात किये। “भूमि के आवंटन/बिक्री और संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली” पर एक समीक्षा भी संचालित की गई थी, जिसमें ₹ 179.32 करोड़ राजस्व निहित था। विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	भूमि के आवंटन/बिक्री और संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली (एक समीक्षा)	1	179.32
2.	सिंचित/असिंचित/निष्क्रान्त/सीलिंग आदि भूमि की कीमत की अवसूली	2,775	102.56
3.	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराये की अवसूली	225	58.13
4.	खातेदारों से संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली	251	3.61
5.	सरकारी भूमि पर अतिचारियों के प्रकरणों का नियमितिकरण न होना	145	2.20
6.	अन्य अनियमितताएँ	994	23.74
	योग	4,391	369.56

वर्ष 2009-10 के दौरान, विभाग ने 920 प्रकरणों में ₹ 7.89 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 73.74 लाख के 52 प्रकरण वर्ष 2009-10 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गए थे। विभाग ने वर्ष 2009-10 के दौरान 703 प्रकरणों में ₹ 4.32 करोड़ वसूल किए, जिनमें ₹ 51.64 लाख के 29 प्रकरण वर्ष 2009-10 तथा शेष पूर्व वर्षों से संबंधित थे।

भू-राजस्व विभाग के अभिलेखों की मापक-जांच के दौरान हमने राजस्व की मांग का अनारोपण/कम आरोपण तथा अवसूली/कम वसूली देखी जो इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायी गयी है। ऐसी त्रुटियाँ को पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाया गया, लेकिन ये अनियमितताएँ न केवल विद्यमान रहीं अपितु लेखापरीक्षा होने तक पहचानी भी नहीं गई थी। सरकार को ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है।

कुछ निदर्शी प्रकरण, जिनमें ₹ 69.13 लाख तथा “भूमि के आवंटन/बिक्री और संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा जिनमें ₹ 179.32 करोड़ सन्निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

4.5 भूमि के आवंटन/बिक्री और संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली पर निष्पादन लेखा परीक्षा

मुख्य बिन्दु

- संस्थानिक प्रबन्धन के अभाव में, राज्य राजस्व में वृद्धि के लिये राज्य सरकार भूमि पर अतिक्रमण, इसके उपयोग और भूमि सुधारों से अनभिज्ञ रही। भू-संसाधनों को सही गति देने में सामूहिक प्रयासों की कमी और संपरिवर्तन प्रभारों को त्वरित गति से प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की कमी के परिणामस्वरूप 2009-10 में राजस्व संग्रहण में कमी रही।

(अनुच्छेद 4.5.8.1)

- निर्धारित समय के बाद 18 से 55 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी भू-प्रबन्धन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, परिणामस्वरूप भूमि का मानचित्र नहीं बन सका एवं भूमि के किराये का पुनर्निर्धारण नहीं हो सका।

(अनुच्छेद 4.5.8.2)

- आठ मामलों में ₹ 64.19 करोड़ मूल्य की भूमि का विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण नहीं किया गया। यद्यपि 49 से अधिक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इसका आवंटित उद्देश्य पर उपयोग नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 4.5.9.2)

- जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास, बीकानेर ने भूमि के विक्रय आगम में सरकार की अंश राशि ₹ 7.91 करोड़ जमा नहीं कराए।

(अनुच्छेद 4.5.10.1)

- भूमि की कीमत ₹ 255.60 करोड़ कम निर्धारण के परिणामस्वरूप राज्यांश के रूप में ₹ 51.12 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.5.10.3)

- केन्द्र सरकार के विभागों से भूमि की कीमत एवं संपरिवर्तन प्रभारों की या तो वसूली नहीं करने या कम दर से करने के परिणामस्वरूप ₹ 62.11 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.5.14)

- राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए काम्पेक्ट डिस्क में प्रतिदिन वाले और पाक्षिक आंकड़े नहीं लिये गए।

(अनुच्छेद 4.5.21.7)

- 8 तहसीलों के 39 गाँवों में नामान्तरण को अद्यतन करने तथा जमाबन्दियों को तैयार करने में देरी थी।

(अनुच्छेद 4.5.21.11)

- योजना में कमी के कारण केन्द्र सरकार द्वारा खसरा मानचित्रों के सूक्ष्म परीक्षण एवं अंकीकरण हेतु प्रदाय की गई सम्पूर्ण राशि ₹ 5.31 करोड़ उचित योजना के अभाव में अनुपयोगी रही।

(अनुच्छेद 4.5.21.12)

- मार्च 2008 तक भू-अभिलेखों के कम्प्यूटराइजेशन पर ₹ 30.49 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी भू-अभिलेखों के रखरखाव एवं अभिलेख तैयार करने हेतु विश्वसनीय प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

(अनुच्छेद 4.5.23)

4.5.1 प्रस्तावना

जनता एवं भूमि का आपसी सम्बन्ध सभ्यता का आधारभूत विकास रहा है। दुर्लभ एवं सीमित संसाधन होने के कारण, भूमि का प्रभावी एवं कुशल उपयोग किसी समाज को आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। यह सर्वविदित है कि भूमि धन का मुख्य स्रोत है, जो प्रभावी लोक प्रशासन के मर्म में विद्यमान रहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भू-राजस्व नीतियों को निर्देशित किए जाने की आवश्यकता है। भूमि का किराया, प्रीमियम, संपरिवर्तन प्रभार और भूमि विक्रय से प्राप्त राशि भू-राजस्व के मुख्य मद है।

भूमि के आवंटन/विक्रय, भू उपयोग परिवर्तन पर सम्परिवर्तन प्रभारों की वसूली और प्राप्ति पर राजस्थान भू-राजस्व (आर एल आर) अधिनियम, 1956 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन भू-राजस्व का निर्धारण एवम् संग्रहण शासित होता है। राजस्थान खातेदारी अधिनियम, 1955, खातेदारी के प्रकार और भूमिधारकों के दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में अवगत कराता है।

4.5.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रशासनिक विभाग की शक्तियाँ सरकार के राजस्व विभाग में निहित हैं। राजस्व अधिकारियों पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के साथ-साथ राजस्व से सम्बन्धित न्यायिक मामलों में सम्पूर्ण नियंत्रण राजस्व मण्डल में निहित है। निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों में जिला स्तर पर 33 कलेक्टरों, उप खण्ड स्तर पर 191 उप खण्ड अधिकारियों और तहसील स्तर पर 244 तहसीलदारों द्वारा राजस्व मण्डल की सहायता की जाती है। राजस्थान में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिये भी राजस्व मण्डल राज्य स्तरीय क्रियान्वयन प्राधिकारी है।

4.5.3 लेखापरीक्षा का स्रोत

राजस्व मण्डल के अलावा 33 जिला कलेक्टर कार्यालयों में से 10 कार्यालयों तथा उनके अन्तर्गत तहसीलों एवं अन्य सम्बद्ध कार्यालयों के अवधि 2004-05 से 2008-09 तक के अभिलेखों की दिसम्बर 2009 से जुलाई 2010 के दौरान हमने समीक्षा की। जिलों का चयन, नमूना जाँच की पुनः स्थापना सहित आकार के अनुरूप सम्भावना की पद्धति के आधार पर किया गया। चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के संपरिवर्तन प्रभारों के निर्धारण एवं संग्रहण एवं लीज रेन्ट से सम्बन्धित अभिलेखों की भी जाँच की गई।

आगे, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, आर एल आर एक्ट के प्रावधानों एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों को ध्यान में रखते हुए भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता की सुनिश्चितता को जाँचने के लिये राज्य के सभी सात संभागों से चयनित 14 तहसीलों¹ एवं राजस्व मण्डल में समीक्षा की गई।

4.5.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह देखने के लिये सम्पादित की गई:

- क्या भूमि का पुनर्ग्रहण नियमों में बताये गये प्रावधानों के अनुसार किया गया था;
- क्या लीज रेन्ट, प्रीमियम, भूमि की कीमत एवं ब्याज सहित सम्परिवर्तन प्रभार आदि सही निर्धारित किये गये एवं समय पर संग्रहित किये गये एवं राजकोष में जमा करवाये गये;
- असंग्रहित राजस्व के कारणों का विश्लेषण;
- भूमि की बिक्री और सम्परिवर्तन प्रभारों की वसूली के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का निर्धारण; और
- प्रभावी भू-प्रशासन, योजना और सूचना के अधिकार से जनता को प्राधिकृत करने के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना “भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण” के लाभों को सुनिश्चित करना।

4.5.5 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों के उपलब्ध कराने के लिये राजस्व विभाग द्वारा दिये गये सहयोग के

¹ अलवर, बयाना, भीलवाड़ा, चाकसू, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, किशनगढ़, नसीराबाद, रामगंजमण्डी और टोंक।

लिये आभार प्रकट करता है। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं कार्य करने के लिये जनवरी 2010 में प्रारम्भिक सम्मेलन किया गया था। लेखापरीक्षा परिणामों को अगस्त 2010 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व के साथ 7 नवम्बर 2010 को प्रमुख लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विचार विमर्श करने के लिये एक समापन बैठक आयोजित की गई।

4.5.6 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2004-04 से 2009-10 के दौरान बजट अनुमान (बी ई) संशोधित अनुमान (आर ई) और विभाग द्वारा वसूला गया राजस्व निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वसूला गया भू-राजस्व	बी ई एवं वसूली में अन्तर का प्रतिशत	आर ई एवं वसूली में अन्तर का प्रतिशत
2004-05	100.08	70.08	68.86	(-) 31.19	(-) 1.74
2005-06	92.08	99.05	84.30	(-) 8.45	(-) 14.89
2006-07	110.05	90.05	116.71	(+) 6.06	(+) 29.61
2007-08	100.05	122.06	155.28	(+) 55.21	(+) 27.22
2008-09	212.05	145.01	162.52	(-) 23.36	(-) 12.08
2009-10	250.06	160.16	147.66	(-) 40.95	(-) 7.80

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि बजट की तैयारी में पूरी सावधानी नहीं बरती गयी है और अनुमान वास्तविक आंकड़ों से समर्थित नहीं थे। वर्ष 2004-05 और 2009-10 को छोड़कर संशोधित अनुमान तक में अनुमान अवास्तविक रहे जैसा कि संशोधित अनुमान एवं संग्रहण के मध्य (-)15 प्रतिशत (2005-06) से (+)30 प्रतिशत (2006-07) का अन्तर रहा। हमने वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व की अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जो भूमि का उपयोग कृषि से आबादी में बदलने के प्रभारों के कारण, नगरीय स्थानीय निकायों से अधिक राशि प्राप्त होने के कारण थी। राज्य विधानसभा चुनाव एवं वसूली पर स्थगन होने के कारण पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान संग्रहण में बढ़ोतरी की दर कम रही। वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व में गिरावट का मुख्य कारण नगरीय विकास विभाग से संपरिवर्तन प्रभारों एवं भूमि के विक्रय से कम प्राप्ति रही।

4.5.7 बकाया की स्थिति

राजस्व मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार 31 मार्च 2009 को

भू-राजस्व के ₹ 83.74 करोड़ नीचे दशायि अनुसार बकाया थे:

वर्ष	बकाया की राशि (₹ करोड़ में)
2004-05 से पूर्व	12.97
2004-05	3.01
2005-06	1.70
2006-07	40.05
2007-08	6.95
2008-09	19.06
योग	83.74

बकाया का विश्लेषण बताता है कि ₹ 12.97 करोड़ पांच वर्षों से अधिक से बकाया थे। वर्ष 2006-07 और 2008-09 में क्रमशः ₹ 40.05 करोड़ और ₹ 19.06 करोड़ जुड़ते हुये बकाया का संचय में लगातार बढ़ोतरी को दर्शाता है। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2010) कि रेल्वे के प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने, उदयपुर में हवाई अड्डे के लिये भूमि आवंटन निःशुल्क दिया जाना विचाराधीन होने, राज्य विधानसभा के चुनाव और सरकार के आदेशों के अन्तर्गत वसूली पर स्थगन होने के कारण बकाया में बढ़ोतरी हुई।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

प्रणाली की कमियाँ

4.5.8 भूमि प्रबन्धन

4.5.8.1 उपयुक्त संस्थानिक व्यवस्था

किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिये भूमि मूल्यवान सम्पति है और इसका उचित उपयोग राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सिर्फ भूमि को ही पृथक् विषय के रूप में ध्यान में रखते हुए विभाग का संस्थानिक प्रबन्धन न होने के कारण, सरकार भूमि से सम्बन्धित बहुत सी समस्याओं से अनभिज्ञ रही। वर्तमान में, अन्य बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ इस क्षेत्र के लिये नीतियां बनाने के लिये राजस्व विभाग जिम्मेदार है। राजस्व विभाग का सम्बन्ध सामान्यतया: भूमि सम्बन्धित मामलों का संचालन एवं राजस्व संग्रहण से सम्बन्धित है, नीति सम्बन्धी मामलों जैसे संसाधन के रूप में भूमि का विकास, भविष्य की योजना और उचित निगरानी एवं नियंत्रण पर ध्यान नहीं जाता है। सरकारी भूमि के दुरुपयोग एवं अतिक्रमण को रोकने के लिये उचित निगरानी एवं संयुक्त प्रयास का अभाव रहा जैसा कि हमारी जानकारी में आये मामलों से स्पष्ट है। राज्य के राजस्व की बढ़ोतरी एवं अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये बेकार पड़ी भूमि का उपयोग, भू-उपयोग को विकसित करना और अन्य भूमि सुधार आवश्यक है।

हमारा सुझाव है कि इस क्षेत्र में ध्यान देने के लिये एक पृथक् भूमि सुधार विभाग बनाने पर विचार किया जावे।

4.5.8.2 सर्वे, अभिलेख और भू-व्यवस्थापन कार्य सम्पादित नहीं हुए

सर्वे कार्य, भूमि का मानचित्र तैयार करने के लिये किया जाता है। सर्वे क्रमांक और प्रत्येक ईकाई का क्षेत्रफल एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और राज्य द्वारा धारित भूमि के अधिकारों का अभिलेख तैयार करना है। भूमि की उत्पादन क्षमता और मिट्टी के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए लगान निर्धारण हेतु भू-व्यवस्थापन कार्य किया जाता है। भू-व्यवस्थापन कार्य प्रत्येक बीस वर्षों में किया जाता है।

हमने देखा कि देय हो जाने के पश्चात् भी 128 में से 97 तहसीलों में भू-व्यवस्थापन का कार्य 18 से 55 वर्षों तक सम्पादित नहीं किया गया। केवल 31 तहसीलों में वर्तमान में भू-व्यवस्थापन का कार्य संक्रियाधीन है। भू-व्यवस्थापन कार्य का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	तहसीलों की कुल संख्या	31 मार्च को स्थिति		
		भू-व्यवस्थापन कार्य पूरा किया	भू-व्यवस्थापन कार्य संक्रियाधीन	भू-व्यवस्थापन कार्य सम्पादित नहीं किया गया
2004-05	241	94	38	109
2005-06	241	99	37	105
2006-07	241	107	37	97
2007-08	241	108	36	97
2008-09	243	114	32	97
2009-10	244	116	31	97

भू-व्यवस्थापन कार्य नहीं करने के परिणामस्वरूप न केवल भूमि का मानचित्र तैयार नहीं हो सका वरन् भूमि के किराए का पुनर्निर्धारण भी न हो सका।

राज्य में भूमि को नापने के लिये छः विभिन्न लम्बाईयों की जरीबें (जंजीरें) काम में ली जा रही हैं। विभिन्न मापदण्डों पर मानचित्रों के तैयार किये जाने के कारण, भूमि को नापने में और भूमि के क्षेत्रफल की गणना हैक्टेयर/एकड़ आदि में करने में एकरूपता का अभाव रहा।

सरकार भू-व्यवस्थापन कार्य को सम्पादित करने के लिये प्रभावी निगरानी प्रणाली और भूमि को नापने के लिये एक समान लम्बाई की जरीब (जंजीर) लागू करने पर विचार करे।

² जरीब एक निर्धारित लम्बाई की लोहे की जंजीर है जो भूमि नापने के काम आती है।

4.5.9 राजकीय भूमि का पुनर्ग्रहण न करना

आर एल आर अधिनियम, 1956, के तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, पट्टे के अन्तर्गत पट्टा ग्रहिता द्वारा धारित भूमि के सारे अधिकार राज्य में निहित हैं। पट्टा ग्रहिता द्वारा पट्टा विलेख में दर्शाई अवधि तक मिल/कारखानों आदि की भूमि रखी जा सकती है। आर एल आर (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959, के नियम 7 और 8 के अनुसार आवंटन के उद्देश्य के अनुसार आवंटित भूमि पर दो वर्षों के भीतर उद्योग स्थापित किया जाना होता है, जिसमें असफल रहने पर भूमि वापस सरकार में निहित हो जायेगी। आगे और, औद्योगिक उद्देश्य हेतु आवंटित भूमि का उपयोग किसी दूसरे उद्देश्य हेतु नहीं किया जायेगा।

हमने देखा कि मिलों, कारखानों इत्यादि के मालिकों द्वारा धारित भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में सामयिक निगरानी की कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। उनके द्वारा धारित भूमि के उपयोग/दुरुपयोग की सीमा के बारे में विभाग अनभिज्ञ था। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये प्रकरणों में राजकीय भूमि का

पुनर्ग्रहण नहीं हुआ।

4.5.9.1 कलेक्टर, कोटा ने तहसील लाडपुरा के गाँव भीमपुरा में छः औद्योगिक इकाइयों को उद्योगों की स्थापना के लिये 73.55 बीघा राजकीय भूमि आवंटित की। यद्यपि 6 से 12 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी उद्योगों को स्थापित नहीं किया गया तथापि सरकार द्वारा ₹ 97.09 लाख मूल्य की भूमि अभी तक पुनर्ग्रहित नहीं की गई।

4.5.9.2 कलेक्टर, टोंक एवं तहसीलदार, मालपुरा के अभिलेखों की जांच में हमने देखा कि नगरपालिका क्षेत्र मालपुरा में मैसर्स नवीन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मालपुरा को पट्टे के आधार पर 35 वर्षों की अवधि के लिये कॉटन जिनिंग फेक्ट्री एवं दाल व ऑयल मिल की स्थापना के लिये 35.15 बीघा राजकीय भूमि आवंटित की गयी थी (मई 1946)। पट्टे के नवीनीकरण का आवेदन कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया (मई 1981) क्योंकि 20 वर्षों से अधिक से भूमि का उपयोग आवंटित उद्देश्य हेतु नहीं किया जा रहा था। तथापि, राजस्व मंत्री के आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 1991 की अनुपालना में, मई 1981 से प्रारम्भ करते हुये 30 वर्षों के लिये पट्टे का नवीनीकरण कर दिया गया (दिसम्बर 1991)। मिल अभी तक बन्द है और क्षतिग्रस्त है, लेकिन प्रबल वाणिज्यिक उपयोग वाली ₹ 64.19 करोड़ मूल्य की भूमि के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी है। विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2010) कि मामला सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

4.5.9.3 कलेक्टर, भीलवाड़ा ने उद्योग की स्थापना के लिए श्री कृष्णा कॉटन, जिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग फेक्ट्री, भीलवाड़ा को वर्ष 1972 में 12,973 वर्ग गज भूमि आवंटित की। फेक्ट्री बन्द होने के कारण, कलेक्टर ने भूमि को पुनर्ग्रहित करने के आदेश दिये (20 अगस्त 1997)। चूंकि बन्द पड़े उद्योग की पहचान के लिये विभाग में समय-समय पर निगरानी की कोई प्रक्रिया नहीं थी, अतः प्रकरण पर ध्यान दिये जाने का अभाव रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.82 करोड़ मूल्य की भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तथ्य यह है कि उपयोग में नहीं ली गई राजकीय भूमि पर निर्णय कराने में सरकार ने प्रकरण को प्रभावी तरीके से अनुसरित नहीं किया।

आवंटित भूमि वांछित उद्देश्य हेतु उपयोग में आ रही है इसको देखने के लिये सरकार निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करे।

4.5.10 भूमि के विक्रय आगम के अंश प्राप्ति का अभाव

दिसम्बर 2006 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सम्बंधित नगर सुधार न्यास (यू आई टी) और जयपुर विकास प्राधिकरण (जे डी ए) द्वारा राजकीय भूमि के विक्रय आगम का क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत जमा कराने के पश्चात् नामान्तरण खोला, स्वीकृत एवं जमाबन्दी में इन्द्राज किया जायेगा। विज्ञप्ति दिनांक 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी की गई।

4.5.10.1 हमने देखा कि जे डी ए और यू आई टी, बीकानेर ने मई 2006 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य तीन मामलों में 19,696 वर्गमीटर और जनवरी 2007 और मई 2008 के मध्य दो मामलों में 2,147 बीघा भूमि की बिक्री की और क्रमशः राशि ₹ 11.27 करोड़ और ₹ 56.61 करोड़ विक्रय आगम प्राप्त किया। तथापि, जे डी ए और यू आई

टी, बीकानेर ने राज्य के अंश की राशि क्रमशः ₹ 2.25 करोड़ और ₹ 5.66 करोड़ राज्य लेखों में जमा नहीं कराये। निगरानी प्रणाली की कमी के कारण, भूमि के विक्रय आगम का राज्य अंश यू एल बी द्वारा जमा नहीं करवाये जाने के सम्बन्ध में सरकार अनभिज्ञ रही। इसके अतिरिक्त राज्य अंश राशि को देरी से जमा कराने पर ब्याज वसूली प्रावधान का अभाव था।

4.5.10.2 हमने यह भी देखा कि कलेक्टर, बीकानेर और जोधपुर ने आबादी हेतु 2,739.85 बीघा राजकीय भूमि यू आई टी, बीकानेर और यू आई टी, जोधपुर (अब जोधपुर विकास प्राधिकरण) को विभिन्न योजनाओं के लिये अप्रैल 2005 से अगस्त 2008 के मध्य आवंटित की। आवंटन किये जाने के 21 से 26 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी भूमि का विक्रय नहीं किया गया। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि यू डी डी स्तर पर समुचित निर्देश जारी किये जाने

है। निगरानी प्रणाली नहीं होने से, भूमि के जल्दी निस्तारण के लिये विभाग मामले को सम्बन्धित यू आई टी के साथ नहीं उठा सका।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2007 के अनुसार, पर्यटन इकाई को भूमि आवंटन के मामले में वाणिज्यिक आरक्षित कीमत का न्यूनतम 50 प्रतिशत वसूला जायेगा। प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया में भूमि के निस्तारण के लिये आरक्षित कीमत आधार कीमत थी।

4.5.10.3 हमने देखा कि जे डी ए ने प्रतिस्पर्धी निविदायें आमन्त्रण प्रक्रिया अपनाये बिना इन्टरनेशनल एम्यूजमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि., नई दिल्ली को एम्यूजमेंट पार्क विकसित करने के लिये आमेर तहसील के

गाँव दौलतपुरा, कोटड़ा में 300 एकड़ (480 बीघा या 12,14,400 वर्गमीटर) भूमि आवंटित की। भूमि की कीमत ₹ 303.60 करोड़ (वाणिज्यिक भूमि की आरक्षित कीमत ₹ 607.20 करोड़ का 50 प्रतिशत) के स्थान पर कृषि भूमि के लिये जिला स्तरीय समिति (डी एल सी) दर से ₹ 48.00 करोड़ वसूली की गई। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत ₹ 255.60 करोड़ कम वसूली गयी। गलती के कारण राजकीय अंश के रूप में ₹ 51.12 करोड़ की हानि हुई। पुष्टि प्रणाली के अभाव में, यू एल बी द्वारा बेची जाने वाली भूमि के उद्देश्य से विभाग अनभिज्ञ रहा।

भूमि के विक्रय आगम की वसूली के लिये प्रभावी निगरानी प्रणाली लागू करने, भूमि के निपटान के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाने और यू एल बी द्वारा बेची गई भूमि की कीमत और उद्देश्य को जाँचने एवं सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित करने हेतु सरकार विचार करे।

4.5.11 यू एल बी/यू आई टी से भूमि की संशोधित कीमत वसूल नहीं करना

विज्ञप्ति दिनांक 8 मार्च 2006 के अनुसार, कलेक्टर सिवाय चक (राजकीय) भूमि यू एल बी को आबादी या किसी अन्य उद्देश्य के लिये डी एल सी दर पर भूमि की कीमत का 40 प्रतिशत (राजकीय अंश) वसूलने के बाद आवंटित कर सकता है। यह विज्ञप्ति 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी थी।

स्थानीय निकायों से भूमि की कीमत वसूली

हमने आठ कलेक्टर कार्यालयों³ में देखा कि 10 प्रकरणों में 7,977.38 बीघा राजकीय भूमि आबादी के लिये आवंटित की गयी थी, परन्तु निम्नानुसार भूमि की कीमत का राजकीय अंश या तो वसूल नहीं किया गया या गलत दर से वसूला गया।

³ अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और राजसमन्द।

4.5.11.1 संशोधित मांग कायम न करना/राजकीय बकाया की अवसूली

निम्नलिखित मामलों में, यद्यपि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2006 के जारी होने से पहले आवंटन किया गया था, परन्तु अधिसूचना 1.4.2005 से लागू की गई थी संशोधित मांग कायम की जानी थी। तथापि सम्बन्धित कलेक्टरों द्वारा संशोधित मांग कायम की गयी इसके सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। आवंटन की गई भूमि की कीमत में 40 प्रतिशत राज्यांश राशि ₹ 97.17 करोड़ की गणना हुई।

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	आवंटन अधिकारी और आवंटन की तिथि	आवंटित क्षेत्रफल बीघा	राज्यांश (डी. एल. सी. दर का 40 प्रतिशत)	वसूली गई राशि	मांग कायम नहीं की गई /वसूली नहीं की गई राशि	आगे और टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	कलेक्टर, जोधपुर 15.4.2005	36.60	87.84	0.01	87.83	उत्तर नहीं दिया गया।
2	उपखण्ड अधिकारी, कैथून 25.6.2005	266.19	1,834.54	0.55	1833.99	उत्तर नहीं दिया गया।
3	कलेक्टर, अलवर 24.12.2007	207	2,173.50	-	2173.50	तहसीलदार ने पुष्टि की (मार्च 2010) कि मांग कायम नहीं की गई और आवंटन के पक्ष में नामान्तरण किया गया।
4	कलेक्टर, राजसमन्द 5.4.2005	21.45	537.26	0.01	537.25	वसूली प्रक्रियाधीन।
5	कलेक्टर, जयपुर 21.9.2005	6,091.64	4,408.01	0.00	4,408.01	सरकार ने आयुक्त जे.डी.ए. से, भूमि जिसका जे.डी.ए. के नाम नामान्तरण खोल दिया गया था, उसकी लागत का 40 प्रतिशत जमा कराने को कहा (24.11.2006)
6	कलेक्टर, भीलवाड़ा 25.8.2008	346.80	873.94	834.48	39.46	7.8.2008 को आवंटन द्वारा 40 प्रतिशत डी. एल. सी. दर लागत की जमा कराई गया। आवंटन पत्र दिनांक 25.8.2008 को जारी किया गया चूंकि संशोधित डी.एल.सी. दर 19.8.2008 को प्रभावी हुई, संशोधित डी.एल.सी. दर से लागत वसूली की जानी चाहिये थी।

1	2	3	4	5	6	7
7	कलेक्टर, बीकानेर 17.1.2005	678.90	55.27	0.06	55.21	₹ 27.78 लाख की मांग कायमी की गई और वसूली प्रगति पर है। बकाया मांग ₹ 27.43 लाख आरोपित नहीं की गई।
8	कलेक्टर, बीकानेर	97	581.59	0.00	581.59	कचरा प्रबन्धन हेतु दिनांक 26.3.2006 को भूमि आरक्षित की गई और नामान्तरण 1.10.2005 को खोला गया। यह दर्शाता है कि भूमि आवंटि के कब्जे में दिनांक 1.10.2005 से थी इसलिए, भूमि की डी. एल. सी. दर 40 प्रतिशत ₹ 581.59 लाख वसूली योग्य थी, लेकिन मांग कायम नहीं की गई।
योग					9716.84	

4.5.11.2 गलत दर से वसूली

कलेक्टर, बाड़मेर के निम्नलिखित दो प्रकरणों में डी. एल. सी. दर गलत दर से लगाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 9.68 लाख की कम वसूली हुई।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आवंटन अधिकारी और आवंटन की तिथि	आवंटित क्षेत्रफल बीघा	राज्यांश (डी. एल. सी. दर का 40 प्रतिशत)	वसूली गई राशि	मांग कायमी नहीं की गई/ वसूल नहीं की गई राशि	आगे और टिप्पणी
1	कलेक्टर, बाड़मेर 6.7.2006	131.80	28.10	19.00	9.10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
2	कलेक्टर, बाड़मेर 2.8.2006	100	2.31	1.73	1.73	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
योग					9.68	

4.5.12 संपरिवर्तन प्रभारों का कम जमा कराना

30 अगस्त 2001 को जारी निर्देशों के अनुसरण में, स्थानीय निकाय द्वारा राजकीय अंश के रूप में संपरिवर्तन प्रभारों का 40 प्रतिशत वसूलने के तुरन्त बाद राज्य लेखों में जमा किया जाना था। बाद में, सरकार ने निर्देशित किया (दिसम्बर 2004) कि व्यक्तियों द्वारा इसका अंश सीधे ही राज्य लेखों में जमा किया जाना चाहिये।

हमने देखा कि संपरिवर्तन प्रभारों का सम्पूर्ण 40 प्रतिशत राजकीय अंश व्यक्तियों द्वारा राज्य लेखों में जमा नहीं करवाया गया, तथापि, यू आई टी, जोधपुर द्वारा संपरिवर्तन आदेश जारी कर दिये गये। इसी प्रकार

नगरपालिका, बाड़मेर और जे डी ए ने प्राधिकृत न होते हुए भी संपरिवर्तन प्रभारों का राजकीय अंश संग्रहित किया और राज्य लेखों में जमा नहीं करवाया। विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	अवधि	वसूली योग्य राजकीय अंश (40 प्रतिशत)	जमा की गयी राशि	कम जमा राशि
1	यू आई टी, जोधपुर (अब जोधपुर विकास प्राधिकरण)	2006-09	1,175.82	906.87	268.95
टिप्पणी: स्थानीय निकाय ने अपने खाते में ₹ 1,763.74 लाख (60 प्रतिशत) जमा करवाये। इस आधार पर राजकोष में ₹ 1,175.82 लाख जमा होने थे।					
2	नगरपालिका, बाड़मेर	2007-09	42.30	.	42.30
3	जे डी ए, जयपुर	2008-09	17.39	.	17.39
टिप्पणी: नगरपालिका, बाड़मेर और जे डी ए ने संपरिवर्तन प्रभार राशि क्रमशः ₹ 105.76 लाख और ₹ 43.48 लाख संग्रहित किये, लेकिन राजकीय अंश जमा नहीं करवाया।					
योग					328.64

प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की कमी के परिणामस्वरूप राज्य लेखों में ₹ 3.29 करोड़ जमा नहीं हुए/कम जमा हुए।

ध्यान में लाने पर, नगरपालिका, बाड़मेर ने उत्तर दिया (अप्रैल 2010) कि संपरिवर्तन प्रभारों का राजकीय अंश राज्य लेखों में जमा करवा दिया जायेगा। विभाग ने भी अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि वसूली की कार्यवाही तुरन्त की जायेगी।

सरकार नियमानुसार संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली एवं संग्रहण तथा इसके राजकीय लेखों में जमा को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी प्रणाली लागू करने पर विचार करे।

4.5.13 संपरिवर्तन प्रभारों को देरी से जमा पर ब्याज वसूली का अभाव

राजकीय आदेश (मार्च 2007) के अनुसार संपरिवर्तन प्रभारों का राजकीय अंश (40 प्रतिशत) देरी से जमा कराने पर स्थानीय निकाय से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूलनीय था।

राजकीय लेखों में व्यक्तियों द्वारा संपरिवर्तन प्रभारों को सीधे जमा कराने और देरी से जमा वाले प्रकरणों में ब्याज वसूली के आदेशों के बावजूद हमने पाया कि सरकार को संपरिवर्तन प्रभारों के त्वरित गति से जमा कराने में यू

एल बी लगातार दोषी रही। तीन कार्यालयों में, हमने देखा कि संपरिवर्तन प्रभारों का राजकीय अंश सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा देरी से जमा करवाया गया,

लेकिन निम्नानुसार विभाग ब्याज राशि ₹ 14.43 लाख वसूलने में असफल रहा।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	अवधि	संपरिवर्तन प्रभारों का राजकीय अंश	देरी की सीमा (महीनों में)	वसूलनीय ब्याज राशि
1	यू आई टी, भीलवाड़ा	अप्रैल 2004 से सितम्बर 2008	90.00	1-8	3.62
2	नगरपालिका, बाड़मेर	अप्रैल 2006 से मार्च 2009	48.13	12-24	9.18
3	यू आई टी, कोटा	अप्रैल 2004 से मार्च 2009 और फरवरी 2009 से मार्च 2009	133.04	1-20	1.63
योग					14.43

विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि नगरपालिका, बाड़मेर वाले प्रकरण में ब्याज वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

यू एल बी द्वारा संपरिवर्तन प्रभारों को देरी से जमा कराने पर ब्याज वसूली को सुनिश्चित करने के लिये सरकार प्रभावी प्रणाली लागू करे।

अनुपालना की कमियाँ

4.5.14 केन्द्र सरकार के विभागों से भूमि कीमत की अवसूली/कम वसूली

परिपत्र दिनांक 2 मार्च 1987 के अनुसार केन्द्र सरकार के विभागों और उपक्रमों को नगरीय क्षेत्र एवं उसकी परिधि में आवंटित भूमि पर नगरीय क्षेत्र के लिये निर्धारित आवासीय दर से सरकारी भूमि की कीमत वसूली जाती है। यदि आवंटन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जाता है, तो वाणिज्यिक दर से कीमत वसूली जाती है। यदि यह ग्रामीण क्षेत्र में आवंटित की जाती है, तो कृषि भूमि के लिये निर्धारित दर से भूमि की कीमत और पूंजीगत मूल्य वसूला जाता है। वाणिज्यिक उपयोग के मामले में वाणिज्यिक दर से रूपान्तरण प्रभार भी वसूली योग्य है।

तीन कलेक्टर कार्यालयों⁴ में हमने देखा कि चार केन्द्र सरकार विभागों⁵ को मई 2005 से फरवरी 2008 के मध्य 3,258.20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया, लेकिन भूमि की कीमत और संपरिवर्तन प्रभार परिपत्र दिनांक 2 मार्च 1987 में

दशायिनुसार वसूल नहीं किये गये या गलत दर से वसूलने के

⁴ बाड़मेर, जोधपुर और कोटा।

⁵ रेल्वे, सीमा सुरक्षा बल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रक्षा।

परिणामस्वरूप ₹ 62.11 करोड़ की निम्नानुसार कम वसूली हुई:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आवंटन अधिकारी	आवंटित क्षेत्रफल बीघा	विभाग/ उद्देश्य	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	नहीं वसूली गई/ कम वसूली गई राशि	आगे टिप्पणी और
1.	कलेक्टर, जोधपुर	5.30	रेल्वे विभाग/वाणिज्यिक	5.08	0.49	4.59	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
2.	कलेक्टर, जोधपुर	692.50	सीमा सुरक्षा बल/ फील्ड फायरिंग रेंज	10.39	0.00	10.39	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
3.	कलेक्टर, कोटा	107.10	पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया/ आवासीय व वाणिज्यिक	54.83 (संपरिवर्तन प्रभार 3.37 करोड़ सहित)	13.25	41.58	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
4.	कलेक्टर, बाडमेर	2453.30	रक्षा विभाग	5.55	0.00	5.55	विभाग ने अवगत कराया कि यदि राशि जमा नहीं करायी जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

4.5.15 उद्योगों से भूमि की कीमत एवं विकास शुल्क की वसूली

आर एल आर (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नयम, 1959, के नियम 3 और 3ए के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि के आवंटन की स्थिति में भूमि की कीमत आस-पास की उसी वर्ग की कृषि भूमि की विद्यमान बाजार मूल्य के बराबर होगी और 10,000 और कम की जनसंख्या पर ₹ 100 प्रति एकड़ की दर से विकास शुल्क देय होगा।

दो कलेक्टर कार्यालयों⁶ में, हमने देखा कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ 3,457.80 बीघा राजकीय भूमि का आवंटन किया गया, परन्तु भूमि की कीमत और विकास शुल्क या तो वसूल नहीं किये गये या गलत दर से वसूलने के कारण कम

वसूले गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.98 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि राजसमन्द वाले मामले में जाँच पश्चात् माँग कायमी की जायेगी।

नियमानुसार भूमि की कीमत वसूली को सुनिश्चित करने के लिये निगरानी प्रक्रिया लागू करने पर सरकार विचार करे।

⁶ जोधपुर और राजसमन्द।

4.5.16 गैर सरकारी संस्थाओं से प्रीमियम की अवसूली/कम वसूली

अनधिवासित राजकीय भूमि का पाठशालाओं, कालेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु आवंटन की शर्तों, 1963 (शर्त, 1963) के क्लॉज 3 (11) (ए), (बी) और (सी) के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं को कस्बे या शहर की नगरपालिका सीमा में और ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित सीमा तक राजकीय भूमि के आवंटन पर रजिस्ट्रीकरण प्रयोजनों के यथानियत सूचक कीमत के अनुसार अवधारित की जाने वाली कृषि भूमि के बाजार मूल्य का क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम देय होगा। यदि निर्धारित सीमा से अधिक भूमि आवंटित की जाती है तो अधिक भूमि के लिये प्रीमियम बाजार मूल्य के बराबर होगा।

चार कलेक्टर कार्यालयों⁷ से सम्बन्धित सात प्रकरणों में, हमने देखा कि शर्त 1963, के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिये 312.62 बीघा राजकीय भूमि आवंटित की गयी थी, लेकिन निर्धारित दरों पर प्रीमियम की वसूली नहीं की गयी परिणामस्वरूप ₹ 4.95 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि अलवर के एक और टोंक के दो मामलों में सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियों (जून 2005, जनवरी 2007 और

जुलाई 2008) के अनुसार भूमि आवंटित की गयी। राजसमन्द के एक मामले में और टोंक के बचे हुए एक मामले में आक्षेपित राशि वसूल कर ली गयी और जयपुर के एक मामले में वसूली की कार्यवाही की जा रही है। अलवर के एक मामले में और टोंक के दो मामलों में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन प्रकरणों में लगाई दरें शर्तों, 1963 के अनुसार नहीं थी।

गैर सरकारी संस्थाओं से निर्धारित दरों से प्रीमियम वसूली के लिये प्रभावी कदम उठाने पर सरकार विचार करे।

⁷ अलवर, जयपुर, राजसमन्द और टोंक।

4.5.17 संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली/कम वसूली

4.5.17.1 नगर परिषद, टोंक को भूमि हस्तान्तरित नहीं करना

आर एल आर अधिनियम की धारा 90 बी सपटित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 80 ए के अनुसार भू-धारकों द्वारा भूमि पर के अधिकारों और हितों को समर्पित करने के बाद सारी भूमि नगरपालिका को निस्तारण हेतु निहित होने के बाद नियमितिकरण (संपरिवर्तन) हेतु उपलब्ध होगी। राज्यादेश (अगस्त 2001) के अनुसार संपरिवर्तन प्रभारों की 40 प्रतिशत राशि राजकीय अंश के रूप में सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा जमा करायी जायेगी।

अप्रैल 2004 से अगस्त 2008 के दौरान, अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि के संपरिवर्तन के लिये 74 मामलों में कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार एस डी ओ, टोंक को समर्पित किये गये, लेकिन संपरिवर्तन हेतु

ये मामले नगर परिषद, टोंक को हस्तान्तरित नहीं किये गये।

4.5.17.2 गलत दर से संपरिवर्तन प्रभारों का निर्धारण

नगरीय विकास विभाग (यू डी डी) द्वारा जारी निर्देशों (जनवरी 2000) के अनुसार, यदि आवासीय योजना के अनुमोदित प्लान में भूमि खातेदार की भूमि से अधिक पायी जाती है, ऐसी अधिक भूमि को, जो कि अनुमोदित प्लान में शामिल है, राजकीय भूमि माना जायेगा। राजकीय भूमि की कीमत व खातेदारी भूमि के नियमन प्रभारों के जोड़ में अनुमोदित प्लान के वर्ग गज में प्राप्त सम्पूर्ण क्षेत्र का भाग लगाकर नियमन प्रभार प्रति वर्ग गज वसूले जायेगें। इन नियमन प्रभारों की सरकार से भी भागीदारी की जानी है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि खातेदार भंवर लाल एवं रंजीत सिंह, जो कि 16.90 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार धारक थे एवं 1.95 बीघा राजकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा

रखते थे, उप-टाउन प्लानर, जोधपुर से मन्डोर में 18.85 बीघा के लिये आवासीय योजना अनुमोदित करवाई (फरवरी 2008)। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार प्राप्त दर ₹ 356.16 प्रति वर्गगज के स्थान पर खातेदारी भूमि के लिये लागू ₹ 45 प्रति वर्गगज की दर से संपरिवर्तन प्रभारों को जमा करवाया जाकर यू आई टी द्वारा पट्टा विलेख जारी किये गये, परिणामस्वरूप संपरिवर्तन प्रभार राशि ₹ 62.43 लाख की हानि हुई। त्रुटि के कारण राजकीय अंश के रूप में ₹ 24.97 लाख की हानि हुई।

4.5.17.3 राजकीय बकायों को कम जमा कराना

यू डी डी द्वारा सितम्बर 2000 में जारी परिपत्र के अनुसरण में कस्बे के परिधीय क्षेत्र में कृषि से आवासीय प्रयोजन हेतु भू उपयोग परिवर्तन पर सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा ₹ 10 प्रति वर्गगज की दर से नियमन प्रभार वसूली योग्य थे।

हमने देखा (अप्रैल 2010) कि बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील में तहसीलदार ने आर एल आर (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 1992, के अन्तर्गत नगरपालिका, बालोतरा के

परिधीय क्षेत्र⁸ के जसोल गांव में 94 मामलों में 1,64,429 वर्गगज भूमि का अनियमित संपरिवर्तन किया (अप्रैल 2007)। उपरोक्त मामलों में राजकीय अंश (40 प्रतिशत) ₹ 6.58 लाख सहित परिधीय क्षेत्र में राशि ₹ 16.44 लाख नियमन प्रभारों के वसूली योग्य थे, जिसका केवल ₹ 2.75 लाख सरकार को जमा करवाया गया। इसके परिणामस्वरूप राजकीय अंश के रूप में ₹ 3.83 लाख कम जमा हुए। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि कार्यवाही तुरन्त की जायेगी।

4.5.17.4 ग्रामीण क्षेत्रों में संपरिवर्तन प्रभारों की कम वसूली

आर एल आर (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007, के नियम 7 के अनुसार, कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन हेतु प्रीमियम निम्नानुसार प्रभार्य था:

क्र. सं.	प्रयोजन	प्रति वर्गमीटर प्रीमियम की दर
1.	आवासीय ईकाई	₹ 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी एल सी दर की 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
2.	आवासीय कालोनी/परियोजना	₹ 7.50 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी एल सी दर की 7.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
3.	वाणिज्यिक	₹ 10 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी एल सी दर की 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
4.	संस्था सम्बन्धी	₹ 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी एल सी दर की 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

छ: कलेक्टर कार्यालयों⁹ के अभिलेखों की जाँच के दौरान, हमने पाया कि 151 मामलों में अप्रैल 2007 व जून 2009 के मध्य कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये, लेकिन संपरिवर्तन के लिये

⁸ परिधीय क्षेत्र से मतलब किसी एक शहर या एक कस्बा के मास्टर प्लान या मास्टर डवलपमेण्ट प्लान में दर्शित परिधीय क्षेत्र है।

⁹ अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और श्रीगंगानगर।

प्रीमियम ₹ 53.79 लाख कम प्रभारित किये गये। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि वसूली की कार्यवाही तुरन्त की जायेगी।

4.5.18 अप्राधिकृत भूमि के स्वामित्व का नियमन न करना

आर एल आर (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन)नियम, 1959, के नियम 13ए के अनुसार कोई भी सरकारी भूमि, जो उचित आवंटन के बिना 15 जुलाई 1994 तक औद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग में लायी गई हो, उसको पड़ोस की भूमि की विद्यमान उच्चतम बाजार मूल्य एवं भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के पाँच गुना के बराबर अतिरिक्त शास्ति के भुगतान करने पर नियमित की जा सकती है।

4.5.18.1 जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना की जाँच में हमने पाया कि जिला भीलवाड़ा के पुर गाँव में 1984 से 1993 के दौरान स्थापित 16 उद्योगों का 15,131 वर्गमीटर भूमि पर अनधिकृत कब्जा था, लेकिन सरकार ने या तो अतिक्रमण को हटाने के लिये या

अप्राधिकृत स्वामित्व के नियमितीकरण करने के लिये कार्यवाही नहीं की।

ध्यान आकर्षित करने पर, विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2010 और अक्टूबर 2010) कि नियमितीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

आर एल आर (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007, के नियम 13 के अनुसार, निर्धारित प्राधिकारी की अनुमति के बिना कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता है तो उसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त नियमों के नियम 7 के अन्तर्गत शास्ति (संपरिवर्तन प्रभारों की चार गुना) जमा कराने के बाद नियमित किया जा सकेगा।

4.5.18.2 तहसीलदार चाकसू द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार, 24 खातेदारों ने सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना कृषि भूमि का औद्योगिक और आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया था। भूमि के नियमन हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर

2010) कि तहसीलदार से सूचना प्राप्त की जा रही है।

सरकार भूमि के अनधिकृत उपयोग पर सामयिक जाँच के लिये एक प्रक्रिया स्थापित करे और समुचित कार्यवाही करे।

4.5.19 भूमि के विक्रय आगम को कम जमा कराना

उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (एक सरकारी कम्पनी) की 90 एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित किया (अप्रैल 2000) और आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विक्रय के लिये यू आई टी, कोटा को

हस्तान्तरित करने की स्वीकृति जारी की (अगस्त 2000)। पटवारी, रामचन्द्रपुरा के पत्र (अप्रैल 2009) के अनुसार यू आई टी, कोटा को 32.65 हैक्टेयर भूमि हस्तान्तरित की गई। सरकार के निर्णयानुसार (अक्टूबर 2003) भूमि के विक्रय आगम को, प्रशासनिक, नगरपालिका और विकास कार्यों पर हुए खर्चों को घटाने के बाद पहले राजकीय राजस्व मद में जमा करवाया जाना था और उसके बाद इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड को उसके पुनर्जीवन के लिये बजट प्रावधान के माध्यम से दिया जाना था।

हमने देखा कि यू आई टी, कोटा ने 2003-04 से 2008-09 के दौरान उपरोक्त भूमि के विक्रय से ₹ 111.34 करोड़ प्राप्त किये, इसमें से ₹ 69.55 करोड़ राजकीय लेखों में जमा कराये (दिसम्बर 2007) और ₹ 6.20 करोड़ प्रशासनिक और विकास कार्यों पर खर्च किये गये। शेष ₹ 35.59 करोड़ राजकीय लेखों में जमा नहीं करवाये गये (अक्टूबर 2010)। बकाया राशि की प्राप्ति को अनुसरित करने के लिये की गई कार्यवाही उपलब्ध नहीं पायी गई।

4.5.20 भूमि उपयोग के सत्यापन का अभाव

आर एल आर (जैव ईंधन बागान और जैव ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई के लिये बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007, के प्रावधानों के अन्तर्गत जैव ईंधन बागान और जैव ईंधन आधारित उद्योगों के लिये बंजर भूमि 20 वर्ष के लिये गैर खातेदारी और पट्टेदारी आधार पर आवंटित की जावेगी। यदि आवंटी द्वारा भूमि का कब्जा लेने की तिथि से दो वर्षों के भीतर 50 प्रतिशत भूमि का तथा शेष का अगले एक वर्ष के भीतर बागान हेतु उपयोग नहीं किया जाता है तो आवंटन स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

कलेक्टर, राजसमन्द ने अगस्त और सितम्बर 2007 के मध्य 20 वर्ष की अवधि के लिये 281 स्वयं सहायता समूहों को जैव ईंधन बागान के लिये 2,806.50 हैक्टेयर भूमि आवंटित की। लेखापरीक्षा के दौरान, कलेक्टर के अभिलेखों से हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाये कि इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा भूमि का

उपयोग किया जा चुका था। निर्धारित सीमा अवधि में भूमि का उपयोग न करने पर आवंटन निरस्त किया जाना था। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि आवंटित भूमि के सम्बन्ध में जाँच की जा रही है। चूंकि इस प्रकार के मामलों पर निगरानी हेतु नियंत्रण प्रणाली नहीं थी, अतः दो वर्षों के बाद भी भूमि के उपयोग की जानकारी का अभाव रहा।

4.5.21 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

भारत सरकार ने प्रभावी भू-प्रशासन, योजना और जनता को सूचना प्राप्त करने के अधिकार की शक्तियाँ देने हेतु एक केन्द्र प्रवर्तित योजना “भू-अभिलेखों का

कम्प्यूटरीकरण” (सी एल आर) आरम्भ की। एन आई सी, जयपुर द्वारा विकसित क्लाईन्ट सरवर मोडल एप्लिकेशन (अपना खाता) के माध्यम से सी एल आर परियोजना शुरू में राजस्थान में 1994-95 में जयपुर एवं बाड़मेर जिले में प्रारम्भ की गई। बाद में, सी एल आर को 1996-97 में 244 तहसीलों और छः अतिरिक्त तहसीलों¹⁰ सहित राज्य के सभी 33 जिलों में विस्तारित किया गया। मार्च 2003 के अन्त तक सभी तहसीलों में और जून 2005 के अन्त तक सभी अतिरिक्त तहसीलों में पूरी तरह से कार्य प्रारम्भ हो चुका था।

4.5.21.1 योजना के उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

- भू-अभिलेखों के आकड़ों, यथा स्वामित्व, खातेदारी अधिकार, फसलों का विवरण, भू-राजस्व, सिंचाई के साधन, नामान्तरण और उसको अद्यतन करना और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को एकत्रित करना, पुनः प्राप्त करना और संचालन के प्रावधानों सहित सभी भू-अभिलेखों के रख रखाव को ग्रहण करना;
- स्वामित्व का बदलना, मौसमी फसल, अद्यतन आदि के लिये ऑनलाईन नामान्तरण मोड्यूल प्रावधानों सहित, भू-धारक के मांगने पर रिकार्ड्स आफ राइट्स (आर ओ आर) जिसे जमाबन्दी कहा जाता है, की कम्प्यूटरीकृत प्रति वितरित करना;
- आर ओ आर की कम्प्यूटरीकृत प्रति को आसानी से प्राप्त करने के लिये योजना को उपसंभाग, उपतहसील/राजस्व वृत्त स्तर तक विस्तारित करना।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

4.5.21.2 भौतिक नियंत्रण पर पहुँच स्थापित न करना

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा के लिये केवल पासवर्ड के माध्यम से नियंत्रण करने के बजाय बायोमेट्रिक्स डिवाइस काम में ली जानी थी। हमने नमूना जाँच में पाया कि 14 तहसीलों में से जैसलमेर को छोड़कर 13 तहसीलें बायोमेट्रिक्स डिवाइस का उपयोग नहीं कर रही थी। वर्ष 2005 में प्रदाय किये गये बायोमेट्रिक्स डिवाइस बेकार पड़े थे। बायोमेट्रिक्स डिवाइस के उपयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप भूमि से सम्बन्धित आंकड़ों का दुरुपयोग हो सकता है। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि सभी जिलों के कलेक्टरों को बायोमेट्रिक्स डिवाइस के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है। बायोमेट्रिक्स डिवाइस के सही और नियमित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सरकार सामयिक जाँच पर विचार करे।

¹⁰ अतिरिक्त तहसील, सम्बंधित तहसील का एक अधीनस्थ कार्यालय है।

4.5.21.3 तर्कसंगत नियंत्रण पर पहुँच का दुरुपयोग

उपयोग करने वालों के कर्तव्यों को बांटने से व्यक्ति के प्राधिकार क्षेत्र को सीमित करने में मदद मिलती है और उपयोग करने वालों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कपट की संभावना भी कम होती है।

अपना खाता प्रणाली में, प्रणाली पर पहुँच तीन विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के माध्यम से नियंत्रित होती है। हमने 14 तहसीलों की नमूना जाँच में पाया कि संशोधन एवं बदलाव को प्राधिकृत करने के लिये पटवारी द्वारा उच्च कर्मचारियों

(तहसीलदारों) के पासवर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा था। इस प्रकार अप्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा/उद्देश्यों हेतु आंकड़ों में हेरफेर की संभावनायें थी। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि उच्च कर्मचारियों के पासवर्ड का उपयोग तहसीलदार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जब वह यात्रा पर होता है।

4.5.21.4 चक्रीय प्रक्रम नियंत्रण में कमियाँ

कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से आर ओ आर जारी करने में लगे वास्तविक समय की गणना हेतु आर ओ आर जारी करने के लिये आवेदन पत्र की प्राप्ति दिनांक को अभिलिखित करने का प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं है। नामान्तरण और क्रमिक जमाबन्दी¹¹ की प्रविष्टि के दौरान आवश्यक अभिलेखों को तलाशने के लिये प्रणाली में जाँच सुविधा उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि अपना खाता वर्जन 5.00 अपनाया जा चुका है और आवश्यक प्रावधान किये जा चुके हैं।

4.5.21.5 इनपुट कंट्रोल में कमियाँ

हमने देखा कि 60,06,332 मामलों में से 59,65,434 मामलों (99 प्रतिशत) में भू-राजस्व की दरें दर्ज नहीं की गयी थी। 3,04,056 खातों में से 50,116 (16 प्रतिशत) में नामान्तरण संख्या, ऐसे नामान्तरण के सम्बन्ध में व्यक्तियों के नाम वाले कालम में गलत दर्ज की गयी। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि अपना खाता वर्जन 5.00 में भू-राजस्व की दरों के लिये प्रावधान कर दिये गये हैं।

4.5.21.6 हस्त निर्मित और कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों के मध्य अन्तर

हस्त निर्मित आँकड़ों और प्रणाली के जरिये बनाई गई रिपोर्टों की तुलना पर हमने तहसीलों के कुल क्षेत्रफल के सम्बन्ध में भिन्नता देखी। नमूना जाँच की गई सभी तहसीलों में, आँकड़ा आधारित क्षेत्रफल हस्तलिखित अभिलेखों के अनुसार कुल क्षेत्रफल के अनुरूप नहीं था। उसमें 326.40 हैक्टेयर से 4,393.83 हैक्टेयर तक

¹¹ क्रमिक जमाबन्दी का मतलब एक नयी जमाबन्दी, जो प्रत्येक चार वर्ष की समाप्ति पर तैयार करने के बाद जिसे 30 सितम्बर तक अंतिम रूप दिया जा चुका हो, उससे है।

अन्तर था। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि यह अन्तर भू-प्रबन्ध विभाग से अभिलेख प्राप्त नहीं होने के कारण था। तीन तहसीलों¹² में नमूना आधार पर हस्तलिखित जमाबन्दी (पत्र-पतवार) और कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी की तुलना करने पर हमने नामान्तरण आँकड़ों को गलत और अपूर्ण प्रविष्टियों वाली भिन्नता देखी।

4.5.21.7 आँकड़ों का बेकअप

नमूना जाँच के दौरान, हमने पाया कि बी ओ आर द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करते हुये प्रतिदिन वाले एवं पाक्षिक बेकअप कोम्पेक्ट डिस्क में नहीं लिये गये। नसीराबाद तहसील के 18 गाँवों के मासिक आँकड़ों के बेकअप को एन आई सी को प्रारम्भ से ही नहीं भेजा गया; और नसीराबाद तहसील में, 2 गाँव (आसपुरा और लवेरा) की जमाबन्दियों की पूर्ण प्रविष्टि नहीं की गई (मई 2010)।

सरकार आँकड़ों का ऑफ साइट बेकअप रखने की प्रणाली लागू करने पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आँकड़े नष्ट न हों। साथ ही आँकड़ों की पुनः प्रापणियता की स्वतन्त्र रूप से आवधिक जाँच की जाए।

4.5.21.8 बिना रूकावट विद्युत आपूर्ति की कमी

तहसील स्तर पर कुछ घण्टों के लिये लगातार बिजली जाने के बावजूद, प्रणाली को लगातार चालू रखने के लिये, बी ओ आर द्वारा, जनरेटरों की आपूर्ति नहीं की गई। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि सभी तहसीलों को इनवरटर उपलब्ध करवा दिये गये हैं। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिजली की लगातार आपूर्ति इनवरटर द्वारा नहीं की जा सकती।

4.5.21.9 आई टी सम्पत्तियों की सुरक्षा

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम खण्ड प्रथम (भाग-11) के अनुसार आई टी सम्पत्तियों की चोरी और उनके दुरुपयोग की आशंका को टालने के लिये वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिये।

हमने पाया कि ग्यारह तहसीलों¹³ में प्रारम्भ से ही और तीन तहसीलों¹⁴ में पिछले चार वर्षों से आई टी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि आई टी सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

सरकार आई टी सम्पत्तियों का सामयिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करे।

¹² चाकसु, चित्तौड़गढ़ और नसीराबाद।

¹³ अलवर, बयाना, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, जैसलमेर, जोधपुर, नसीराबाद, रामगंजमण्डी और टोंक।

¹⁴ चाकसु, जयपुर और किशनगढ़।

4.5.21.10 इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति का अभाव

भू-अभिलेखों का उप तहसील स्तर पर कम्प्यूटरीकरण, नामान्तरण के ऑकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि और जमाबन्दी उपलब्ध करवाना इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे।

लेखापरीक्षा में पाया कि उप तहसील/राजस्व वृत्त स्तर तक योजना का विस्तार नहीं हुआ था। प्रभावी स्वामित्व को बदलने, मौसमी फसल और कार्य को

अद्यतन करने के लिये ऑनलाइन नामान्तरण मोड्यूल को अभी तक भी विकसित नहीं किया गया और हस्तलिखित आर ओ आर लगातार जारी किये जा रहे थे। परिणामस्वरूप योजना के इच्छित उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं किये गये।

4.5.21.11 नामान्तरण को अद्यतन करने तथा जमाबन्दियों को तैयार करने में देरी

आर एल आर (भू-अभिलेख)नियम, 1957, के नियम 154 के अनुसार नयी जमाबन्दियों को प्रत्येक चार वर्ष की समाप्ति पर तैयार की जानी थी और आगामी 30 सितम्बर तक अंतिम रूप दिया जाना था।

नमूना जाँच की गयी 14 तहसीलों के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि 8 तहसीलों¹⁵ के 39 गाँवों की जमाबन्दियाँ निर्धारित समय में तैयार नहीं की गयी। सभी

स्वीकृत नामान्तरण आदेश पाक्षिक दर्ज किये जाने थे। नमूना जाँच की गयी तहसीलों के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि जारी 7,801 नामान्तरण आदेशों की कम्प्यूटर प्रणाली में प्रविष्टि वास्तविक समय से 56 माह तक की देरी दर्ज की गई।

शुद्धता के साथ जमाबन्दी को तैयार करने में देरी को टालने के लिये नामान्तरण आदेशों को ऑनलाइन अद्यतन करने के लिये सरकार एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करें ताकि भू-धारकों द्वारा मांगने पर रिकार्ड्स ऑफ राइट्स की कम्प्यूटरीकृत प्रतियाँ उपलब्ध करवायी जा सके।

4.5.21.12 खसरा मानचित्रों का सूक्ष्म परीक्षण एवं अंकीकरण

हमने देखा कि 1,624 गाँवों के खसरा मानचित्रों (नक्शा) के सूक्ष्म परीक्षण एवं अंकीकरण के लिये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली (एन आई सी एस आई) को 2007 में 90 प्रतिशत राशि ₹ 40.50 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया, जिसे विस्तृत कार्य विवरण पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एन आई सी एस आई द्वारा जून 2008 में वापस लौटा दिया गया। प्लानिंग की कमी के कारण केन्द्र सरकार द्वारा, इस उद्देश्य के लिये प्रदाय की गयी सम्पूर्ण राशि ₹ 5.31 करोड़ अनुपयोगी रही। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि खसरा मानचित्रों के अंकीकरण की योजना अब बनायी जा चुकी है और टोंक जिले में प्रगति पर है।

¹⁵ बयाना, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, रामगंजमण्डी और टोंक।

4.5.21.13 निधि का विपथन

लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि राजस्व मण्डल द्वारा वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान ₹ 97.45 लाख खर्च कर 51 लेपटाप (5 राजस्व समूह के लिये, 32 जिला कलेक्टरों के लिये और 14 बी ओ आर के अधिकारियों के लिये) तथा अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर प्राप्त किये गये जिनका इस योजना में प्रावधान नहीं था।

4.5.21.14 ग्राहकों का संतुष्टिकरण

योजना के वास्तविक संचालन के बारे में योजना के प्रभाव का मूल्यांकन और फीडबैक प्राप्त करने हेतु बी.ओ.आर. ने कोई प्रयास नहीं किया, जैसा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक है। दी गयी सेवाओं के सम्बन्ध में ग्राहकों के संतुष्टिकरण के निर्धारण के लिये सावधिक निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं थी। नमूना जाँच की गयी 14 तहसीलों में से 6 तहसीलों¹⁶ में आम जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अलग से सहायता आधार नहीं था।

ग्राहकों के सुझाव प्राप्त करने के लिये सरकार एक सामयिक प्रणाली लागू करे।

4.5.22 आन्तरिक नियंत्रण

मार्च 2009 के अन्त तक, विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिये उचित समर्थित वातावरण के अभाव में 5,755 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 17,499 अनुच्छेद बकाया थे। विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2010) कि बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण के लिये एक विशेष अभियान चलाया जायेगा।

4.5.23 निष्कर्ष

राजकीय भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया गया, जहाँ ऐसी भूमि आवंटित उद्देश्य के लिए आवंटियों द्वारा काम में नहीं ली गई थी। भू-व्यवस्थापन कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप भूमि का मानचित्र एवं भूमि के किराये का पुनर्निर्धारण नहीं हो सका। आबादी उद्देश्य के लिये नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित भूमि के निस्तारण पर निगरानी नहीं होने के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत और विक्रय आगम का राजकीय अंश के रूप में राज्य सरकार का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। भूमि संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली के लिये प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। विभाग में अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी। प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की कमी के परिणामस्वरूप भू-संपरिवर्तन प्रभारों का राजकीय अंश राजकीय लेखों में कम/देरी से जमा हुआ। 1994-95 से प्रारम्भ किये गये भू-अभिलेख कार्य का कम्प्यूटरीकरण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। मार्च 2008 तक ₹ 30.49 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी भू-अभिलेख के रखरखाव एवं अभिलेख तैयार करने हेतु विश्वसनीय प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

¹⁶ अलवर, बयाना, भीलवाड़ा, जयपुर, नसीराबाद और टोंक।

योजना अभी तक भी चलन की स्थिति की पहुँच से दूर थी और कम्प्यूटरीकरण के इच्छित लाभ जनता को अथवा विभाग को प्राप्त न हो सके थे। इस प्रकार, नामान्तरण मोड्यूल के ऑनलाईन के अभाव में और अद्यतन करने में विलम्ब के कारण अद्यतन आर ओ आर को जनता को प्रदाय नहीं करने से सम्बन्धित योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

4.5.24 सिफारिशों का सार

सरकार निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने पर विचार करे:

- भूमि से सम्बन्धित मामलों में ध्यान आकर्षित करने के लिये भूमि सुधार विभाग की अलग से स्थापना करे;
- बकाया की सही स्थिति के निर्धारण और इसकी शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करने के लिये विभाग में एक सामयिक निगरानी प्रणाली लागू करे;
- भू-व्यवस्थापन कार्य को सम्पादित करने के लिये प्रभावी निगरानी प्रणाली और भूमि को नापने के लिये एक समान चैन लागू करे;
- आवंटित उद्देश्य पर उपयोग में नहीं आ रही सरकारी भूमि का समय पर पुनर्ग्रहण करने के लिये प्रावधानों को बनाये;
- बिक्री की सम्भावना को सुनिश्चित करने के पश्चात ही नगरीय स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करे;
- राजकीय भूमि के विक्रय और विक्रय आगम के राजकीय अंश को राजकीय लेखों में तुरन्त जमा करने के लिये एक निगरानी प्रणाली विकसित करे;
- संपरिवर्तन प्रभारों के राजकीय अंश के सत्यापन के लिये सामयिक निरीक्षण करवाये;
- विभाग द्वारा अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाये;
- कम्प्यूटरीकरण के लाभों को प्राप्त करने हेतु भू-अभिलेखों के रखरखाव हेतु विश्वसनीय प्रणाली लागू की जावे । आंकड़ों का सामयिक रक्षण सुनिश्चित किया जावे; और
- शुद्धता के साथ जमाबन्दी को तैयार करने में देरी को टालने के लिये और नामान्तरण आदेशों को ऑनलाईन अद्यतन करने के लिये एक प्रणाली लागू करे ताकि भू-धारकों द्वारा मांगने पर रिकार्ड्स ऑफ राइट्स की कम्प्यूटरीकृत प्रतियाँ उपलब्ध करवायी जा सके।

4.6 भूमि की कीमत का कम आरोपण

स्कूलों, कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु कब्जा रहित सरकारी कृषि भूमि आवंटन नियम, 1963 के उपबन्ध 3(ii)(अ) के अनुसार गैर-सरकारी संस्थानों को भूमि का आवंटन निर्धारित प्रीमियम पर किया जायेगा। कस्बा अथवा शहर की नगरपालिका सीमा में स्थित भूमि का आवंटन, पंजीयन के उद्देश्य से निर्धारित सूचकांक मूल्य के अनुसार निर्धारित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के समतुल्य प्रीमियम पर किया जायेगा।

तहसील, गिर्वा (जिला-उदयपुर) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि कलेक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 16.7.2007 के द्वारा ₹ 1.25 लाख प्रति बीघा की दर से ग्राम बडगांव (श्रेणी-डी)¹⁷ में कब्जा रहित भूमि 5.245 हेक्टेयर (24.267 बीघा) मापकी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति, उदयपुर को 'प्रताप गौरव केन्द्र' की स्थापना हेतु आवंटित

की गई। कलेक्टर, उदयपुर ने आदेश दिनांक 25.10.2007 द्वारा भूमि के आवंटन को पुनः संशोधित किया जिसके अनुसार एक एकड़ (1.872 बीघा) भूमि जिला स्तरीय समिति दर की 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 0.94 लाख प्रति बीघा की दर से तथा शेष भूमि जिला स्तरीय समिति दर ₹ 1.25 लाख प्रति बीघा पर दी गई तथा ₹ 29.75 लाख वसूल किये।

हमने यह भी पाया (सितम्बर 2009) कि भूमि के आवंटन के समय लागू जिला स्तरीय समिति की दर उक्त ग्राम-बडगांव " श्रेणी-डी" के लिये ₹ 2.25 लाख प्रति बीघा थी। तदनुसार भूमि की कीमत ₹ 53.54 लाख वसूलनीय थी। इस प्रकार गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत में ₹ 23.79 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा ध्यान में लाये जाने पर, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2010) कि मांग कायम कर ली गई है।

¹⁷ बडगांव ए.बी.सी और डी इन चारो श्रेणियों के लिये जिला स्तरीय समिति की दर भिन्न-भिन्न है।

4.7 संपरिवर्तन प्रभार तथा ब्याज की अवसूली

राजस्थान सरकार (शहरी विकास विभाग) ने अगस्त 2001 में निर्देश जारी किये कि स्थानीय निकायों द्वारा कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनार्थ नियमितिकरण करने हेतु प्राप्त किये जाने वाले नियमितिकरण/हस्तान्तरण/संपरिवर्तन प्रभारों को प्रारम्भ में स्थानीय निकाय के व्यक्तिगत खातों में जमा किया जाये, तत्पश्चात् प्राप्त प्रभारों का 40 प्रतिशत हिस्सा सरकारी खातों में अविलम्ब प्रेषण किया जाए। आगे, सरकार ने निर्णय किया (मार्च 2007) कि अगर सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा यथासमय सरकारी खातों में जमा नहीं किया जाता है तो विलम्बित भुगतान पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रभार्य होगा।

तहसीलदार, जैतारण (जिला-पाली) के अभिलेखों की मापक-जांच के दौरान हमने पाया (जून 2009) कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, जैतारण ने कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनार्थ नियमितिकरण के लिये वर्ष 2000-01 से 2008-09 की अवधि में ₹ 100.89 लाख प्राप्त किये, जिसमें से ₹ 40.36 लाख अर्थात् 40 प्रतिशत हिस्सा नगरपालिका द्वारा अविलम्ब सरकारी खाते में जमा किया जाना था। नगरपालिका ने केवल

₹ 7.76 लाख सरकारी खाते में जमा किये तथा शेष राशि ₹ 32.60 लाख अनधिकृत रूप से अपने पास ही रख लिए (सितम्बर 2009)। इस शेष राशि पर अवधि 1.9.2001 से 31.3.2009 तक के लिये ब्याज के रूप में ₹ 12.74 लाख भी देय होते हैं।

ध्यान में लाये जाने पर (जुलाई 2009) विभाग ने बताया (जून 2010) कि जैसे ही नगरपालिका की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, राशि वसूल कर ली जायेगी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय निर्देशों (अगस्त 2001) में इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है।

हमारे द्वारा मामला सरकार के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2009), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2010)।

अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क (मु.क. एवं पं.शु.) से प्राप्तियाँ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; पंजीयन अधिनियम, 1908; राजस्थान मुद्रांक कानून (अनुकूलन) अधिनियम, 1952; राजस्थान मुद्रांक (रा.मु.) अधिनियम, 1998; (27.05.04 से प्रभावी) एवं इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा अधिनियमित होते हैं। मुद्रांक कर दस्तावेजों के निष्पादन एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेजों के पंजीयन पर देय होता है।

नीति का निर्धारण, देखरेख एवं नियंत्रण सरकार के स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (म.नि.) विभाग का विभागाध्यक्ष होता है। प्रशासनिक मामलों में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक व वित्तीय मामलों में वित्तीय सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। सम्पूर्ण राज्य को 13 वृत्तों में विभाजित किया गया है, इनमें से 12 वृत्तों में उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) आसीन रहते हैं। राज्य में 32 जिला पंजीयक (जि.पं.), 67 उप पंजीयक (उ.पं.) एवं 289 पदेन उप-पंजीयक¹ हैं।

5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राज्य की मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से वास्तविक प्राप्तियाँ सहित राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित हैं:


(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन अधिक(+)/कम (-)	विचलन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2005-06	1,000.00	1,031.79	(+) 31.79	(+) 3.18	9,880.23	10.44
2006-07	1,275.00	1,293.68	(+) 18.68	(+) 1.47	11,608.24	11.14
2007-08	1,500.00	1,544.35	(+) 44.35	(+) 2.96	13,274.73	11.63
2008-09	1,575.00	1,356.63	(-) 218.37	(-) 13.86	14,943.75	9.08
2009-10	1,450.00	1,362.94	(-) 87.06	(-) 6.00	16,414.27	8.30

¹ तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पदेन उप-पंजीयक घोषित किया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों बजट आकलनों से 13.86 प्रतिशत कम रही।

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के बजट आकलन एवं वास्तविक प्राप्तियों का रेखाचित्र नीचे प्रदर्शित है:



वर्ष 2009-10 के दौरान मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध 11.63 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान 8.30 प्रतिशत रही। इस प्रकार, राज्य की कुल कर प्राप्तियों के मुकाबले में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से राजस्व के संग्रहण में प्राप्तियों का रूझान कमी का रहा।

सरकार राजस्व में कमी के कारणों की जांच करे, और उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाये।

5.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2010 तक बकाया राजस्व ₹ 119.60 करोड़ था, जिसमें ₹ 38.41 करोड़ गत पांच वर्षों से अधिक से बकाया थे। वर्ष 2009-10 तक के बकाया राजस्व की स्थिति को निम्न तालिका में वर्णित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का सम्बन्धित वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2009-10 में संग्रहित राशि	बकाया का अंतिम शेष
2004-05 तक	40.41	2.00	38.41
2005-06	13.46	0.06	13.40
2006-07	13.70	1.81	11.89
2007-08	10.40	1.01	9.39
2008-09	39.68	12.74	26.94
2009-10	39.23	19.66	19.57
योग	156.88	37.28	119.60

2004-05 तक की अवधि के बकाया राशि ₹ 38.41 करोड़ की वसूली की सम्भावनाएँ क्षीण हैं। बकाया की अवसूली के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

5.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय एवं संग्रहण व्यय की सकल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ संग्रहण पर हुए व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2005-06	1,031.79	15.79	1.5	2.87
2.	2006-07	1,293.68	19.21	1.5	2.33
3.	2007-08	1,544.35	22.80	1.5	2.09
4.	2008-09	1,356.35	29.09	2.1	2.77
5.	2009-10	1,362.94	31.33	2.3	उपलब्ध नहीं

सकल संग्रहण पर लागत प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम रही।

5.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

2008-09 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान, हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व हानि, गलत छूट, कर दर का गलत आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 17 अनुच्छेदों में ₹ 159.79 करोड़ का राजस्व प्रभाव दर्शाया। इनमें से विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा के 17 अनुच्छेदों में सम्मिलित ₹ 98.68 करोड़ की टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं अब तक ₹ 3.60 करोड़ की वसूली की। उसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूली किए गए अनुच्छेद	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2004-05	3	5.20	3	4.09	3	0.17
2005-06	3	4.66	3	1.26	3	0.38
2006-07	3	81.10	3	78.72	2	0.50
2007-08	4	58.36	4	4.14	3	0.17
2008-09	4	10.47	4	10.47	3	2.38
योग	17	159.79	17	98.68	14	3.60

लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर स्वीकार्य राशि की तुलना में कम वसूली का कारण मामलों का न्यायालयों में विचाराधीन रहना था।

5.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय द्वारा की जाती है। मौजूद इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षा योजित इकाइयों एवं वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान वास्तविक रूप से लेखापरीक्षित इकाइयों निम्नानुसार थी:

वर्ष	इकाइयों की संख्या			आक्षेपित राशि (₹ करोड़ में)
	कुल	लेखापरीक्षा योजित	वास्तविक लेखापरीक्षित	
2005-06	358	131	131	4.01
2006-07	369	182	182	6.09
2007-08	369	68	68	1.78
2008-09	369	157	157	6.85
2009-10	369	148	148	10.20

लेखापरीक्षा हेतु ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी गई थी।

5.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009-2010 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 187 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 7,439 प्रकरणों में ₹ 68.45 करोड़ का कम आरोपण/वसूली का पता लगा। ये प्रकरण विस्तृत रूप से निम्न श्रेणियों में आते हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन	3,026	8.64
2.	अन्य अनियमितताएँ	4,413	59.81
	योग	7,439	68.45

वर्ष 2009-10 के दौरान, विभाग ने 2,768 प्रकरणों से सम्बन्धित ₹ 8.39 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 2.27 करोड़ के 789 प्रकरण वर्ष 2009-10 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 1,287 प्रकरणों में ₹ 1.90 करोड़ वसूल किये, जिनमें से ₹ 6.55 लाख के 115 प्रकरण वर्ष 2009-10 के तथा शेष पूर्व वर्षों से सम्बन्धित थे।

उदाहरणस्वरूप कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर, जिनमें ₹ 27.31 करोड़ सन्निहित है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.8 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

विभिन्न पंजीयन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि अनेक मामलों में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 तथा भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। ये प्रकरण उदाहरणस्वरूप हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। इनमें से कुछ त्रुटियाँ प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाई जाती हैं, तथापि न केवल अनियमितताएं सतत् विद्यमान रही हैं बल्कि लेखापरीक्षा होने तक पहचानी भी नहीं गई थी। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

5.9 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 और भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908/राज्य सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

- (i) सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कर का आरोपण;
- (ii) जहाँ अचल सम्पत्ति सरकार, नगर सुधार न्यासों आदि द्वारा आवंटित/विक्रय की जाती है, तो मुद्रांक कर का आरोपण, प्रतिफल, ब्याज शास्ति आदि के मूल्य पर होगा;
- (iii) पट्टा विलेखों के प्रकरणों में मुद्रांक कर का आरोपण विक्रय विलेखों के समान प्रतिफल के रूप में उसके जुर्माना, प्रीमियम, अग्रिम एवं दो वर्षों के औसत किराए को शामिल करते हुए देय होगा; तथा
- (iv) राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 44(ईई)(ii) के तहत क्रियान्वित आम मुखत्यारनामा का पंजीयन शुल्क प्रतिफल का एक प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25,000, प्रभार्य होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों में से कुछ की पालना नहीं की, जिनका अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.31 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अपवंचना हुई।

5.9.1 मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

5.9.1.1 सम्पत्ति का अवमूल्यांकन

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के आर्टिकल 21(i) के अनुसार विक्रय विलेख, यदि अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है, तो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर लगेगा। राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 58 में व्यवस्था है कि भूमि के बाजार मूल्य का मूल्यांकन जिला स्तरीय कमेटी और महानिरीक्षक, मुद्रांक द्वारा स्वीकृत दरों में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर किया जावेगा। भूमि/सम्पत्ति के मूल्यांकन करते समय उसकी स्थिति जैसा कि दस्तावेज में वर्णित हो, का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(i) चार कार्यालयों के वर्ष 2008 के अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि 11 प्रलेखों में सम्बन्धित उप पंजीयक द्वारा सम्पत्ति का अवमूल्यांकन किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.17 करोड़ की मुं.क. एवं पं.शु. की हानि हुई, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा मन्तव्य	मु.क. एवं पं.शु. आरोपण योग्य आरोपित	मु.क. एवं पं.शु. का कम आरोपण
1.	उ.पं. जोधपुर-II ने 22.02 बीघा भूमि के विक्रय विलेख को असिंचित मानकर ₹ 66.06 लाख में पंजीकृत किया। इसका सही मूल्यांकन ₹ 1.77 करोड़ होना चाहिए था क्योंकि यह भूमि सिंचित थी।	8.82 (मु.क.) 3.30 (मु.क.)	5.52 (मु.क.)
2.	उ.पं. जोधपुर-II में आठ प्रकरण पंजीकृत किए गए। भूमि 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित थी। इसका मूल्यांकन (खसरा नं. 119) नेहरा नगर एवं (खसरा नं. 120) श्याम नगर मानते हुए ₹ 0.64 करोड़ किया जबकि इसका मूल्यांकन ₹ 2.54 करोड़ 100 फीट चौड़ी सड़क की जिला स्तरीय समिति दरों पर किया जाना चाहिए था।	16.49 (मु.क.) 4.15 (मु.क.) 1.00 (पं.शु.) 0.64 (पं.शु.)	12.34 (मु.क.) 0.36 (पं.शु.)
3.	उ.पं. नीमराना में एक संस्थान ने 75 एकड़ भूमि शैक्षणिक भवन एवं अन्य निर्मित ढाँचा सहित एक निजी शैक्षिक संस्थान को शिक्षा हेतु हस्तान्तरण किया। इसका मूल्यांकन मात्र ₹ 21.79 करोड़ (कृषि भूमि दर) में किया, जबकि इसका मूल्यांकन ₹ 332.65 करोड़ (वाणिज्यिक दरों पर) किया जाना चाहिए था।	2,661.21 (मु.क.) 174.33 (मु.क.)	2,486.88 (मु.क.)
4.	एक प्रकरण में, उ.पं. उदयपुर-I ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित सम्पत्ति का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति दरों से ₹ 6.70 करोड़ के बजाय ₹ 3.99 करोड़ किया।	33.49 (मु.क.) 22.00 (मु.क.)	11.49 (मु.क.)
योग		2,720.01 (मु.क.) 203.78 (मु.क.)	2,516.23 (मु.क.) 0.36 (पं.शु.)

हमारे द्वारा सूचित (मार्च 2010 एवं मई 2010 के मध्य) किये जाने पर, सरकार ने उत्तर (अगस्त 2010) दिया कि उ.पं., नीमराणा (अलवर) का एक प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में विचाराधीन है। उ.पं., जोधपुर-II के ₹ 18.22 लाख के 9 प्रकरणों में वसूली हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं। उ.पं., उदयपुर के एक प्रकरण में उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2010)।

दिनांक 28.07.2003 की अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान विनियोजन प्रोत्साहन योजना, 2003 के तहत चयनित इकाइयों भूमि पट्टा/क्रय पर 50 प्रतिशत मुद्रांक कर में छूट की हकदार है।

(ii) उप पंजीयक, भिवाड़ी के वर्ष 2008 के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2010) में हमने पाया कि राजस्थान विनियोजन प्रोत्साहन योजना, 2003 के तहत स्वीकृत एक औद्योगिक इकाई के मामले में उप पंजीयक ने विक्रय पत्र पंजीयन में भूमि के मूल्य के साथ-साथ

निर्माण कार्य/अन्य कार्यों की लागत पर भी मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत की गलत छूट देकर वसूलनीय मुद्रांक कर ₹ 67.60 लाख के स्थान पर ₹ 40.04 लाख वसूल किए। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 27.56 लाख की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरण ध्यान (अप्रैल 2010) में लाने पर सरकार ने उत्तर (सितम्बर 2010) में कहा कि मामला उप पंजीयक, भिवाड़ी के पास प्रक्रियाधीन है।

5.9.2 किराये के साथ प्रीमियम आदि पर स्वीकृत लीज प्रलेखों पर

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची की धारा 33(सी)(i) सहपठित भाग-3 के प्रावधानों के अधीन, जहां पट्टा 20 वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं है तथा ऐसे पट्टे में जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम या विकास शुल्क अग्रिम या प्रतिभूति शुल्क अग्रिम के साथ किराए की व्यवस्था हो, तो ऐसे जुर्माने, प्रीमियम या अग्रिम तथा दो वर्ष के औसत किराए की राशि, जैसा कि पट्टे में बतलाया गया हो, के मूल्य या राशि के समान प्रतिफल पर हस्तान्तरण विलेख के समान दरों पर मुद्रांक कर प्रभार्य है। पंजीयन शुल्क प्रतिफल के मूल्य के एक प्रतिशत अधिकतम ₹ 25,000 तक प्रभार्य होगा।

पाँच² उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि पूर्वोक्त धारा के अन्तर्गत 73 पट्टा विलेखों का वर्ष 2008 में पंजीयन किया गया परन्तु मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क दो वर्ष के औसत किराए एवं प्रतिभूति जमा के बाजार दर के स्थान पर एक वर्ष के औसत किराये एवं प्रतिभूति जमा के दो प्रतिशत के बराबर लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 86.62 लाख के मुद्रांक कर एवं ₹ 2.79 लाख के

पंजीयन शुल्क की हानि हुई।

² भिवाड़ी, जयपुर-II, जयपुर-VII, जोधपुर-I एवं सांगानेर-I।

हमारे द्वारा प्रकरण सूचित किये जाने पर (मार्च एवं अप्रैल 2010) सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2010) कि उ.पं., भिवाड़ी से सम्बन्धित प्रकरणों में वसूली के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अन्य प्रकरणों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2010)।

5.9.3 ऐसे पट्टा प्रलेखों जिन पर किराया तो निश्चित किया गया परन्तु प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची की धारा 33(अ)(ii) के प्रावधानानुसार जहाँ पट्टा कम से कम एक वर्ष एवं अधिक से अधिक 20 वर्ष का हो, पट्टों में किराया निर्धारित किया गया हो परन्तु कोई प्रीमियम नहीं दिया गया हो तो ऐसे प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क पट्टा विलेख के दो वर्ष के औसत किराए के प्रतिफल के बराबर लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त, पंजीयन शुल्क भी प्रतिफल के एक प्रतिशत परन्तु अधिकतम ₹ 25,000 तक लगाया जाएगा।

वर्ष 2007 एवं 2008 के दौरान तीन उप पंजीयक³ कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि इस तरह के 31 पट्टा प्रलेखों के प्रकरणों का पंजीयन (जनवरी 2007 एवं दिसम्बर 2008 के मध्य) किया गया, जिसमें उप पंजीयक ने दो वर्ष के औसत किराए के बजाय एक वर्ष के औसत किराए के दो प्रतिशत मुद्रांक कर वसूला। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.96 लाख का मुद्रांक कर एवं ₹ 0.61 लाख का पंजीयन शुल्क कुल ₹ 29.57

लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर (फरवरी 2009 एवं अप्रैल 2010) सरकार ने 25 अगस्त, 2010 को दिशा निर्देश जारी किए।

5.9.4 मुख्तयारनामा पर

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 14.03.1997 को जारी अधिसूचना के अनुसार एवं पुनः महानिरीक्षक, मुद्रांक द्वारा दिनांक 04.08.2009 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची की धारा 44(ईई)(ii) के अनुसार क्रियान्वित किए गए आम मुख्तयारनामा का पंजीयन शुल्क प्रतिफल का एक प्रतिशत अधिकतम ₹ 25,000 तक वसूला जाए।

पाँच उप पंजीयक कार्यालयों⁴ के वर्ष 2008 के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2010 से मार्च 2010 के मध्य) में पाया गया कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा

³ चूरू, जयपुर-II एवं जोधपुर।

⁴ भिवाड़ी, उ.पं.जयपुर-II, उ.पं.सांगानेर-I, उ.पं.सांगानेर-II एवं श्रीगंगानगर।

44(ईई)(ii) के अन्तर्गत आने वाले 806 आम मुख्तयारनामा के प्रकरणों में उप पंजीयक ने निर्देशित दरों की बजाय ₹ 100 प्रति दस्तावेज पंजीयन शुल्क वसूला। इसके अलावा 7 प्रकरणों में उप पंजीयक, सांगानेर-1 ने जिला स्तरीय समिति दर गलत लगाने के कारण सम्पत्ति का कम मूल्यांकन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.86 लाख के पंजीयन शुल्क एवं ₹ 2.61 लाख के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरण ध्यान में लाए जाने पर (फरवरी एवं अप्रैल 2010) सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2010) कि वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

5.9.5 विक्रय प्रलेखों का अपंजीयन

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 37 की उप धारा 3(अ) व (ब) स्पष्ट करती है कि संदेह की स्थिति में इस धारा के उद्देश्यों के लिये राज्य सरकार यह निश्चित कर सकती है कि कौनसा कार्यालय लोक कार्यालय माना जावेगा तथा कौन व्यक्ति इस लोक कार्यालय के प्रभारी माने जायेंगे। अधिनियम की धारा 2(32) लोक अधिकारी को परिभाषित करती है, जिसका अभिप्राय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(17) में परिभाषित लोक अधिकारी के जैसा है और उस परिभाषा के अनुसार कलेक्टर (मुद्रांक) लोक अधिकारी माना जाता है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 2004 की धारा 64(1) बताती है कि यदि लोक अधिकारी को निरीक्षण या अन्यथा द्वारा अमुद्रांकित या कम मुद्रांकित प्रलेख का ज्ञान होता है, तो उसके द्वारा इसकी सूचना तुरन्त कलेक्टर को दी जावेगी।

अभिलेखों की जाँच के दौरान एवं ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर एवं अन्य दो बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर हमने पाया कि ऋणों की किरत अदायगी में विफलता के कारण 37 ऋणयुक्त परिसम्पत्तियों की नीलामी आयोजित की गयी, परन्तु निर्धारित अधिकतम आठ माह की समय सीमा समाप्ति के 12 से 68 महीनों बाद भी क्रेताओं ने अपने विक्रय प्रलेखों का पंजीयन नहीं कराया। इनकी विक्रय सूची ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पंजीयन कार्यालयों को भेज दी गयी थी। पंजीयन कार्यालयों द्वारा न तो कोई सूचना जारी की एवं न ही लोक कार्यालयों के नियमित निरीक्षण की प्रभावी प्रक्रिया को

अपनाया। प्रलेखों के अपंजीयन में ₹ 54.44 लाख का मुद्रांक कर एवं ₹ 0.55 लाख का पंजीयन शुल्क राशि निहित है।

हमारे द्वारा इस मामले को विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2010) परन्तु उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (अक्टूबर 2010)।

अध्याय-VI: राज्य आबकारी शुल्क

6.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी राजस्व में, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित या आदेशित शुल्क, फीस, कर, जुर्माना या जब्ती की प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। इसमें मदिरा, भाँग एवं चिरे हुए डोडा-पोस्त के विनिर्माण, आधिपत्य एवं बिक्री से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित है। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 सरकार को सामयिक आबकारी नीति बनाने हेतु अधिकृत करता है।

सरकार के स्तर पर राज्य आबकारी विभाग का सामान्य प्रबन्धन प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग में निहित है। आबकारी आयुक्त, राज्य आबकारी विभाग में विभागाध्यक्ष होता है। उसकी सहायतार्थ सात अतिरिक्त आयुक्त होते हैं। 33 जिलों के लिए 36 जिला आबकारी अधिकारी हैं तथा जयपुर एवं जोधपुर में दो अभियोजन कार्यालय हैं। निदेशक, विभाग के प्रवर्तन समूह का तथा वित्तीय सलाहकार वित्त समूह का प्रमुख होता है।

6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति


वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क से प्राप्तियों के साथ इसी अवधि के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों की कुल कर प्राप्तियों के साथ प्रतिशतता
2005-06	1,508	1,521.80	(+) 13.80	(+) 0.92	9,880.23	15.40
2006-07	1,570	1,591.09	(+) 21.09	(+) 1.34	11,608.24	13.71
2007-08	1,750	1,805.12	(+) 55.12	(+) 3.15	13,274.73	13.60
2008-09	2,025	2,169.90	(+) 144.90	(+) 7.16	14,943.75	14.52
2009-10	2,200	2,300.48	(+) 100.48	(+) 4.57	16,414.27	14.02

वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों (राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियों को छोड़कर) को

निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है:



यद्यपि, वास्तविक रूप में राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियों में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन राज्य आबकारी विभाग के राजस्व की, राज्य में संग्रहित कुल कर राजस्व से प्रतिशतता में वर्ष 2005-06 की तुलना में गिरावट रही। 2005-06 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियाँ राज्य के कुल कर राजस्व की 15.40 प्रतिशत लेखांकित थी। वर्ष 2009-10 में, ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 14.02 प्रतिशत रहीं।

6.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2010 को राजस्व की बकाया राशि ₹ 218.37 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 196.87 करोड़, पाँच वर्षों से अधिक से अप्राप्त थे। यह इंगित करता है कि विभाग ने बकाया की वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि के दौरान राजस्व की बकाया की स्थिति चित्रित करती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष, जिससे बकाया सम्बन्धित है	01.04.2009 को बकाया का प्रारंभिक शेष	2009-10 के दौरान बकाया में बढ़ोत्तरी	2009-10 के दौरान संग्रहित राशि	31.3.2010 को बकाया का अन्तिम शेष
2004-05 तक	200.41	-	3.54	196.87
2005-06	1.98	-	0.06	1.92
2006-07	19.71	0.03	0.31	19.43
2007-08	-	0.05	0.02	0.03
2008-09	0.07	0.05	-	0.12
योग	222.17	0.13	3.93	218.37

पाँच वर्ष से अधिक से अप्राप्त बकाया ₹ 196.87 करोड़ की वसूली की सम्भावना कम है।

6.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तिओं के सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ समान अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2005-06	1,521.80	34.18	2.25	3.40
2.	2006-07	1,591.09	42.52	2.67	3.30
3.	2007-08	1,805.12	48.51	2.69	3.27
4.	2008-09	2,169.90	64.46	2.97	3.66
5.	2009-10	2,300.48	85.74	3.73	उपलब्ध नहीं

वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व के संग्रहण पर व्यय में वृद्धि राज्य में छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण थी।

राज्य आबकारी शुल्क के राजस्व के संग्रहण पर व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता की तुलना में हमेशा कम रही।

6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

हमने हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा ₹ 127.26 करोड़ राजस्व सन्निहित के 25 अनुच्छेदों में कर के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लगाना, कर की गलत संगणना आदि के प्रकरण ध्यान में लाये। उनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 33.13 करोड़ सन्निहित की 15 लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा अब तक (सितम्बर 2010) 11 अनुच्छेदों में ₹ 2.53 करोड़ वसूल किए, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूल की गई राशि के अनुच्छेद	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2004-05	4	1.14	3	0.50	3	0.41
2005-06	7	31.62	6	31.35	2	0.85
2006-07	4	19.88	-	-	-	-
2007-08	5	29.18	4	0.96	4	0.95
2008-09	5	45.44	2	0.32	2	0.32
योग	25	127.26	15	33.13	11	2.53

6.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

राज्य आबकारी विभाग में वित्तीय सलाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का शीर्ष अधिकारी होता है। विभाग में दो आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं तथा प्रत्येक में सहायक लेखाधिकारी शीर्ष अधिकारी होता है। विभाग में वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा योजना नहीं बनायी जाती। गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों	कुल इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयों	लेखापरीक्षा की नहीं हुई इकाइयों	लेखापरीक्षा नहीं हुई इकाइयों की प्रतिशतता
2005-06	-	40	40	17	23	58
2006-07	23	40	63	6	57	90
2007-08	57	40	97	20	77	79
2008-09	77	40	117	29	88	75
2009-10	88	40	128	58	70	55

इस प्रकार, गत पाँच वर्षों के दौरान औसतन 71 प्रतिशत इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं हुई।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे कि राजस्व छीजत को रोकने एवं अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना के लिए उचित उपाय किये जा सकें।

6.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी शुल्क से सम्बन्धित 37 इकाईयों के अभिलेखों की मापक जाँच में अवसूली/कम वसूली/आबकारी शुल्क तथा लाईसेंस फीस की हानि एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 74.90 करोड़ सन्निहित के 181 प्रकरण हमारे ध्यान में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी शुल्क एवं लाईसेंस फीस की अवसूली/कम वसूली	88	71.63
2.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	47	1.23
3.	अन्य अनियमितताएं	46	2.04
योग		181	74.90

वर्ष 2009-10 के दौरान, विभाग ने 139 प्रकरणों में ₹ 20.62 करोड़ की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं स्वीकार की, जिनमें से ₹ 2.91 करोड़ सन्निहित के 74 प्रकरण वर्ष 2009-10 में तथा शेष पूर्व के वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2009-10 के दौरान 61 प्रकरणों में राशि ₹ 1.80 करोड़ की वसूली की गई।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, एक आक्षेप के सम्बन्ध में सरकार ने ₹ 9.04 लाख की वसूली सूचित की (जून 2010)।

₹ 1.79 करोड़ सन्निहित के कुछ निदर्शी प्रकरण आगामी अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

6.8 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

नमूना जाँच के दौरान, आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली के कई प्रकरण हमारे ध्यान में आये, जैसा कि इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। ऐसी कुछ त्रुटियाँ हमारे द्वारा पूर्व के वर्षों में ध्यान में लायी गई थी, लेकिन ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थी, अपितु लेखापरीक्षा होने तक पहचानी भी नहीं गई थी। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच के आधार पर हैं। सरकार को ऐसे प्रकरणों को पुनः होने से रोकने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है।

6.9 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान है:

- (अ) निर्धारित दर से लाइसेन्स फीस का आरोपण करना; तथा
- (ब) शोधित प्रासव पर ₹ 2.50 प्रति बल्क लीटर की दर से परमिट फीस का आरोपण करना।

हमारे ध्यान में आया कि अनुच्छेद 6.9.1 एवं 6.9.2 में दर्शाये गये प्रकरणों में जिला आबकारी अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप लाइसेन्स फीस एवं परमिट फीस के ₹ 1.79 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

6.9.1 कम्पोजिट दुकानों के लिए लाईसेंस फीस का कम आरोपण

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत जारी देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लाईसेंस की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार नगरपालिका सीमा या उससे लगती हुई सीमा के पाँच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित कम्पोजिट दुकानों के लिए देय वार्षिक लाईसेंस फीस, उन कम्पोजिट दुकानों के लिए देय लाईसेंस फीस से अधिक थी, जो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित थी।

सात जिला आबकारी कार्यालयों¹ के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया (जून 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य) कि यद्यपि, 48 कम्पोजिट दुकानें या तो नगरीय क्षेत्र में या नगरपालिका सीमा के पाँच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित थी, उनके लिए लाईसेंस फीस के ₹ 1.63 करोड़ का गुगतान करना था, तो भी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित दुकानों के लिए लागू दर से लाईसेंस फीस के केवल ₹ 12.00 लाख आरोपित किये। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

¹ जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली एवं उदयपुर

ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने बताया (अक्टूबर 2010) कि नगरीय भूमि (सीलिंग एवं रेगुलेशन) अधिनियम, 1976 पहले ही 11 जनवरी 1999 को विलोपित कर दिया गया था तथा टेन्डर शर्तों में इसका उल्लेख जानकारी के अभाव से हो गया था।

सरकार का उत्तर प्रासंगिक नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। हमारे द्वारा ध्यान में लाये गये प्रकरण नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार तथा सम्बन्धित नगरपालिकाओं द्वारा घोषित नगरीय क्षेत्र में या नगरपालिका सीमा के पाँच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित थे, जो कि नगर से लगती हुई सीमा से संबद्धता नहीं रखता।

6.9.2 परमिट फीस की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69बी में किसी आसवनी द्वारा देशी मदिरा के निर्माण में उपयोग के लिए राज्य के भीतर परिवहन किये गये शोधित प्रासव पर ₹ 2.50 प्रति बल्क लीटर की दर से परमिट फीस आरोपित करने का प्रावधान है।

दो जिला आबकारी कार्यालयों² में हमने पाया कि दो अनुज्ञा-पत्रधारियों³, प्रत्येक जिला आबकारी कार्यालय में एक, ने वर्ष 2008-09 के दौरान देशी मदिरा के निर्माण के लिए मैसर्स ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड, बहरोड़ (अलवर) से 11,00,000 बल्क लीटर शोधित प्रासव का राज्य के भीतर परिवहन

किया। तथापि, परिवहन किये गये शोधित प्रासव पर ₹ 2.50 प्रति बल्क लीटर की दर से आरोपणीय परमिट फीस ₹ 27.50 लाख की वसूली विभाग द्वारा नहीं की गई।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद विभाग ने बताया (मई 2010) कि शोधित प्रासव के परिवहन पर परमिट फीस में भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने के लिए उपर्युक्त नियम 69बी में एक परन्तुक जोड़ने हेतु एक अधिसूचना सरकार को भेजी जा रही है। तथापि, तथ्य यह है कि निर्धारित दर से परमिट फीस आरोपणीय थी।

हमने मामला सरकार को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2009 एवं दिसम्बर 2009), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2010)।

² उदयपुर एवं श्रीगंगानगर

³ मैसर्स महामाया लिकर इण्डस्ट्रीज बॉटलिंग प्लांट, उदयपुर तथा मैसर्स एच.एच.बॉटलिंग प्लांट श्रीगंगानगर

अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 परिचय

राज्य सरकार के कर-इतर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज, खान एवं खनिज, विभिन्न सामान्य सेवायें, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन और वन्य जीव आदि से प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान संग्रहित कुल राजस्व एवं कर-इतर राजस्व निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य द्वारा संग्रहित कुल राजस्व	राज्य का कुल कर-इतर राजस्व	कर-इतर राजस्व की कुल राजस्व से प्रतिशतता
2005-06	12,617.90	2,737.67	21.7
2006-07	15,038.85	3,430.61	22.8
2007-08	17,328.66	4,053.93	23.4
2008-09	18,832.21	3,888.46	20.6
2009-10	20,972.49	4,558.22	21.7

राज्य के कुल राजस्व में कर-इतर राजस्व का योगदान 20.6 प्रतिशत (2008-09) से 23.4 प्रतिशत (2007-08) के मध्य रहा।

7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से 70 अनुच्छेदों में ₹ 885.96 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, राजस्व का कम निर्धारण/हानि, कर की गलत दर का लगाना/आरोपण, कर की गलत गणना आदि के प्रकरणों को दर्शाया, जिनमें से 37 लेखापरीक्षा आक्षेपों के अनुच्छेदों में समावेशित ₹ 86.39 करोड़ को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और 20 अनुच्छेदों में ₹ 86.39 करोड़ की अब तक वसूली की जा चुकी है जैसाकि

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ)

निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		वसूल की गई राशि के अनुच्छेद	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2004-05	2	160.85	5	3.92	5	2.38
2005-06	13	155.77	6	40.51	2	1.32
2006-07	16	34.37	8	3.24	6	0.32
2007-08	12	275.30	8	21.67	3	0.89
2008-09	27	259.67	10	17.05	4	13.16
योग	70	885.96	37	86.39	20	18.07

स्वीकार्य राशि की तुलना में वसूल की गई राशि कम है क्योंकि कुछ प्रकरणों में वसूली न्यायाधिकारियों के स्थगनों द्वारा, जबकि दूसरे प्रकरणों में इनकी मांग वसूली के अनेक स्तरों पर, बकाया रही।

7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम और जल संसाधन विभाग की वर्ष 2009-10 के दौरान की गई मापक जांच में 19,556 प्रकरणों में ₹ 906.76 करोड़ की राशि की राजस्व अवसूली/कम वसूली प्रकट हुई, जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आती है:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
अ. खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग			
1.	अनधिकृत उत्खनन	4,350	469.57
2.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	794	223.09
3.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	1,029	4.40
4.	धरोहर राशि का जन्त न करना	522	0.73
5.	अन्य अनियमिततायें	12,855	201.66
ब. जल संसाधन विभाग			
6.	बकाया की अवसूली/कम वसूली	6	7.31
योग		19,556	906.76

वर्ष 2009-10 के दौरान, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग ने 2,960 प्रकरणों में ₹ 89.16 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 75.08 करोड़ के 2,599 प्रकरण वर्ष 2009-10 के दौरान एवं शेष पूर्व वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 322 प्रकरणों में ₹ 1.87 करोड़ की वसूली की, जिसमें से ₹ 0.68 करोड़ के 5 प्रकरण वर्ष 2009-10 के तथा शेष पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

₹ 7.31 करोड़ सन्निहित के कुछ निदर्शी प्रकरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए हैं।

खान एवं खनिज प्राप्तियों पर एक समीक्षा भी की गई थी। समीक्षा के दौरान ध्यान में आयी अनियमितताओं को अलग प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) की प्राप्तियों में मुख्य रूप से सिंचाई के लिए पानी और सिंचाई के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए, जैसे उद्योग, पीने के लिए पानी से प्राप्त राजस्व आदि सम्मिलित है। ज.सं.वि. का प्रशासनिक नियंत्रण प्रमुख शासन सचिव, ज.सं.वि. में निहित है। विभागीय स्तर पर मुख्य अभियन्ता एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, ज.सं.वि. में विभागीय प्रमुख की शक्ति निहित है जो इसकी सात परियोजनाओं पर कार्यरत मुख्य अभियन्ताओं की सहायता से कार्य करता है।

7.4 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2009-10 को समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान बजट अनुमान, वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और भिन्नता की प्रतिशतता की स्थिति निम्न प्रकार रही:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	कमी (-)/आधिक्य (+)
2005-06	96.48	65.81	(-) 30.67
2006-07	97.20	75.94	(-) 21.26
2007-08	86.59	72.52	(-) 14.07
2008-09	85.80	71.52	(-) 14.28
2009-10	79.52	71.45	(-) 8.07

वर्ष 2009-10 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित बजट से कम थी। इस कमी का मुख्य कारण जल उपयोग संगठनों द्वारा राजस्व संग्रहण में कम रूचि लेना था।

जल संसाधन विभाग के अभिलेखों की मापक जांच में पाए गए जल शुल्क एवं बकाया की अवसूली आदि राशि के ₹ 7.31 करोड़ सन्निहित के प्रकरण अनुवर्ती अनुच्छेद क्रं. 7.5 से 7.9 में दर्शाये गए हैं:

7.5 कम्पनियों को अदेय लाभ

औद्योगिक प्रयोजनार्थ पानी की पूर्ति हेतु कम्पनी व सरकार के बीच हुए इकरारनामे के उपबन्ध 6 के अनुसार भुगतान नहीं किये गये जल प्रभार की राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लागू होगा। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-प्रथम के नियम 297 में प्रावधान है कि नियत तारीख से पूर्व भुगतान की गई राशि मूलधन के रूप में होगी जब तक कि पूर्ववर्ती अवधि का कोई ब्याज बकाया न हो।

दाँयी मुख्य नहर खण्ड-I, कोटा के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि दो कम्पनियों के विरुद्ध जल प्रभारों व ब्याज राशि बकाया थी। इन

कम्पनियों ने बकाया के विरुद्ध राशि जमा कराई। खण्ड ने उन राशियों को बकाया ब्याज के विरुद्ध समायोजन करने के बजाय मूलधन के विरुद्ध जमा कर लिया। इस अनियमित समायोजन के कारण मूलधन की शेष राशि पर ब्याज का आरोपण नहीं हो सका। इसके परिणामस्वरूप कम्पनियों को ₹ 3.66 करोड़ का अदेय लाभ हुआ जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	बकाया राशि जिसकी लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई मार्च 2009 तक	खण्ड के अभिलेखों के अनुसार बकाया राशि	कम्पनियों को अदेय लाभ
श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., कोटा	2.01	0.60	1.41
श्रीराम विनायल एण्ड केमिकल लि., कोटा	3.28	1.03	2.25
योग	5.29	1.63	3.66

हमने मामला विभाग के (नवम्बर 2009) व सरकार के (जुलाई 2010) ध्यान में लाये, उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (अक्टूबर 2010)।

7.6 जल प्रभारों एवं ब्याज राशि की वसूली/मांग कायमी का अभाव

राजस्थान सिंचाई एवं निकास नियम, 1955 की अनुसूची-प्रथम के मद 5(कक) के अनुसार यदि किसी उद्योग द्वारा, कोई सरकारी व्यय कराये बिना, जल का उपयोग सीधे नदी/नाला आदि से किया जाता है तो ऐसे जल उपयोग के लिए दर औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रदायित जल की दर का 10 प्रतिशत होगी।

7.6.1 अभिलेखों की मापक जांच में हमने पाया कि अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड-II, भीलवाड़ा ने मार्च 2000 से मई 2002 तक बहुत सी औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनास नदी में कुँए खोदकर पानी का उपयोग करने पर उनके जल उपयोग के बिल बनाए। इस दौरान, विशेष

अधिकारी, सिंचाई ने मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान, जयपुर को एक पत्र (नवम्बर 2002) जारी किया कि उन उद्योगों से, जो नदी/नाला में कुँए/ट्यूबवैल खोदकर पानी का उपयोग कर रहे थे, जल के प्रभारों की वसूली नहीं की जानी थी। अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत्त, भीलवाड़ा ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उदयपुर को बताया (मई 2003) कि उपरोक्त निर्देश राजस्थान सिंचाई एवं निकास नियमों में कोई संशोधन किए बिना जारी कर दिए गए हैं और उक्त आदेशों को निरस्त करने का विशेष अधिकारी से निवेदन किया गया।

चूँकि उद्योगों द्वारा नदी का पानी लिया गया था इसलिए, विशेष अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देश नियमों के विरुद्ध थे जिससे जल प्रभारों एवं उस पर ब्याज

की बकाया राशि ₹ 0.83 करोड़ की अवसूली रही। राशि ₹ 0.43 करोड़ के जल प्रभारों की मांग भी जारी नहीं की गई।

हमने मामला अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड-II, भीलवाड़ा को बताया (दिसम्बर 2009), उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2010)।

सिंचाई विभाग (अब जल संसाधन विभाग) के आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2001 द्वारा सिंचाई प्रभारों की वसूली का कार्य राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया था। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 की धारा 20 के अनुसार जल उपयोग संगठन को सिंचाई प्रभारों के आरोपण एवं संग्रहण हेतु जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के नियंत्रण में अधिकृत किया गया है। राजस्थान सिंचाई एवं निकास नियम, 1955 के नियम 31(4) के प्रावधान के अनुसार मांग राशि के देरी से जमा कराने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का आरोपण होगा।

7.6.2 हमने पाया कि चम्बल परियोजना खण्ड, कोटा ने जल प्रभारों की मांग ₹ 20.31 लाख (31 मार्च 2002 को) तहसीलदार लाडपुरा एवं सांगोद को हस्तान्तरित की थी। इसी मध्य, 11 जल उपयोग संगठनों की संरचना हुई, जिनके नियन्त्रण प्राधिकारी अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड, कोटा थे। अतः जल प्रभारों की मांग एवं संग्रहण का कार्य जल उपयोग संगठनों को हस्तान्तरित (अक्टूबर 2002) कर दिया गया। वर्ष 2002-03

से 2008-09 की अवधि के लिए ₹ 46.67 लाख¹ जल प्रभारों की मांग जल उपयोग संगठनों को संग्रहण की शक्तियाँ नहीं देने के कारण कायम नहीं की जा सकी। मांग कायम नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 19.20 लाख के ब्याज का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त तहसीलों के हस्तान्तरण, संग्रहण एवं शेष पंजिकाओं में ₹ 1.66 लाख की कम मांग कायमी की गई।

जल प्रभारों की मांग को कायम नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 48.33 लाख के राजस्व एवं देय ब्याज की अवसूली रही।

हमारे बताने पर (अक्टूबर 2009), अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड, कोटा ने सूचित किया कि मांग राजस्व विभाग द्वारा कायम की जानी थी। मांग कायम करने की आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही।

हमने मामला विभाग व सरकार को बताया (जुलाई 2010), उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (अक्टूबर 2010)।

¹ वर्ष 2001-02 के लिए विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई प्रभारों की औसत दर से गणना की गई है (7,049 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए ₹ 8,55,952.59 की मांग कायम की गई थी)।

7.7 अनुपयोगी/नकारा सामान के निस्तारण का अभाव

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग- II के नियम 19 व 21 में प्रावधान है कि अधिशेष एवं अप्रचलित सामान का निपटारा शीघ्र किया जावे जिससे व्ययनित करने पर अधिकतम निरूपण राशि प्राप्त हो सके।

हमने पाया कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अनेक खण्डों में ₹ 1.04 करोड़ की कीमत के अप्रयोज्य सामान पाये गये थे (अप्रैल 2008 से सितम्बर 2009),

जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अप्रयोज्य सामान की कीमत (₹ लाख में)
1.	16वाँ खण्ड, बीकानेर	0.61
2.	बीसलपुर शाखा खण्ड-II, बज्जु	0.41
3.	पूगल शाखा खण्ड-II, फलौदी	1.69
4.	24वाँ खण्ड, फलौदी	43.33
5.	28वाँ खण्ड, फलौदी	0.19
6.	10वाँ खण्ड, तारानगर	50.46
7.	सर्वेक्षण एवं परीक्षण लिफ्ट खण्ड, रावतसर	1.10
8.	कंवरसर लिफ्ट खण्ड, लूनकरणसर	0.11
9.	15वाँ खण्ड, जैसलमेर	0.72
10.	19वाँ खण्ड, जैसलमेर	1.33
11.	टी एम सी खण्ड, मोहनगढ़	0.52
12.	जल पोते खण्ड-II, जैसलमेर	2.65
13.	सागरमल गोपा शाखा खण्ड, रामगढ़	0.33
14.	फलौदी खण्ड, जैसलमेर	0.60
	योग	104.05

अप्रयोज्य सामान के निपटान में देरी के कारण उनकी कीमत में गिरावट आ सकती है।

हमने मामला मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर को बताया (जनवरी 2010), उनका जवाब प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2010)।

7.8 राजकीय आवास के दोषी रहवासी अधिकारियों से किराए की वसूली का अभाव

आवासीय भवनों का किराया निर्धारण एवं वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत जारी राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2002 में प्रावधान है कि यदि सेवानिवृत्त/स्थानान्तरण पर रहवासी द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं किया जाता है तो स्थानान्तरण के मामले में एक माह बाद साधारण किराया दर का दुगना, तीन माह बाद तिगुना और छः माह बाद बाजार दर से और सेवानिवृत्ति के मामलों में सेवानिवृत्ति के दो माह बाद बाजार दर से किराया वसूल किया जायेगा।

हमने चम्बल परियोजना उप-खण्ड, कोटा द्वारा दी गई सूचना से पाया कि 23 स्थानान्तरित/ सेवानिवृत्त अधिकारी, राणा प्रताप कॉलोनी, गुमानपुरा कॉलोनी, मालारोड कॉलोनी व चम्बल कॉलोनी सकतपुरा के सरकारी आवासों में निवास कर रहे थे। इन प्रकरणों में किराए की वसूली हेतु न तो उचित कार्यवाही की गई और न ही दोषियों से आवास खाली कराए गए। इसके

परिणामस्वरूप किराए ₹ 0.51 करोड़ की अवसूली रही।

हमने मामला अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड, कोटा को बताया (अक्टूबर 2009), उनका जवाब प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2010)।

7.9 भण्डार में कम पाई/चोरी गई सामग्री की वसूली का अभाव


सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग- II के नियम, 12 के अनुसार सभी सामानों का भौतिक सत्यापन कम से कम वर्ष में एक बार किया जावेगा। स्टॉक सत्यापन में पाये गए कमी से सम्बन्धित सामान का एक नोट दर्ज किया जायेगा ताकि कार्यालय प्रमुख द्वारा कार्यवाही की जा सके।

मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर व मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के क्षेत्राधिकार के अधीन खण्डों के

भौतिक सत्यापन वर्ष 1994-95 से 2008-09 के दौरान ₹ 36.03 लाख के भण्डार की सामग्री कम पाई गई। मुख्य लेखाधिकारी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर ने मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर और मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर को सूचित किया (जून 2009),

कि संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कीमत वसूली की कार्यवाही करें, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई (जनवरी 2010), परिणामस्वरूप ₹ 36.03 लाख की अवसूली रही।

हमने मामला मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर को बताया (जनवरी 2010), उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2010)।



(मीनाक्षी शर्मा)

महालेखाकार

जयपुर

दिनांक 14 मार्च 2011 (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित



(विनोद राय)

नई दिल्ली

दिनांक 15 मार्च 2011 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 'अ'

(सन्दर्भ: अनुच्छेद संख्या 1.2.4)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में दर्शाए गए एवं जन लेखा समिति में चर्चा हेतु 30 सितम्बर 2010 को बकाया अनुच्छेदों की स्थिति

कर का नाम	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	15	7	6	14	11	5	10	68
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	14	11	5	10	40
मोटर वाहनो पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	7	3	8	6	6	9	3	42
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	8	6	6	9	3	32
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	2	2	4	2	1	4	-	15
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	-	-	4	-	4
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	1	4	3	3	3	4	4	22
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	3	3	4	4	14
राज्य आबकारी शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	5	3	4	2	5	4	4	27
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	2	5	4	4	15
भूमि एवं भवन कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	3	5	-	-	-	-	-	8
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	-	-	-	-	-	5
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	8	5	1	9	9	9	18	59
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	1	9	9	9	18	46
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	4	2	1	3	6	4	9	29
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	-	-	2	6	2	9	20
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	45	31	27	39	41	39	48	270
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	5	9	36	40	37	48	176

परिशिष्ट 'ब'
(सन्दर्भ: अनुच्छेद संख्या 1.2.4)

30 सितम्बर 2010 को विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की स्थिति

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित की दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की संख्या
1	119वां प्रतिवेदन 1997-98	27.7.2000	परिवहन	1994-95 1995-96	39
2	210वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	देवस्थान	1997-98	14
3	217वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	वाणिज्यिक कर	1998-99	13
4	88वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	वाणिज्यिक कर	2001-02	2
5	89वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	भू-राजस्व	2000-01	3
6	119वां प्रतिवेदन 2005-06	4.3.2006	परिवहन	2000-01	6
7	138वां प्रतिवेदन 2005-06	27.3.2006	पंजीयन एवं मुद्रांक	2000-01	4
8	139वां प्रतिवेदन 2005-06	27.3.2006	पंजीयन एवं मुद्रांक	2001-02	5
9	167वां प्रतिवेदन 2006-07	4.10.2006	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2003-04 2004-05	1
10	189वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भूमि एवं भवन कर	1999- 2000	6
11	190वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भू-राजस्व	1999- 2000	12
12	193वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	वित्त	2001-02	12
13	251वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2001-02	8
14	252वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2002-03	10
15	255वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	भू-राजस्व	2003-04	2
16	260वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	वाणिज्यिक कर	2003-04	4
17	268वां प्रतिवेदन 2008-09	15.7.2008	सामान्य प्रशासन	2002-03	5
18	269वां प्रतिवेदन 2008-09	15.7.2008	पंजीयन एवं मुद्रांक	2003-04	10
19	270वां प्रतिवेदन 2008-09	15.7.2008	पंजीयन एवं मुद्रांक	2004-05	4
20	31वां प्रतिवेदन 2009-10	29.3.2010	वाणिज्यिक कर	2004-05	28
योग					188

परिशिष्ट 'स'

(सन्दर्भ: अनुच्छेद संख्या 1.3.2.2)

गत पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित समीक्षाओं में की गई सिफारिशों पर विभागों/सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति दर्शाने वाला विवरण-पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	स्वीकार की गई सिफारिशों का विवरण	स्थिति
1	2	3	4
2004-05	बिक्री कर का निर्धारण एवं संग्रहण	<ol style="list-style-type: none"> छूट के लाभ की स्वीकृति जारी करते समय विभाग को, ऐसे लाभ स्वीकृत करने को प्रशासित करने वाले प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये। न्यायिक निर्णय के प्रभाव को लागू करने के लिये उसे सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रसारित करना चाहिये। विभिन्न छूट योजनाओं के अन्तर्गत शर्तों के उल्लंघन के सभी मामलों में कर की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये। कर की वसूली करने के लिये प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाया जाना चाहिये। सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग उचित करारोपण तथा कर के अपवंचन का पता लगाने में किया जाना चाहिये। 	विभाग ने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सिफारिशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किये हैं।
	खान एवं खनिजों से प्राप्तियां	<ol style="list-style-type: none"> सरकार को देय राशियों की शीघ्र वसूली तथा खनिज के अधिक निर्गमन के साथ ही अनधिकृत उत्खनन को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठाना चाहिए कि नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार अनधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत वसूली हो। सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु उत्खनन के अनधिकृत मामलों का त्वरित निस्तारण एवं खानों के नियमित निरीक्षण के द्वारा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। 	<p>विभाग ने बताया कि बकाया की वसूली के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।</p> <p>अवैध रूप से निर्गमित खनिजों की लागत की वसूली के लिए पंचनामा बनाये जा रहे हैं।</p>
2005-06	राज्य आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण	<ol style="list-style-type: none"> कच्चे माल से प्रासव एवं बीयर की न्यूनतम प्राप्ति मानक सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिनियमों/नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। राज्य में चिरे डोडा पोस्त के उत्पादन के नियंत्रण के संबंध में प्रभावशील नियंत्रण प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। निविदा प्रक्रिया में बेनामी व्यक्तियों के भाग लेने को रोकने हेतु नियमों में संशोधन हेतु विचार किया जाना चाहिए। श्रेष्ठतर वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ की जानी चाहिए। 	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया/मापदण्ड निर्धारण के प्रकरण के परीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है।</p> <p>विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि कुषकों की भारी संख्या पर सीमित कार्मिकों द्वारा वास्तविक नियंत्रण करना कठिन था।</p> <p>विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।</p>

1	2	3	4
2006-07	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली	<ol style="list-style-type: none"> 1. लोक कार्यालयों द्वारा विभाग को प्रेषित करने हेतु एक विवरणी निर्धारित की जाये जो प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या एवं पाई गई कमी पर हो। कम मुद्रांक कर भुगतान के प्रकरणों, जो उजागर नहीं किए जा रहे हैं, के सम्बन्ध में भी कार्यालयों को उत्तरदायी बनाया जावे। इसके अतिरिक्त डी.आई.जी. द्वारा लोक कार्यालयों के निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित हों। 2. विभाग द्वारा पुनरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण पर निगरानी हेतु विवरणी निर्धारित हो। 3. यह सुनिश्चित हो कि विभाग पंजिकाओं का निरीक्षण करें एवं अधिनिर्णय वाले लेखित प्रकरणों का निपटारा शीघ्र हो। सामयिक विवरणी निर्धारित करके उच्च स्तर पर निगरानी हो। इन प्रकरणों के निपटारे हेतु एक समय सीमा निर्धारित हो। <ol style="list-style-type: none"> 1. डेटा में आपवादिक परिवर्तन किए जाने के अनुश्रवण के उद्देश्य से संव्यवहारों को ढूँढने के लिए लेखापरीक्षा संकेतों को सिस्टम में डिजाईन एवं समाहित किया जाए। 2. मुद्रांक कर की सही राशि के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत आवश्यक नियंत्रणों की प्रोग्रामिंग की जाए। 	<p>विभाग ने बताया कि राशि मुख्यतः राज्य/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से वसूलनीय थी।</p> <p>विभाग ने बताया कि सम्बन्धित उप पंजीयक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।</p> <p>विभाग ने बताया कि समायोजन के लिए बकाया अधिकतर प्रकरणों को निर्णित कर दिया गया है।</p> <p>उत्तर प्रतीक्षित था।</p> <p>उत्तर प्रतीक्षित था।</p>
207-008	उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का आवंटन	<ol style="list-style-type: none"> 1. सी.ए.डी. से चक प्लान प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन योग्य भूमि को अधिसूचित करने हेतु समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। 2. कृषि कर्मियों को भूमि आवंटन पर गतिशील एवं त्वरित कार्यवाही के लिए नीति बनानी चाहिए। 3. अधिनियम अथवा नियमों में निर्धारित मूल अभिलेखों का प्रत्येक तहसील में संधारण सुनिश्चित करना चाहिए। 4. उपयुक्त उपायों द्वारा सरकारी भूमि को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराना चाहिए। 5. नियमानुसार आवंटियों से त्वरित वसूली तथा टी.सी.ज. द्वारा धारित भूमि के निस्तारण के साथ अन्य वैधानिक प्रावधानों की मोनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु आवधिक विवरणियों एवं अन्य जांचों को निर्धारित कर विभाग के आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए। 	<p>विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि प्रत्येक चक प्लान के प्रस्तावों एवं अधिसूचना को छः माह के अन्दर अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।</p> <p>सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि आवश्यक कार्य करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। तथापि, ऐसी कार्यवाही पूर्ण करने के लिए समय सारणी (ढाँचा) बनाने के बारे में उत्तर में कुछ नहीं बताया गया।</p> <p>सरकार ने बताया कि सम्बन्धित पंजिकाओं के संधारण हेतु निर्देश जारी किये जा रहे थे।</p> <p>-</p> <p>-</p>

1	2	3	4
	राजस्थान के पूर्व शासकों से प्राप्त नजूल सम्पत्तियों का प्रबन्धन एवं निस्तारण	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी नजूल सम्पत्तियों को सम्मिलित करने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रणाली/प्रक्रिया बनाने पर विचार करना चाहिए। 2. नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण एवं समुचित प्रबन्धन के लिए उचित विवरणियां निर्धारित करनी चाहिए। 3. मांग व संग्रहण पंजिका के संधारण और बकाया राशियों की मांग कायम करने की प्रणाली को विकसित करने पर विचार करना चाहिए। 4. नजूल सम्पत्तियों को आगे अतिक्रमण और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इनके निस्तारण के लिए समय सीमा निश्चित करनी चाहिए। 5. समितियों द्वारा बैठकों के आयोजन के लिए मानदण्ड एवं इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की पालना को मॉनिटर करने हेतु एक विवरणी निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए। 	<p>विभाग ने बताया कि कार्मिकों की कमी के कारण सर्वे नहीं किया जा सका।</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।</p>
2008-09	बिक्री कर से मूल्य परिवर्धित कर में परिवर्तन	<ol style="list-style-type: none"> 1. विवरणी (मू.प.क.-10) में माल के नाम के साथ इसका वर्गीकरण, अनुसूची संख्या एवं अनुसूची की क्रम संख्या भी अंकित की जाये। 2. मू.प.क. को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा टैक्स ऑडिट को अनिवार्य किया जाये। 3. आई.टी.सी. के पूर्व आपसी सत्यापन को अनिवार्य किया जाये। 4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर प्राधिकारियों के अभिलेखों से आपसी सत्यापन किये जाने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत क्रियाविधि लागू की जाये। 5. अपील प्रकरणों का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए। 6. अपराधों के लिए न्यूनतम शास्ति का निर्धारण किया जाये। 	<p>प्रपत्रों में वस्तु के नाम के लिए कॉलम जोड़ा गया था।</p> <p>चालू वर्ष में लेखापरीक्षा का कार्य कर लिया जायेगा।</p> <p>अगले वर्ष में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रति-परीक्षण के पश्चात ही दावे स्वीकार किये जायेंगे।</p> <p>सूचनाओं को प्राप्त करते हुए प्रति-परीक्षण करने हेतु सभी वृत्तों को निर्देश जारी किये थे।</p> <p>एक वर्ष से अधिक से बकाया अपील के प्रकरणों का मार्च 2010 तक निस्तारण कर दिया जायेगा।</p> <p>राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में दण्ड के प्रावधानों में विभिन्न अपराधों पर शास्ति के प्रावधान है, लेकिन कर प्राधिकारियों के निर्देश पर ही।</p>

1	2	3	4
2008-09	परिवहन विभाग द्वारा कर का आरोपण एवं संग्रहण	<ol style="list-style-type: none"> अस्थायी पंजीयन फीस की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामयिक विवरणी के माध्यम से अनुश्रवण प्रणाली लागू करनी चाहिए। विलम्ब से पंजीकरण के प्रकरण में शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए सामयिक निरीक्षण के माध्यम से प्रणाली विकसित करनी चाहिए। निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर/विशेष पथकर के संग्रहण एवं कर जमा नहीं कराने/कम जमा कराने के प्रकरणों में शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण प्रणाली शुरू करने पर विचार करना चाहिए। आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के कार्य को प्रभावशाली बनाना चाहिए जिससे कि राजस्व छीजत को रोकने एवं अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना के लिये उचित उपाय किये जा सकें। 	<p>परिवहन आयुक्त ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार करते हुए कहा कि फीस के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों को परिपत्र जारी किये जायेंगे।</p> <p>विभाग ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि प्रशमन फीस बढ़ा दी गई है।</p> <p>शास्ति के आरोपण की कार्यवाही करने के लिए विभाग सहमत था।</p>
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्राप्तियां	<ol style="list-style-type: none"> विभाग में बकाया के सही निर्धारण के लिये सामयिक निगरानी प्रक्रिया निर्धारित करने तथा बकाया की त्वरित वसूली सुनिश्चित की जाए। संग्रहकर्ता एजेन्सी द्वारा राजस्व को देरी से जमा करने पर ब्याज वसूली के लिये प्रावधान निर्धारित किए जाए। अकार्यरत जल मीटरों को बदलने के लिये प्रभावी कदम उठाए जाए। अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के लिये आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सशक्त किया जाए। 	<p>बकाया की सही स्थिति के निर्धारण के लिए प्रयास किये जायेंगे/सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा विश्वास दिलाया कि एम.ओ.यू. में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।</p> <p>बकाया राजस्व पर ब्याज के अनारोपण के प्रकरण को विभाग में देखा जायेगा।</p> <p>सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा विश्वास दिलाया कि ट्रुटि वाले मीटरों को बदलने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए सरकार सहमत थी।</p>

संक्षेप का पारिभाषिक शब्द-कोष

संक्षेप	विस्तारित रूप
आई.	ब्याज
आ.क.क.	आगत कर क्रेडिट
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.एल.आर.	राजस्थान भू-राजस्व
आर.ओ.आर.	अधिकाराभिलेख
उ.पं.	उप पंजीयक
एन.आई.सी.एस.आई.	नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक
एल.आर.एक्ट	राजस्थान राजस्व अधिनियम
एस.डी.ओ.	उपखण्ड अधिकारी
के.बि.क.	केन्द्रीय बिक्री कर
के.बि.क.अ.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 2003
ज.सं.वि.	जल संसाधन विभाग
जि.पं.	जिला पंजीयक
जे.डी.ए.	जयपुर विकास प्राधिकरण
टी.	कर
टी.सी.ज.	अस्थायी कृषि-कर्म पट्टेधारक
डी.आई.जी.	उप महानिरीक्षक
डी.एल.सी.	जिला स्तरीय समिति
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
पं.शु.	पंजीयन शुल्क
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.ओ.आर.	राजस्व मण्डल
म.नि.	महानिरीक्षक
मु.क.	मुद्रांक कर
मू.प.क.	मूल्य परिवर्धित कर
यू.आई.टी.	नगर विकास न्यास
यू.एल.बी.	नगरीय स्थानीय संस्था
यू.डी.डी.	नगरीय विकास विभाग
रा.मु.	राजस्थान मुद्रांक कर
रा.मू.प.क.अ.	राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003
सी.एल.आर.	भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

